खण्ड-173, अंक-6
शनिवार, 29 वैशाख, शक संवत् 1878
(19 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 173 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १९ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८०)

अजीज इमाम, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरुप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, रावत, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
जगतनारायण श्री,
जगपति सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कोल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री

नारायण दास, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेन्दुशाह महाराज कुमार, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुस्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुलनबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखिरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुराज सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम, चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

---

* गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

†खंड १२ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल माननीय तेजप्रताप सिंह जी खंड १२ में अपने संशोधन पर भाषण दे रहे थे।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विश्वविद्यालय के उपकुलपति का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसीलिये मैंने ऐसा उचित समझा कि इस पर संशोधन बहुत समझ बूझ कर दूं। जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और उसके साथ-साथ लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक में भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने काफी सोच विचार किया था और उसी के बाद एक ऐसी नयी प्रथा निकाली जिसको कि उसमें शामिल किया गया था? हम लोग समझते थे कि जो प्रथा उन्होंने निकाली, जो व्यवस्था उन्होंने निकाली वह कुछ उचित नहीं थी और जब वह विधेयक यहां पर विचारार्थ आया तो हम लोगों ने उस पर अपना मत प्रकट किया था और अपने सुझाव भी दिये थे। मैं समझता हूं कि उन सुझावों की वजह से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने फिर से इस पर काफी विचार किया है और जैसा कि इस विधेयक से श्रीमन्, प्रकट है, उन्होंने इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने के पहले जो व्यवस्था रखी थी, उसको सेलेक्ट कमेटी में परिवर्तित कर दिया है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वह इस पर काफी गौर करना चाहते हैं और इस पर सुझाव चाहते हैं।

आखिर विश्वविद्यालय का वाइस-चांसलर वहां का चीफ आफिसर है और इसलिये उसका चुनाव बहुत ही समझ कर होना चाहिये। अभी आप देखेंगे कि जो सेलेक्ट कमेटी से यह धारायें परिवर्तित होकर आई हैं उनमें कहा गया है कि वाइस-चांसलर के चुनाव के लिये एक कमेटी बनाई जायगी। वह कमेटी तीन व्यक्तियों की होगी। इनमें से दो तो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामजद किये जायंगे और एक चांसलर द्वारा नामजद किया जायगा और इन तीनों में से चांसलर एक सभापति नियुक्त कर देगा और तब यह कमेटी कम से कम ३ नामों की सिपारिश करेगी। कुलपति के पास और जितने भी व्यक्तियों की सिपारिश होगी उनमें से कुलपति एक व्यक्ति को वाइस चांसलर

---

* १७ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

† १८ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

नियुक्त करेगा। यह भी हो सकता है कि यदि उन नामों से वह कुलपति सहमत न हो तो फिर से विचार करने के लिये वह उस कमेटी के पास भेज दे और नये नाम मांगे। यह तो जो नया रूप सेलेक्ट कमेटी ने दिया है वह है। इसका आधार बतलाया गया है कि दिल्ली युनिवर्सिटी से उन्होंने इसका सुझाव लिया है। दिल्ली युनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार की व्यवस्था वाइस-चांसलर के चुनाव की है। दिल्ली युनिवर्सिटी के सुझाव को क्यों माना इसके कारण नहीं बताये गये हैं।

मैं समझता हूं कि दिल्ली युनिवर्सिटी के ऐक्ट को ही यदि वह मान्यता देते हैं तो उन्होंने चांसलर के चुनाव के बारे में कोई रद्दोबदल क्यों नहीं किया है? क्योंकि चांसलर का पद भी एक महत्वपूर्ण पद है और उसका चुनाव भी एक अच्छे ढंग से होना चाहिए। राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट ने भी यह बात कही है कि जिस राज्य में एक से अधिक युनिवर्सिटी हों तो गवर्नर को एक ही युनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिए और बहुत सी युनिवर्सिटीज का चांसलर नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है तो उचित यह था कि चांसलर के चुनाव के विषय में भी उसी प्रकार दिल्ली युनिवर्सिटी ऐक्ट की भांति विधान रखते जिस प्रकार कि वहां कोर्ट द्वारा चांसलर का चुनाव रखा गया है। लेकिन वाइस-चांसलर की व्यवस्था लाकर और चांसलर की न लाकर इस तरह से नई प्रणाली रखने का कोई विशेष कारण मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि वाइस-चांसलर जो चीफ आफिसर होगा उसको मंत्री जी अपने शिकन्जे में रखना चाहते हैं और इस प्रकार वह उस पर कुछ न कुछ अपना असर रखना चाहते हैं और उसको वह स्वतन्त्र नहीं रखना चाहते।

मेरे इस संशोधन का एक जबरदस्त आधार है और वह आधार है युनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिश वाइस-चांसलर के चुनाव के बारे में है। आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा पढ़ दूं क्योंकि उसमें हर विषय पर अच्छी तरह से विचार किया गया है जैसे कि मंत्री जी कहते हैं कि वाइस चांसलर के चुनाव को हम इसलिए इस से अलग रखना चाहते हैं ताकि उसके लिए एलेक्शनियरिंग या चुनाव बाजी न हो, ऐसी चीज को हम रोकना चाहते हैं जैसे कि टीचर्स चुनावबाजी में पड़ जाते हैं और वाइस चांसलर जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए अगर चुनावबाजी हुई तो उसकी डिगनिटी नहीं रह जायगी। इन सब बातों के विषय में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वह मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—खुलासा आप हिन्दी में ही कह दें क्योंकि अभी बहुत से खंड बाकी हैं और समय तो सीमित ही है।

श्री तेजप्रताप सिंह—ठीक है, समय की बचत हो जायगी इसलिए मैं हिन्दी में ही खुलासा कहे देता हूं। उसमें भी चुनावबाजी की दिक्कतों के बारे में कहा गया है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि यह युनिवर्सिटी के ऊपर ही छोड़ना चाहिए कि वह वाइस-चांसलर का चुनाव करे। उन्हीं सिफारिशों में कहा गया है कि चांसलर को यह अधिकार होना चाहिए कि वह वाइस चांसलर को नियुक्त कर सके लेकिन एविजक्यूटिव कमेटी जो होगी उसकी सिफारिश पर ही वह ऐसा करेगा, उसको खुद किसी नाम को इनिशिएट करने या अपने विवेक से नियुक्त करने का स्वयं अधिकार नहीं होगा। आप देखेंगे कि इसी आधार पर मेरा यह संशोधन है जो कि उसकी पूरी नकल ही है।

इसलिए मैं समझता हूं कि इन पर्याप्त कारणों से मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे और ऐसे महत्वपूर्ण पद के चुनाव को युनिवर्सिटी पर ही छोड़ देंगे क्योंकि इसी संदर्भ में आगे चल कर जो वाइस-चांसलर की शक्ति है उसको देखें तो आप देखेंगे कि उसकी पावर आप इतनी बढ़ा रहे हैं कि वह एक भय उत्पादन करने वाला

अधिकारी हो जायगा, उसको डिसिपलिनरी ऐक्शन लेने की ऐसी शक्तियां दे रखी हैं जिससे स्वतन्त्र विचार के टीचर वहां न रह सकेंगे और जिस पर वह चाहेंगे एक्शन ले सकेंगे। ऐसी भयानक धारायें उसमें आगे रखी हुई हैं। तो उसकी पावर्स के संदर्भ में वाइस-चांसलर के चुनाव को देखें तो महसूस करेंगे कि यूनिवर्सिटी पर ही छोड़ दें वाइस चांसलर का चुना जाना न कि चांसलर पर छोड़ें जो यहां का गवर्नर होगा। इसप्रकार इन सारी दिक्कतों व खराबियों को दूर करने के लिये वाइस-चांसलर की नियुक्ति इस प्रकार होनी चाहिये जैसा कि मैंने अपने संशोधन में रक्खा है। मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये। इस पर काफी आर्ग्यूमेन्ट्स हो चुके हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करें।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—इस पर जितने अमेंडमेंट्स हैं वे सब आ जायं तो अच्छा है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि—

खंड १२ के उपखंड (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(६) उपधारा (५) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे जिनमें से एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित ऐसा व्यक्ति होगा जिसका सम्बन्ध विश्वविद्यालय, किसी घटक कालेज या किसी सम्बद्ध कालेज से न हो, दूसरा वह व्यक्ति होगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति (Chief Justice) द्वारा नियुक्त किया जाय और तीसरा कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। कुलपति द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति समिति का सभापति (Chairman) होगा।"

जैसा कि मूल अधिनियम में दिया हुआ है श्रीमन्, मेरा जो संशोधन है उसका भी अभिप्राय यह है कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिये तीन सदस्यों की एक समिति बनाई जाय। अन्तर इतना है कि नियम में दिया हुआ है कि दो सदस्य कार्यकारिणी के होंगे और एक के लिये चांसलर नामजद करेगा। मैंने इसमें इतना कर दिया है कि कार्यकारिणी का एक सदस्य होगा, एक के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामिनेट करेंगे और एक चांसलर महोदय का नामिनी होगा और वही इसका चेयरमैन होगा। मेरी मंशा सिर्फ यह है कि जैसा अभी तेज प्रसताप सिंह जी ने भी कहा और हम सभी इस बात को मानते हैं कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में चुनाव की पद्धति जितनी कम इस्तेमाल हो सके उतना ही ज्यादा अच्छा है। मैं उसके ज्यादा विवरण में नहीं जाऊंगा लेकिन इतना ही कहूंगा कि हमने एक पद्धति को आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज में अपनाया है और इस मतलब से अपनाया कि हम समझते थे कि उस पद्धति से जो चुनाव की गन्दगी होती है, जो उससे क्लीक बन जाता है उसको खत्म करने में हम कामयाब होंगे लेकिन आगरा यनीवर्सिटी में जो उप-कुलपति का चुनाव हुआ उसका जो अनुभव हमको हुआ वह ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं हुआ और मेरा अपना ऐसा मत है कि उसने चुनाव की गन्दगी को और ज्यादा पक्का कर दिया और आगरा यूनिवर्सिटी में उसने क्लिक को और ज्यादा पक्का कर दिया। बहरहाल जब हमने यह देखा तो एक दूसरा एक्सपेरीमेंट यहां रखा गया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिया गया है। लेकिन इस संशोधन के बाद उसमें थोड़ी भिन्नता आ जाती है। एक तो मतलब यह है कि चुनाव जहां तक हो कम से कम हो। चीफ जस्टिस के नामिनी की बात इसलिये रक्खी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो तरीका था उसमें एक कमी यह थी कि जो तीन नाम जायं चांसलर महोदय के पास समिति की सिफारिश से तो अगर चांसलर उन नामों को न माने तो दोबारा नाम किस तरीके से जाय ऐसा कोई सिस्टम उसके अन्दर नहीं दिया गया था। मैंने उसको इसमें

[श्री नवल किशोर]

खत्म कर दिया है। मेरी मंशा यह है कि जो तीन नाम जायं एक मानी में वह फायनल होंगे और चांसलर के लिये उन्हीं तीन नामों में से एक को चुनना अनिवार्य होगा।

चीफ जस्टिस के नामिनी का जैसा अभी निवेदन किया मेरा मतलब यह है कि चीफ जस्टिस हमारी स्टेट का जुडीशियल हेड होता है और यह आशा की जाती है कि उनका जो नामजद मनुष्य होगा वह इनएक्सेसिबिल होगा और अगर कोई जुडीशियल आदमी रखा तो वह भी चीजों को जुडीशियल माइंड से देख सकेगा और चुनाव की बात इससे काफी कम हो जायगी। इससे एक फायदा यह भी है कि अक्सर यह भी देखा गया कि बहुत से एमीनेन्ट एजुकेशनिस्ट होते हैं, विद्या विशारद होते हैं उनको इस बात में बड़ी परेशानी होती है, बड़ा एम्बेरेसमेंट होता है कि वह लोगों के पास दौड़-दौड़ करके जायं और अपने लिए सिपारिश कराएं और कनवेंसिंग करें। इसका फल यह होता है कि जो इंडिपेंडेंट टाइप के, इमीनेंट लोग हैं वह वायस-चांसलर शिप के लिए आ नहीं पाते हैं। जो पद्धति मैंने इसमें रखी है अगर इसको माननीय मंत्री जी मान लेंगे और मुझे आशा है कि इसमें वह जो अंदेशा है कि अच्छे जो लोग नहीं आ पाते वह भी दूर हो जायगा और जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैं इसको मानता हूं कि यह भी एक एक्सपेरीमेंट है।

हमने बहुत से एक्सपेरीमेंट किये हैं, जिनकी हमारी खास मंशा यह थी कि जहां तक हो सके हमको अच्छे से अच्छे व्यक्ति वाइस-चांसलर शिप के लिए मिल सकें और चुनाव की पद्धति को कम से कम इस्तेमाल किया जाय। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह संशोधन पेश किया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जिस खंड पर इस समय विचार हो रहा है यह खंड इस विधेयक के अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्धों में से है। इस खंड के अनुसार हम उस प्रणाली को निश्चित करने जा रहे हैं जिसके अनुसार गोरखपुर विश्व-विद्यालय के भावी उपकुलपति का चुनाव होगा। श्रीमन्, आप यह जानते ही हैं कि उपकुलपति का चुनाव विश्वविद्यालय के समग्र जीवन का केन्द्र बिन्दु होता है। चाहे उसका शिक्षात्मक पहलू हो, चाहे उसका शासनात्मक पहलू हो, चाहे उसका आर्थिक पहलू हो, उपकुलपति वह केन्द्र बिन्दु है जिनकी परिधि पर और जिनको केन्द्र मान कर विश्वविद्यालय के सभी कार्य चलते हैं। इस प्रश्न पर कि उपकुलपति का चुनाव किस प्रकार किया जाय शिक्षा परिषद् के विभिन्न विद्वानों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अलग-अलग मत हैं। यह केवल प्रदेश की ही या देश की ही बात नहीं बल्कि संसार के विभिन्न देशों में जो प्रजातांत्रिक प्रणाली का अवलम्बन करते हैं उन सभी में इस विषय पर काफी मतभेद रहे हैं कि किस प्रकार कुलपति का चुनाव इस ढंग से किया जाय तो कम से कम विवादास्पद हो कम से कम संदेहास्पद हो। साथ ही समग्र विश्वविद्यालय की जो मौलिक स्वायत्तता है, जो फंडामेंटल आटोनामी है उसका हनन भी न हो। उपकुलपति ऐसा व्यक्ति हो जिस पर अध्यापक समाज का विश्वास भी हो, छात्र समुदाय की एक प्रतिष्ठा की भावना उनके प्रति हो। ऐसा व्यक्ति हो सके।

हमारे देश में कई प्रकार के विधान हैं, जब हम अलग अलग जो अधिनियम हैं उनका अध्ययन करते हैं तो अलग-अलग प्रकार के विधान रखे गये हैं। मैं ज्यादा पुरानी बात सैडलर कमीशन या ढाका यूनिवर्सिटी रिपोर्ट की बात नहीं कहना चाहता। उतने विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बीच में जो प्रयत्न किये गये हैं भारतवर्ष में उनसे यह स्पष्ट होता है कि जो प्रणाली देहली यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर के सम्बन्ध में अपनायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के चुनाव के संबंध में अपनायी गयी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वायस-चांसलर के चुनाव सम्बन्ध में अपनायी गयी उन सब से हमको सबक मिलता रहा है और प्रकाश मिलता रहा है। तो मैं आशा यही करता हूं कि उपकुलपति के चुनाव की जो प्रणाली उन विश्वविद्यालयों में है उससे जो नुकसान या फायदा रहा उससे हम आज लाभ उठाएं।

मैं इतना अवश्य मानता हूं कि इसमें कुछ सुधार अवश्य हुआ है। जो प्रणाली विधेयक में रखी गयी है। इलाहाबाद और आगरा में जो हमने प्रणाली रखी उससे कुछ सुधार अवश्य हुआ है। हमने इस बात की चेष्टा की है कि यह बिल एक आन्तरिक मामला न बना दिया जाय और इसमें कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स, विद्वतजन जो हैं उनसे भी सलाह मिल सके। इस बात की चेष्टा की गयी है और देहली यूनिवर्सिटी का आधार विधेयक के खंड में माना गया है। लेकिन देहली यूनिवर्सिटी में जो सिद्धान्त माना गया उसका संशोधन आगे चल कर राजस्थान यूनिवर्सिटी के उपकुलपति के चुनाव में कर दिया गया। देहली यूनिवर्सिटी एक केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है। उसके विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं और विजिटर को वही अधिकार देहली यूनिवर्सिटी ऐक्ट में है जो कि यहां चांसलर को है। देहली यूनिवर्सिटी में और भी बहुत से ऐसे पद बनाये हैं जैसे प्रोचांसलर, प्रो वाइस-चांसलर, विजिटर, इस प्रकार के अनेक पद उस यूनिवर्सिटी में हैं जो कि हमारी प्रदेशीय यूनिवर्सिटी में नहीं हैं। एक केन्द्र की यूनिवर्सिटी देहली यूनिवर्सिटी का एक विशेषप्रकार का विधान बनाना कुछ आवश्यक भी था। तो देहली यूनिवर्सिटी के विधान को हम बिलकुल वैसे ही यहां इस प्रदेश की परिस्थिति में लागू नहीं कर सकते।

राजस्थान में आपने देखा होगा कि राजस्थान ऐक्ट में इसकी व्यवस्था की गयी है जो कि एक्सपर्ट्स कमेटी राय देगी उस राय को वह कमेटी फिर एग्जीक्यूटिव कौंसिल के पास भेजेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल सिंडिकेट कहलाती है। तो सिंडिकेट के पास वह एक्सपर्ट्स की कमेटी अपने नाम भेजेगी और वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल, सिंडीकेट, फिर सिफारिश करेगी चांसलर के पास और चांसलर उस एग्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिश के ऊपर वाइस-चांसलर को नामजद करेंगे। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि राधाकृष्णन कमीशन ने देहली यूनिवर्सिटी के प्राविधान को इसीलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि राधाकृष्णन कमीशन की निश्चित राय थी कि होलली एक्सटर्नल वाइस-चांसलर, एक ऐसा उपकुलपति जो बिलकुल बाह्यप्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के द्वारा चुना गया हो वह यूनिवर्सिटी में विभिन्न जो उसके अंग हैं उनका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। इसी लिए उन्होंने सिफारिश की थी कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल से भी राय प्राप्त करने, विश्वास प्राप्त कराने की चेष्टा की जानी चाहिए। इस पर एक बीच का रास्ता श्रीमन्, आप देखें मूथम कमेटी ने निकाला और मेरी श्रीमन्, यह स्पष्ट राय है और इसीलिए मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन में एक संशोधन, करने के लिए प्रस्तुत हूं, मुझे श्रीमन्, उतना समय नहीं मिला कि वह संशोधन मैं लिख कर आपको देता, मुझे अवसर न मिल सका, इसके लिए मैं प्रार्थी हूं और माननीय तेज प्रताप सिंह जी से, माननीय नवल किशोर जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मूथम कमेटी की सिफारिश पर दोबारा विचार करें और कम से कम इस खंड का विचार तब तक स्थगित रखा जाय।

आखीर, जो नवलकिशोर जी ने संशोधन रखा है इसमें उन्होंने एक नयी बात कहीं है और वह नयी बात यह है कि जो कार्यकारिणी की ओर से दो व्यक्ति नामजद होते एक्सपर्ट्स कमेटी में नवलकिशोर जी चाहते हैं कि अब केवल एक व्यक्ति कार्यकारिणी का नामजद हो और एक व्यक्ति चीफ जस्टिस नामजद करे और एक व्यक्ति चांसलर नामजद करे। मेरे विचार से यह राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश के अनुकूल नहीं होगा। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने यह मांग की थी कि चीफ जस्टिस को चांसलर यूनिवर्सिटी का बनाया जाय आन्ध्र यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार तो उस समय

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हमारे कुछ मित्रों ने सदन में यह कहा था कि हमें चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस को इस पचड़े में नहीं डालना चाहिए। यह बात सही है कि हाई कोर्ट के जजेज कोर्ट के प्रतिनिधि हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रतिनिधि हो सकते हैं और हैं, लेकिन सरकार की ओर से यह बात कहीं गयी थी, हमारी ओर से नहीं, मैं साफ कर दूं, सरकार की ओर से उस समय यह बात कही गई थी कि चीफ जस्टिस को इस सारे पचड़े में डालना ठीक नहीं। तो खैर, कोई आपत्ति ऐसी नहीं है कि चीफ जस्टिस का नामिनी क्यों हो ?

मेरी आपत्ति केवल यह है कि अगर हम वाह्य तत्वों की एक्सपर्ट्स कमेटी बना देंगे जिनका यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध न हो, ऐसे व्यक्तियों को वाइस-चांसलर के चुनाव में बढ़ा देंगे इसका नतीजा यह होगा कि जो भी वाइस-चांसलर चुना जायगा उसका कम से कम विश्वास यूनिवर्सिटी के अध्यापक मंडल का, अध्यापक महानुभावों को प्राप्त हो सकेगा। वैसे तो आज कल के युग में कोई भी व्यक्ति जिसे किसी समय किसी वर्ग का विश्वास प्राप्त होता है, बाद को अपने सही या गलत कार्यों के जरिये विश्वास की मात्रा अपने ऊपर बढ़ा या घटा लेता है, यह तो उसके कार्यों के ऊपर निर्भर है लेकिन जहां तक पहले चुनाव का संबंध है वहां तो हमें एक सन्तुलन कायम करना पड़ेगा बाह्य तत्वों और आन्तरिक तत्वों, एक्सटर्नल एंड इटर्नल एलीमेंट्स के बीच में। एक तरफ हमको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति न हों जो यूनिवर्सिटी के ऊपर बिलकुल बाहर से लाद दिये जायं जिनको यूनिवर्सिटी के दिन पर दिन कार्य करने वाले, पाठक्रम को चलाने वाले, अध्यापक लोग यह न समझें कि ये हमारे ऊपर लाद दिये गए हैं और दूसरी ओर ऐसा भी न हो कि कोई ऐसे उप कुलपति हो जायं जो कि यह समझे कि वह वोटों की प्रणाली से आये हैं और यह अध्यापकवृन्द हमारी कांस्टीट्यूयेंसी हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों बातों से बचने के लिए मूथम कमेटी ने सिफारिश की थी कि हमें जो तीन जनों की एक्सपर्ट्स कमेटी बनानी है इसमें एक व्यक्ति तो एकेडेमिक कौंसिल के लोगों से नामिनेटेड होना चाहिए। एकेडेमिक कौंसिल में बाहर से आने वाले महानुभाव नहीं हो सकते, उसमें प्राध्यापक ही हो सकते हैं, चाहे रीडर हों, चाहे लेक्चरर हों, चाहे हेड आफ दी डिपार्टमेंट हों, वही लोग एकेडेमिक कौंसिल में हो सकते हैं। जो एकेडेमिक कौंसिल का नामिनी होगा वह अध्यापकों का विश्वासपात्र व्यक्ति एक्सपर्ट के रूप में आयेगा लेकिन यहां यह ध्यान रहे कि उनका सम्बन्ध यूनिवर्सिटी से नहीं होगा यानी जो एक्सपर्ट नामिनेट किया जायगा वह यूनिवर्सिटी का सदस्य नहीं होगा, यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई एक्सपर्ट्स रहेगा। इस लिये वह संदेह नहीं रहेगा कि वह किसी प्रकार यूनिवर्सिटी में आन्तरिक दलबन्दी को बढ़ायेगा। दूसरे जो दो व्यक्ति लिये जायं वह कार्यकारिणी के व्यक्ति हों। उस माने में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो विधान रखा गया है वह ठीक है। तो कार्यकारिणी के दो और ऐकेडेमिक कौंसिल का एक और इस प्रकार जो तीन आदमी एक्सपर्ट्स जायं उसकी सिफारिश राजस्थान यूनिवर्सिटी कमेटी के विधान में है उसके अनुसार वह नाम चांसलर के पास न जा कर एग्जीक्यूटिव कौंसिल के पास जायं और राधा कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एग्जीक्यूटिव कौंसिल उसमें से वाइस-चांसलर का चुनाव करेगी। तो उसका यह फायदा होगा कि उसको विश्वास प्राप्त होगा यूनिवर्सिटी के तत्वों का। और इससे जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती उस पर एक ब्रेक लग जायगा। वह एक्सपर्ट्स कमेटी बाहर से होगी और दूसरी ओर उस कमेटी में अध्यापकों का विश्वास होगा।

श्री हरगोविंद सिंह--यह आप मूथम कमेटी से कह रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, उसके दूसरे वाले आल्टरनेटिव के लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—इस तरह से माननीय सदस्यों के बीच आपस में बातचीत नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—हमारे शिक्षा मंत्री जी को गलतफहमी न हो जाय इसलिये मैंने स्पष्ट कर दिया। तो मैं समझता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कोई नया तरीका रखें न इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और न बनारस का तरीका रखें। जब हम नया तरीका अपनाने जा रहे हैं तो उस तरीके से ऐसा हो कि हम उसमें आटोनामी को अधिक से अधिक सुरक्षित रख सकें। हम सब लोगों की यही कामना होनी चाहिये कि हम इस प्रकार का विधान बनावें जिसमें किसी प्रकार इस सदन पर यह आरोप न लगे कि हमने उसकी आटोनामी में कोई कमी कर दी है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि इसीलिये बहुत सी जगह यूनिवर्सिटी के विधान को चार्टर के द्वारा बनाया जाता है और उसके द्वारा अधिक से अधिक आटोनामी को सुरक्षित किया जाता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज के विधान में इस प्रकार का विधान किया है कि वाइस-चांसलर का चुनाव स्टेट्यूट्स के आधार पर करें और चूंकि यूनिवर्सिटी स्टेट्यूट्स को स्वयं बना सकती है इसलिये वाइस-चांसलर के चुनाव का तरीका स्वयं करें। आप देखें कि देहली यूनिवर्सिटी में भी वाइस-चांसलर के चुनाव का जो तरीका अख्तियार किया गया है वह भी स्टेट्यूट्स के द्वारा रखा गया है। यानी यूनिवर्सिटी कोर्ट के द्वारा, यूनिवर्सिटी में ऐकेडेमिक कौंसिल के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसी के अनुसार देहली यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर का चुनाव होता है। हम यहां ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हम स्टेट्यूट्स के द्वारा चुनाव नहीं कर रहे हैं। हम ऐक्ट से तय कर रहे हैं कि वाइस-चांसलर का चुनाव कैसे हो इसलिये हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है कि वाइस-चांसलर का तरीका और अधिक सुन्दर बने। तो मैं क्या आशा करूं कि हमारे मित्र नवलकिशोर जी और माननीय तेज प्रताप सिंह तथा अन्ततोगत्वा सबसे अधिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री जी की है वे कृपया इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें और जो भी मूथम कमेटी रिपोर्ट में दूसरा आल्टरनेटिव है उसमे जो उसने सिफारिश की है उस पर विचार करेंगे।

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमन्, निस्संदेह यह सत्य है कि हमारे देश में बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें वाइस-चांसलर की नियुक्ति की भिन्न-भिन्न प्रणालियां चल रही हैं। और यह भी सही है अपने स्थान पर किसी प्रणाली क संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूर्णतया दोषरहित है और न यही कहा जा सकता है कि यह पूर्णतया दोषमय है कि इसको अपनाना नहीं चाहिये। यहां वाइस-चांसलर की प्रणालियों में यह भी प्रणाली चल रही है कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति बिला किसी की राय के, बिला किसी से पूछे, बिला किसी सम्मति के आधार पर गवर्नमेंट भी कर दे, चांसलर भी करदे, तीन आदमियों की कमेटी बन जाय वह भी कर दे, यह भी प्रणाली चल रही है। कोर्ट वाइस-चांसलर को चुने यह भी प्रणाली चल रही है, एग्जीक्युटिव कौंसिल चुने यह भी प्रणाली चली। तो इस लिये यह कहना मेरे लिये तो बिलकुल असंभव सा है कि मैं किसी प्रणाली को इस कारण अपनाऊं कि वह दोषरहित है। लेकिन हमें देखना यह हैकि और मैं समझता हूं कि इसी पृष्ठभूमि में हमें इस गम्भीर प्रश्न पर विचार करना भी चाहिये कि वाइस-चांसलर का स्थान विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ है और उसके व्यक्तित्व पर ही विश्वविद्यालय का भविष्य, उसका संचालन पूर्णतया निर्भर है। तो ये इतनी प्रणालियां चल रही हैं उसमें भी संदेह नहीं कि उतनी ही उसके पक्ष में और हर एक के विपक्ष में भी बड़ी जोरदार बातें कही जा सकती हैं और कही जाती भी हैं। तो इसलिये मैं यह कहने में तो असमर्थ हूं कि जो विभिन्न प्रणालियां इस भवन ने अपने विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये अपनायी हैं वह ठीक है या बे-ठीक है यह भी अपने स्थान पर बिलकुल सही है कि वाइस-चांसलर जो भी हो उसको सहयोग मिलना चाहिए वहां के कार्यकारिणी के सदस्यों का, वहां के अध्यापकों का। यह भी अपनी जगह पर एक वजन रखता है और कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह

[श्री हरगोविन्द सिंह]

भी अपनी जगह पर सही है कि यदि यही नियम मान लिया जाय तो उसके कारण बड़े दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं।

तो जो विभिन्न प्रणालियां यहां अपनायी गयी हैं वह अपने स्थान पर हैं। लेकिन हमको सोचना यह है कि हम वाइस-चांसलर को अपनी नियुक्ति के लिये वहां के किसी वर्ग के अधीन कर दें या नहीं? अगर ऐसा करें कि किसी वर्ग के अधीन कर दें, उनके वोटों पर ही उसकी नियुक्ति पूर्णतया निर्भर कर दें तो उसके दोष तो हमें स्पष्ट हो गये हैं और जो इतनी बड़ी पद्धति, और इतने कमीशन और कमेटीज जो उस पर हुई वह सब एक मत हैं इस राय में कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति किसी चुनाव के आधार पर नहीं होनी चाहिये। यह एक सिद्धांत सा बन गया। जो अनुभव विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुये उसमें इस माने में कोई मतभेद किसी में नहीं कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति इस प्रकार से होनी चाहिये जिसमें चुनाव का, यदि हो सके, तो पूर्णतया अभाव रहे। तो पहले, जैसा मैंने कहा, आपके प्रांत में ही हमारी यूनिवर्सिटियों में कोर्ट के द्वारा चुनाव हुआ करता था जिस कोर्ट में डेढ़ सौ, दो सौ, ढाई सौ इतने मेम्बर हुआ करते थे। तो उसका परिणाम जो हुआ वह आप सब कमेटियों और कमीशन्स की रिपोर्ट में देख सकते हैं। उसके बाद यह सोचा गया कि इस दायरे से निकल कर एक छोटे से दायरे में वाइस-चांसलर की नियुक्ति सीमित कर दी जाय तो शायद इसमें इस प्रथा को ज्यादा प्रोत्साहन न मिलेगा। जिस समय इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल इस भवन के सन्मुख थे उस समय नारायणदत्त जी पूर्णतया दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रणाली के पक्ष में थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—गलत कह रहे हैं आप।

श्री हरगोविंद सिंह—मेरा ख्याल यह है, मुमकिन है गलत हो। मैं कोई आक्षेप आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं, आप घबरायें नहीं। जो भी हो, लेकिन उस वक्त भवन में जो प्रणाली डिसकस हुई वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी। मुमकिन है आपने कहा हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ राजस्थान का भी उतना अंग मान लिया जाय। लेकिन जो भी हो यह जरूर है कि मुझे यह अनुभव हुआ और उस अनुभव को आपके समक्ष कहने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है कि बावजूद इसके कि आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में वह चुनाव बहुत छोटे दायरे में कर दिया गया था, मेरा ख्याल है कि आगरा यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव में कोई २०–२१ आदमी थे लेकिन फिर उसमें जितनी भी कनवेसिंग संभव हो सकती थी वह सब की गयी और हुई। तो मेरा यह कटु अनुभव हुआ कि कम से कम इस प्रथा में भी यह दोष है कि इसमें भी कनवेसिंग की बहुत गुंजाइश है और जितने भी लोग वाइस-चांसलर के लिये कैंडिडेट हैं वे सब अपनी पहुंच के अनुसार दौड़ धूप लगा रहे हैं। तो जो राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में यह है कि जो आदमी वाइस-चांसलर शिप के लिये कनवेसिंग करता हो उस आदमी को कभी भी वाइस-चांसलर नहीं होना चाहिये, इसमें हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। यह मेरा कटु अनुभव उसमें हुआ। कोई कानून नहीं था, सरकार को या चांसलर को या किसी को यह अधिकार नहीं था कि वह यह कह दे कि चूंकि एक दो या चार, जितने उम्मीदवार हैं सब कनवेसिंग कर रहे हैं इसलिये ये वाइस-चांसलर नहीं होंगे। तो उसके बाद मेरा यह कटु अनुभव हुआ और मैंने यह समझा कि यूनिवर्सिटी में इस बात का प्रयत्न किया जाता है और जो प्रयत्न होना चाहिये कि उसमें कोई पार्टीबन्दी न हो, इसमें किसी प्रकार का कोक्स न बने तो कम से कम यह जरूर मैंने देखा कि उसकी रक्षा उस प्रथा के अन्तर्गत नहीं हो सकती।

तो यह एक तीसरी प्रणाली आपके सम्मुख इस बिल में उपस्थित है और उसमें केवल यह रखा गया कि एक्जीक्यूटिव के दो व्यक्ति और एक व्यक्ति चांसलर द्वारा नियुक्त यह कमेटी एक तीन आदमियों की सूची चांसलर के पास भेजें और चांसलर उसमें से किसी को नियुक्त कर

देंगे। राजस्थान ने यह कर दिया है कि ये तीन नाम एक्जीक्यूटिव के पास जायं और एक्जीक्यूटिव यह करे। मुमकिन है उसमें गलती मेरी हो। मैं यह नहीं कह सकता कि आपके देश में जितनी यूनिवर्सिटी हैं और जो-जो प्रणाली उन्होंने अपनायी हैं वे सभी गलती कर रही हैं। वह सभी ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से वाइस-चांसलर का चुनाव किया जाय जो इन सब चीजों के ऊपर हैं। तो उस ढूंढ और तलाश में जब हमने इस विधेयक में आपके संमुख देहली को ही यह रखा उसमें राजस्थान का भी प्रश्न हमारे सामने था लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे एक्जीक्यूटिव कौंसिल का कटु अनुभव प्राप्त हुआ कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में हद दरजे को कन्वेंसिंग हो सकती है और हुई, तो इसलिये मैंने एक्जीक्यूटिव कौंसिल को उससे हटा दिया। यही उसका कारण था क्योंकि अभी अगर कोई यह समझे कि नहीं यह बिलकुल ठीक बात है, उचित बात है, इसमें कोई दोष नहीं है, सबको अपनाना चाहिये और वाइस-चांसलर भी घर-घर जाकर वोट की भिक्षा मांगे, वोटों से चुने जाय इसमें क्या हर्ज है क्योंकि इस देश का शासन ही इसी आधार पर है, तब तो फिर उसके सामने हम कोई दलील नहीं रख सकते। लेकिन इसमें हम और आप एकमत हैं और मैं समझता हूं कि जरूर एक मत होना चाहिये कि वाइस-चांसलर को हम इससे परे रखें। इसी कारण देहली का पैटर्न रखा गया है।

उसमें एक दोष था, देहली वाले में भी एक दोष है और वह यह है कि अगर तीन आदमियों की कमेटी द्वारा एक सूची तैयार होकर चांसलर के पास जाय और चांसलर उससे असहमत हो तो फिर उसके बाद क्या होगा, इसका उसमें कहीं समावेश नहीं है। जो ऐक्ट है उसमें इस बात के लिये कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है। अगर चांसलर उसे नामंजूर कर देता है और फिर कमेटी को वापिस भेजता है और कमेटी भी अड़ जाती है कि उन्हीं को भेजेंगे तो फिर एक सिचुएशन हो सकती है, एक ऐसी अवस्था पैदा हो सकती है संकट की जिसमें देहली यूनिवर्सिटी में इसका कोई निकसाव नहीं था। तो इसलिये उसको नहीं रखा गया। हम यह चाहते हैं, इच्छा हमारी यही है परन्तु पता नहीं कि हम सफल भी होंगे या नहीं। जिस तरह से आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में मेरा यह विश्वास था शायद इसमें सफल हो जाऊंगा। जो लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में प्रथा लागू है उसमें भी वैसा है लेकिन इसमें अब जो एक मेथड ट्राई हो रहा है, पता नहीं वैसा टिकाऊ होगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें मुझे यह विश्वास है कि इसमें कम से कम नहीं के बराबर वाइस-चांसलर शिपके लिये कंन्वेंसिंग होगी और इसलिये हमने यह रखा कि दो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर होंगे और एक चांसलर का होगा लेकिन इसके बाद जो नवल किशोर जी ने आपके सामने संशोधन रखा है मैं समझता हूं कि वह शायद इससे ज्यादा अच्छा है इसलिये कि उसमें चीफ जस्टिस का एक नामिनी होगा, एक चांसलर का नामिनी होगा और एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल का नामिनी होगा और यह तीन व्यक्ति किन्हीं तीन आदमियों को चुनेंगे। तो वह ऐसे व्यक्ति होंगे। जो ऊंचे चोटी के होंगे जो उस पद को सुशोभित कर सकेंगे और जिनके प्रति लोगों में, जनता में विश्वास हो सकता है। यह इनके द्वारा जो तीन व्यक्ति नामिनेट होंगे, वे अच्छे होंगे और इसीलिये उसमें यह प्रतिबन्ध नहीं है कि चांसलर उसको लौटा सकता है।

यह जहां आप कह रहे हैं कि चांसलर को बड़ी पावर दी गई है वहां मैं तो आपके सामने यह बात पेश करता हूं कि जो सबसे महत्व का स्थान यूनिवर्सिटी में हो सकता है वाइस-चांसलर का, उसकी नियुक्ति के लिये चांसलर को केवल उन तीन लोगों में से ही एक को चुनने का अधिकार है और इसके अतिरिक्त कोई और अधिकार नहीं है। मैं तो दावा करता हूं कि किसी यूनिवर्सिटी ऐक्ट में इतनी कम पावर चांसलर की नहीं है जितनी कि इसमें है। लेकिन फिर भी अगर आप इस वक्त यह कहें कि यह १२ बजे रात है तो मेरे पास कोई आला नहीं है, कोई दलील नहीं है कि मैं इस बात को समझा सकूं कि यह १२ बजे दिन है। तो इसलिए एक बात मैं कहूंगा कि हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन अगर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो वह बुरा नहीं है। वह बुरा तब होता है कि जब अवस्था ऐसी हो कि जिसमें प्रतिबंध

[श्री हरगोविन्द सिंह]

नहीं लगाया जाना चाहिये । अगर प्रतिबंध की आवश्यकता कहीं है तो प्रतिबंध न लगाना ठीक न होगा । आप इन सस्थाओं से जो आशा करते हैं अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो या तो आप इन संस्थाओं को तोड़ दीजिये और नहीं तो इस बात का प्रयत्न कीजिये कि जो आशा आप इनसे करते हैं उसकी पूर्ति इन के द्वारा हो । इसी उद्देश्य के लिये, इसी आशा की पूर्ति के लिये इन संस्थाओं की स्थापना हुई है । इसी आशा की पूर्ति के लिये हम और आप असंख्य लोगों का धन इन संस्थाओं को देते हैं । तो अगर इस बात की आवश्यकता है और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमको इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी यह यूनिवर्सिटियां इन दलदलों से ऊपर रहें, उनमें पार्टीबंदी या गुटबंदी ऐसी न आये तो आपको इसका प्रयत्न करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । तो इसलिये जैसा मैंने कहा कि मैं यह दावा नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिये कि यह एक दोषरहित धारा है और जिससे हम यह आशा कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा वाइस-चांसलर हमको मिलेगा, लेकिन हम यह जरूर समझते हैं और ठीक समझते हैं, उचित समझते हैं कि अब यह जो खंड है उसके अनुसार आप वाइस-चांसलर की नियुक्ति रखें और जो फिलहाल अभी प्रणालियां चल रही हैं शायद उनसे अपेक्षाकृत यह अधिक उपयुक्त साबित होगी । इसलिये मैं, नवल-किशोर जी का जो संशोधन है, मंजूर करता हूं और जो तेजप्रताप जी का संशोधन है उसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ इतनी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि एक बजे खंडों पर विचार समाप्त होना है और बहुत से खंड हैं । तो जरा संक्षेप में ही माननीय सदस्य बोलें तो अच्छा है । क्योंकि भाषण जरा लम्बे से हो रहे हैं और इसके माने यह होंगे कि दो तीन खंड ही उस वक्त तक लिये जा सकेंगे ।

***श्री मोहनलाल गौतम** (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नवल-किशोर जी का संशोधन है उस में मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है । एक तो यह कि यूनिवर्सिटी के जो अपने अधिकार हैं वह छीने जा रहे हैं । मेरी राय में तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वह सही था और अगर उसमें कुछ खराबियां नजर आ रही हैं और आगरा का कटु अनुभव हमको बताता है कि वह ठीक नहीं था तो उसकी गहराई में हमको जाने की जरूरत होगी । मुमकिन है कि आगरा का जो कटु अनुभव है उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा हो और इस सदन के मेम्बरों का भी कुछ हिस्सा हो । उसमें आपकी आज्ञा के अनुसार मैं नहीं जाता क्योंकि समय कम है और अच्छा है कि हम उससे दूर रहें । जहां तक इसका संबंध है इसमें तीन आदमी नियुक्त करेंगे और अंत में चांसलर सेलेक्ट करेगा । चांसलर को इस तरह से परेशानी में डालना कि एक आदमी वह नियुक्त करेगा और फिर उनकी रेकमेंडेशन वह न माने, यह मेरे ख्याल में ठीक नहीं है । चांसलर जो कि फाइनली सेलेक्ट करेगा, उसको बिलकुल अलग रहना चाहिये शुरू के अप्वाइंटमेंट में और इसलिये उसका कोई आदमी उस कमेटी में न होना चाहिये ।

जहां तक चीफ जस्टिस का ताल्लुक है मेरी राय यह है कि इतनी ज्यादा तेजी से हम डेमोक्रेसी की ओर बढ़े कि हमारे बहुत से अनुभव कटु हो रहे हैं । कम से कम एक चीज अभी हमारे सामने है कि जुडीशियरी की अभी धाक है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास है और वह रहना भी चाहिये । मेरी समझ में चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के हैं वह इस चीज से अलग ही रखे जांय और अगर वह वाइस-चांसलर या ट्रेजरर बनते हुए दिखाई देंगे तो आगे हमें कटु अनुभव ही होंगे मुझे तो कम से कम यह चीज पसन्द नहीं है । जहां भी हाईकोर्ट के जज ट्रेजरर बने हैं, वह चीफ जस्टिस की राय से हुए होंगे और वही हर बात के लिए जिम्मेदार होंगे और जाहिर है कि वह उन की आज्ञा से हुए होंगे । ऐसी हालत में अगर वह कोई गलती करते हैं तो चीफ जस्टिस की ही जिम्मेदारी होगी । मैं तो चाहता हूं कि जजेज हाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोर्ट को इस चीज से अलग रखा जाय। मान लीजिए कि एक साहब जो हाईकोर्ट के जज वह ट्रेजरर बनाए गए और कल को वहां कोई झंझट पड़ गई, २ आदमी वहां गबन करें, एक आदमी एक हिस्से का गबन करता है और दूसरा दूसरे हिस्से का कुछ ज्यादा और फर्ज कीजिये कि सजा हो जाती है और वह मामला हाईकोर्ट में जाता है अपील के तौर पर और जो एक चीज एक हाईकोर्ट के जज ने ही की है उसके खिलाफ वह अपील हाईकोर्ट में जाती है तो क्या डिगनिटी रह जायगी? मैं समझता हूं कि हमारा जो विश्वास है, जो हाईकोर्ट की डिगनिटी है वह तबाह हो जायगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस और चांसलर को तो इससे अलग ही रखा जाय।

अगर शिक्षा मंत्री जी का यह खयाल है कि कोई कनवेंसिंग वगैरा वाइस-चांसलर के मामले में न हो तो उसके लिए वह कोई और रास्ता निकालें लेकिन चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के लोगों को इससे अलग रखें। मैं जानता हूं कि चुनाव के तरीकों में बुराइयां हैं और वह दूर होनी चाहिए और मैं मंत्रीजी की बुराइयों के दूर करने की स्वाहिश को भी एप्रीशिएट करता हूं, कोई भी सदस्य यह नहीं कहेगा कि बुराइयां वहां रहें, यह ठीक है बुराइयां डेमोक्रेसी की शुरुआत में हो सकती हैं अभी तो सभी जगह गवर्नमेंट कनवेंसिंग से चुनी जाती है और उलट पुलट हो रही हैं, उन बुराइयों को हमें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि चांसलर और चीफ जस्टिस को इस चीज से अलग रखा जाय, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तेज-प्रताप सिंह जी की तरमीम का समर्थन करना चाहता हूं। माननीय गौतमजी ने जिन बुनियादी प्रश्नों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है उनके हल का एकमात्र उपाय यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री तेजप्रताप सिंह जी की तरमीम को स्वीकार कर लें। कुलपति को जिन चीजों से हम अलग रखना चाहते हैं और जिनका जिक्र अभी गौतम जी ने किया है वह तेजप्रताप जी के तरमीम से सब ठीक हो जाती हैं। उन्होंने अपने संशोधन में यह रखा है कि जो कार्यकारिणी परिषद होगी वह एक नाम की सिफारिश कुलपति से करेगी और वह मेरिट पर ही एक नाम चुनेगी और वह जो कुछ करेगी वह काफी वाद-विवाद और छानबीन के बाद करेगी, इसलिए मैं समझता हूं कि हरएक दृष्टिकोण से चाहे वह मेरिट का दृष्टिकोण हो या छानबीन और पूरी जानकारी की बात हो वह हर तरह से देख कर एक नाम छांटेगी। यह तरीका हर तरह से लाभकर सिद्ध होगा। वाइस-चांसलर ही किसी यूनिवर्सिटी के प्रशासन की रीढ़ समझा जाता है। किसी भी वाइस-चांसलर के लिए एक्जीक्यूटिव का विश्वास पाना बहुत आवश्यक है और उसके विश्वास और निष्ठा को प्राप्त करके ही किसी यूनिवर्सिटी का प्रशासन सही मानों में चल सकता है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल की तरफ से ही एक राय से एक व्यक्ति की नामजदगी होकर वाइस-चांसलर के पद के लिए भेजा जाए।

यह बात जरूर है कि इस पद्धति में चुनाव का प्रवेश होता है और उस पद्धति में जो दिक्कतें और दोष पाए जाते हैं उनके घुस जाने का भी डर है। लेकिन आखिर यूनिवर्सिटी के संचालन की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पर ही मुख्यतः होनी चाहिए। और इसको ओटोनामी नाम दिया गया है। इसी की रक्षा के लिये पिछले जो यूनिवर्सिटी बिल आये थे, उनमें यह प्रश्न उठाया गया था। यूनिवर्सिटी वालों को यह सीखना चाहिए कि वह अपने विषय में और अपना प्रबन्ध कैसे कर सकते हैं। हम यह उनके ऊपर ही छोड़ें कि किस तरह से वाइस-चांसलर चुना जाता है, किन गुणों से विभूषित वाइस-चांसलर होना चाहिये। इसलिए मैं समझता हूं कि गौतम जी ने जिन दिक्कतों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है वे बुनियादी दिक्कतें हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय तेज प्रताप सिंह का संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा। इसके लिये मंत्री जी को जिद्द नहीं करनी चाहिए। माननीय नवल किशोर जी के संशोधन को मानने से तो वह दिक्कत और उभर कर हमारे सामने आ जायगी।

श्री तेजप्रताप सिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के उपकुलपति के चुनाव का महत्व अत्यधिक है और इसीलिये माननीय शिक्षा मंत्री ने इस पर काफी विचार भी किया है लेकिन मुझे कुछ ऐसी बात मालूम होती है कि वे किसी की बात को मानना ही नहीं चाहते हैं। मुझे वह युक्ति याद आती है कि किसी मर्ज को दूर करने के लिये जिसको वे मानते भी हैं, उसके इलाज के लिये कितने ही डाक्टरों को कंसल्ट तो करते हैं लेकिन किसी पर उनका विश्वास है नहीं। और अभी माननीय नवल किशोर जी ने जो नुस्खा रक्खा वे उसको स्वीकार करने जा रहे हैं। यह उनका तत्काल पेश किया हुआ नुस्खा है। इतनी बड़ी बीमारी के लिये ख्याति प्राप्त डाक्टर राधाकृष्णन कमीशन की बात को वह मानते नहीं हैं जिसने सर्वसम्मति से वाइसचांसलर के चुनाव के लिये एक नुस्खा प्रस्तुत किया था। मैंने अपना खुद नुस्खा रखने की धृष्टता नहीं की। बल्कि जो नक्शा मैंने प्रस्तुत किया है उसके पीछे बहुत बुद्धि और अनुभव है। मैंने तो एक ऐसे कमीशन का जो सुझाव था उसको माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने रख दिया है। अब वे जिस नुस्खे को मंजूर करने के लिये जा रहे हैं उसके बारे में भी उनको विश्वास नहीं है कि उनकी वह दिक्कत उससे रफा होगी या नहीं। यह तो इनकी हालत है। मैं समझता हूं कि इससे कोई हाल हमारे विश्वविद्यालय का सुधरने वाला नहीं है बल्कि बिगड़ने वाला है और जैसा माननीय गौतम जी और माननीय झारखंडेराय ने बताया कि चीफ जस्टिस को इस मामले में ड्रैग करना ठीक नहीं होगा। इसलिये हमें उसको इस चुनाव से अलहदा रखना चाहिये। इसके साथ ही साथ यह भी एक जबरदस्त प्वाइन्ट है कि जब चांसलर आखिर में नामिनेट करेगा तो वह उस एक्सपर्ट कमेटी में नामिनी क्यों रखे। इसके साथ ही साथ एक्जीक्यूटिव कमेटी भी एक नाम को भेज देगी। लेकिन इस प्रकार से वह ठीक न होगा। इसलिये जो चीज राधाकृष्णन कमीशन ने रक्खी थी उसी को मैंने रक्खा है। लेकिन माननीय मंत्री जी इधर उधर चल रहे हैं, किसी पर उनको इतमीनान नहीं है और विश्वास नहीं रह गया है, फिर हमारी हालत किस प्रकार से सुधर सकती है।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो आल्टरनेटिव प्रस्तुत किया था वह इस प्रकार से था कि मूथम कमटी ने जो सिफारिशें वाइस-चांसलर के बारे में कीं उसके मुताबिक चुनाव हो। मौलिक रूप से वह भी राधाकृष्णन कमीशन के ही भांति था। उसमें भी जो मौलिक सिद्धांत होते हैं उनकी अवहेलना नहीं की गयी है। उसमें बताया गया था कि दो सदस्य एक्जीक्यूटिव और एक एकडेमिक कौंसिल द्वारा चुने जायेंगे। इस प्रकार से तीन आदमियों की एक एक्सपर्ट कमेटी होगी। वह तीन आदमियों का पैनल बनायेगी। यह पैनल कार्यकारिणी के पास जायगा जो उनमें से एक नाम चुन कर कुलपति के पास भेज देगी। इस प्रकार से कुलपति का उसमें भी कहीं भी हाथ नहीं होता। यदि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि उससे मौलिक रूप से सिद्धांत की ताईद ही होती है और इस प्रकार से चुनाव यूनिवर्सिटी के हाथ में ही रहता है और तभी वह वाइसचांसलर विश्वविद्यालय के स्टाफ में कांफीडेंस इनवोक कर सकता है। अन्त में मैं फिर अपने संशोधन को प्रेस करूंगा और मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ख्याति प्राप्त लोगों ने जो नुस्खा प्रस्तुत किया है उसको वे आजमायें।

श्री नवलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि श्री नारायणदत्त जी का जो संशोधन है उसको मान लिया जाय। उसमें यह है कि दो मेम्बर एक्जीक्यूटिव के होंगे और एक एकेडेमिक कौंसिल का होगा। इस प्रकार से वह समिति एक्जीक्यूटिव की ही एक सब-कमेटी हो जायगी। और उसमें वही वायर पुलिंग होगी और इससे जो चुनावबाजी की दिक्कत होती है वह खत्म नहीं होगी। अभी माननीय गौतम जी ने कहा कि इसमें चीफ जस्टिस को क्यों खींचा जा रहा है। चीफ जस्टिस तो उस कमेटी के मेम्बर नहीं होंगे। वे एक आदमी को नामिनेट कर देंगे।

क्योंकि वे जुडीशियल हेड हैं इसलिये यह आशा की जाती है कि जो आदमी वे नामिनेट करेंगे वह भी स्टेटफारवर्ड होगा। तीसरे मैंने यह कभी नहीं कहा कि जो कुछ मैंने रक्खा है वह फूल प्रूफ है। जब कि और बहुत से एक्सपेरीमेंट्स हो चुके हैं, मैंने भी यह एक एक्सपेरीमेंट के तौर पर रक्खा है। लेकिन इस पर जो आपत्तियां की गयीं वे कुछ माने नहीं रखतीं।

श्री अध्यक्ष—(माननीय शिक्षा मंत्री से) आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री हरगोविंद सिंह—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (५) को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"(५) कार्यकारिणी परिषद् केवल एक व्यक्ति के नाम की सिफारिश कुलपति से करेगी, जो उसे उपकुलपति नियुक्त करेगा या पुनर्विचार के लिये वह कार्यकारिणी परिषद् को कह सकता है, परन्तु वह स्वयं स्वविवेक से इसके लिये कोई सुझाव न देगा और न इसकी नियुक्ति ही करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १२ के उपखंड (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(६) उपधारा (५) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे जिनमें से एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित ऐसा व्यक्ति होगा जिसका संबंध विश्वविद्यालय, किसी घटक कालेज या किसी सम्बद्ध कालेज से न हो, दूसरा वह व्यक्ति होगा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति (Chief Justice) द्वारा नियुक्त किया जाय और तीसरा कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्त होगा। कुलपति द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति समिति का सभापति (Chairman) होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, इसमें जो छपा है वह कुछ गलत छपा है। उसमें १-२ शब्द गलत हो गये हैं, उनको ठीक करके मैं पढ़ रहा हूं। मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड १२ के उपखंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(८) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्ति छः मास से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो उसकी पूर्ति यथासंभव उपधारा (५) और (६) के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।"

इसकी भाषा में जो गलती थी उसको मैंने ठीक कर दिया है वैसे प्रस्ताव वही है। इसमें विशेष कहने की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—राय लेने के लिये उस संशोधन को मुझे उपस्थित करना है इसलिये वह मेरे पास आ जाय।

श्री नवलकिशोर—मैं उसे भेजे देता हूं।

श्री हरगोविंद सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(८) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्ति छः मास से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो उसकी पूर्ति, यथा-संभव उपधारा (५) और (६) के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (६) की पंक्ति १ में शब्द "प्रबन्ध" के स्थान पर "रिक्ति की पूर्ति" रख दिये जायं। यह केवल शाब्दिक संशोधन है।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—हां मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (६) की पंक्ति १ में शब्द "प्रबन्ध" के स्थान पर शब्द "रिक्ति की पूर्ति" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

उप-कुलपति के अधिकार और कर्तव्य।

१३—(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में कोर्ट के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा। वह कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उस विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकारी (Authority) या संस्था के अधिवेशनों की कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस उपधारा के कारण, उसे उस सभा में मत देने का अधिकार न होगा।

(२) उप-कुलपति का कर्तव्य यह होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ३१ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उप-कुलपति को कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित (delegate) कर सकता है।

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय, घटक कालेजों तथा संबद्ध कालेजों के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) उप-कुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकरी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही कर सकता है और जब कभी आवश्यक हो उसे निलम्बित (suspend) भी कर सकता है। यदि उप-कुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन संबंधी कार्यवाही आरम्भ की गई हो और मामला उसके मतानुसार—

(क) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन-वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड (punishment by dismissal, removal, stoppage of increment or reduction in emoluments) देना आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ;

(ख) ऐसा हो जिसके लिये पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायंगे, और जिनमें एक उच्च न्यायालय का जज हो या रहा हो, उसकी जांच करेगा।

(६) किसी ऐसे मामले में, जिसमें उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन जांच की गयी हो, उपकुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी परिषद को प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करेगा। यदि उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन उप-कुलपति तथा उसके साथ संयुक्त रूप से जांच करने वाले व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जाने वाली सिफारिशों के संबंध में कोई मतभेद हो, तो सिफारिशें बहुमत के अनुसार व्यक्त की जायंगी, कार्यकारिणी परिषद् प्रतिवेदन (report) में की गयी सिफारिशों के अनुसार यदि वह उनसे असहमत नहीं है—आज्ञा देगी। असहमत होने की दशा में कार्यकारिणी परिषद् अपनी सिफारिशों के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी और तब कुलपति ऐसी आज्ञा दे सकेगा, जिसे वह उचित और आवश्यक समझे।

(७) किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति (emergency) में, जिसमें उप-कुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य संस्था को देगा, जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उप-कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा, जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(८) यदि उपधारा (५) के खंड (क) या उपधारा (७) के अधीन उप-कुलपति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गयी हो, ३० दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील कर सकता है।

(९) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलम्बन (suspension) और पदच्युति के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दी गयी आज्ञाओं को उप-कुलपति कार्यान्वित करेगा।

(१०) उप-कुलपति दीक्षान्त समारोह में ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति उपस्थित हो तो वह ही किन्हीं या समस्त उपाधियों को प्रदान करेगा।

(११) उप-कुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जायं।

श्री नवलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (४) की पंक्ति १ में शब्द "घटक कालेजों" हटा दिये जायं। मैं समझता हूं कि इन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, ये अनावश्यक हैं क्योंकि घटक कालेज तो स्वयं ही विश्वविद्यालय के अन्दर है।

डाक्टर सीताराम---स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (४) की पंक्ति १ में शब्द "घटक कालेजों" हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं उपखंड (५) से ले कर उपखंड (९) तक एक ही साथ रख देना चाहता हूं ताकि ज्यादा समय न लगे।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

श्री तेजप्रताप सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (५), (६), (७), (८) और (९) निकाल दिये जायं।

इन उपखंडों के द्वारा अध्यक्ष महोदय, वाइस-चांसलर को ऐसी शक्तियां दी जा रही हैं जिसको कहा तो यह जाता है कि अनुशासन को कायम करने के लिये है लेकिन प्रैक्टस में मैं समझता हूं कि जिसका प्रभाव बिलकुल दूसरा ही होगा। इसके बारे में बराबर हम लोग यह मांग करते आये हैं कि वाइस चांसलर को अनुशासन कायम रखने के लिये इतनी अधिक शक्तियां न देनी चाहिये। आप जैसे गौर करेंगे कि अगर किसी तरह अध्यापक को या किसी अफसर को निकालना है, वाइस-चांसलर को या डिसमिस करना है तो उसके संबंध में एक कमेटी वाइसचांसलर नियुक्त करेगा। वह तीन आदमियों की कमेटी होगी। उस कमेटी में वाइस-चांसलर खुद रहेंगे और एक हाईकोर्ट के जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे और एक तीसरा व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी स्टैट्युट्स में व्यवस्था की जायगी कि किस तरीके से उसकी नियुक्ति हो। इस प्रकार से तीन आदमियों की यह कमेटी नियुक्त होगी जिसको यों कह सकते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनेगी। उसमें विचार किया जायगा कि अध्यापक ने क्या गलती की है और उसके ऊपर क्या अनुशासन की कार्यवाही की जाय। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के पास भेज देगी और वह बहुमत के बल पर भेजी जायगी। अगर वाइसचांसलर या कमेटी के दूसरे सदस्यों में मतभेद हुआ तो बहुमत की वह रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद के पास भेज दी जायगी। वहां भी यदि मतभेद हुआ तो उस हालत में चांसलर के यहां वह सारा मामला भेज दिया जायगा। यदि उसमें मतभेद नहीं हुआ तो कार्यकारिणी परिषद् को ही अख्तियार होगा कि उसके बारे में ऐक्शन ले सके। तो इस प्रकार से अध्यापक वर्ग पर मैं समझता हूं बहुत खराब असर होगा।

एक तो जैसा कि उसकी नियुक्ति के बारे में अभी हम तय कर चुके हैं और जिससे कि मेरा बहुत गहन मतभेद है, बाहरी लोगों द्वारा उपकुलपति का चुनाव नहीं होना चाहिये। उससे यह और भी सिद्ध हो जाता है कि जितने अध्यापक होंगे या जो उस यूनिवर्सिटी

के पदाधिकारी होंगे, उनका कोई कांफीडेंस वाइस-चांसलर पर नहीं होगा क्योंकि वह बाहर के लोगों द्वारा चुना जायगा और न वह कांफीडेंस ही इंसपायर कर सकेगा। तो अब होगा क्या? अब यहां पार्टीबन्दी शुरू होगी कि जिस अध्यापक के खिलाफ वाइस-चांसलर होगा उसके ऊपर एक डिसिप्लिन का मामला उठ खड़ा होगा और वह कमेटी में मामला पेश होगा और अन्ततोगत्वा चांसलर के यहां मामला चला जायगा। तो जिस वातावरण में विश्वविद्यालय के अध्यापक को रहना चाहिये उस वातावरण में वह नहीं रह सकेगा। हम महसूस करते हैं कि उच्च शिक्षा के लिये वातावरण बहुत ही स्वतंत्र होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदस्य यहां पर बातें अधिक कर रहे हैं। गौतम जी को इस कारण अपने स्थान से उठना पड़ा। कृपा करके जरा लोग और शांत हो जायं।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, विचार के लिये मैं अपनी बातें रख ही रहा हूं। लेकिन उस पर विचार नहीं हो रहा है। हालांकि यह सदन पर आक्षेप सा है।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसीलिये माननीय सदस्य की तवज्जह दिला दी।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं यही कह रहा था कि एक गलती तो हम कर गये। मैं तो गलती कहने की ही धृष्टता करूंगा कि वाइस-चांसलर के चुनाव की पद्धति के बारे में अगर हम इस प्रकार चुनाव कर रहे हैं, तो कम से कम ये जो टेरोराइजिंग इफेक्ट रखने वाली धारायें हैं और जिनको अनुशासन का गार्ब ओढ़ा दिया गया है कम से कम उसी को हटा दें। तो मैं तो जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि धारा १३ के जो उपखंड (५) से (९) तक हैं उनको निश्चित रूपेण ही निकाल देना चाहिये; अन्यथा कोई भी भला अध्यापक रह नहीं जायगा और इसका अनुभव भी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अच्छे भले अध्यापक निकलते चले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विश्वविद्यालयों की क्या दशा होगी जब इस तरीके के उपबन्ध और उपखंड हम रखेंगे और ये सारी शक्तियां वाइस-चांसलर में केंद्रित कर देंगे? जब कि बाहरी एजेंसी द्वारा चुना होगा तब तो हम समझते हैं कि विश्वविद्यालय में वह स्वतंत्र वातावरण नहीं रह सकेगा और न फिर वहां की शिक्षा दीक्षा ही अच्छी तरह से हो सकेगी और न फिर वहां क्वालिटी अच्छी रहेगी। जब अध्यापक अच्छे नहीं होंगे, स्वतंत्र विचार के अध्यापक वहां रह नहीं सकेंगे तो विद्यार्थी भी अच्छी शिक्षा नहीं पा सकेंगे। तो जहां आप कहते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिये, वहां आप उसके विरुद्ध यह कदम उठा रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं फिर शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन उपखंडों को वह निकाल दें और विश्वविद्यालयों का भला करें और क्वालिटी अच्छी बनाने में सहायक हों।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर डिसिप्लिन की बड़ी डिमांड है। जिस कान में जाइये हर आदमी कहता है कि अनुशासन देश में नहीं है, अनुशासनहीनता हर जगह दिखाई देती है, हमारी यूनिवर्सिटीज में भी दिखाई देती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी गत मास में, अप्रैल के महीने में मैं कानपुर जा रहा था। इत्तफाक से यहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी मुझसे मिले जो एम० ए०, एम० एस० सी० फर्स्ट क्लास के थे। लेकिन उनके क्रिटिसिज्म को जब मैंने सुना तो अध्यक्ष महोदय मैंने उनसे कहा कि आज जो समाज के एक टाप मोस्ट आदमी हैं, जो कि बेस्ट ब्रेन समझे जा सकते हैं, जब आपकी यह दशा है तो वह जो गंवार हमें गालियां देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, या बाजारू आदमी क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैंने उनसे इतना ही कहा कि क्षमा बड़न को चाहिये छोटन को उत्पात। उसके बाद उनका मुंह बन्द हो गया। यह तो जिनका बेस्ट ब्रेन है, जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर है, उनकी यह मनोवृत्ति

[श्री शिवनारायण]

है। यह लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की हालत है, किसी ऐसे गैरे स्थान के स्टूडेंट नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं डिसिप्लिन के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से गवर्नमेंट के इंस्टाट्यूशंस हैं, उनके यहां की डिसिप्लिन प्राइवेट इंस्टाट्यूशंस से फार बेटर हैं, मैं स्वयं एक अध्यापक हूं, मुझे इसका अनुभव है।

श्री अध्यक्ष—संशोधन का समर्थन कर रहे हैं आप?

श्री शिवनारायण—मैं उनका विरोध कर रहा हूं, मान्यवर। माननीय तेजप्रताप सिंह जी इमरजेंसी को नहीं रखना चाहते हैं, कोई कंट्रोल नहीं रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बिलकुल फ्रीडम रहे, वहां पर पार्टी पालिटिक्स चले। यहां पर हम लोगों ने पिछले चार पांच सालों में देखा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स ने क्या-क्या आदर्श हमारे सामने रखे हैं? वह किसी से छिपे नहीं है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, समय बहुत कम है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इमरजेंसी रहे, इसके अन्दर उसका रहना जरूरी है। गवर्नमेंट ने यह एक नया स्टेप लिया है। हम एक नयी यूनिवर्सिटी और एक नये फार्म की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ सबसे अलग एक नयी यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं और नयी प्रणाली का उसमें प्रयोग करने जा रहे हैं तो हम उसको भी इसमें रखकर देखें कि हम उसमें कहां तक कामयाब होते हैं। तो जो बिल में बातें हैं वह बिलकुल सही हैं और मुनासिब हैं। मैं माननीय तेजप्रताप सिंह जी का विरोध करता हूं।

***श्री मोहनलाल गौतम**—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय तेज प्रताप जी ने संशोधन रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरह का प्राविजन कि वाइस-चांसलर किसी भी प्रोफेसर के खिलाफ वाह जितना भी सीनियर वह हो, चाहे जितना काबिल हो, उसके खिलाफ इस तरह से डिसिप्लिनरी ऐक्शन ले सके, दुनिया को किसी यूनिवर्सिटी में शायद नहीं मिलेगा। यहां भी हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं और इसकी आज क्या जरूरत महसूस हो गई, यह समझ में नहीं आता।

श्री हरगोविंद सिंह—यह कमेटी की रिपोर्ट है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह कमेटी की रिपोर्ट जरूर है। यह डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरह की कमेटी बनाई गई और मिनिस्ट्री के ऊपर बनाई गई और इस हाउस के ऊपर बनाई गई तो मेरे ख्याल से हम सब शायद इस जगह से निकाल दिये जायेंगे। इसलिये डेमोक्रेसी के शुरू के स्टेजेज में कुछ गलतियां हों तो उनको दूर करने का तरीका यह नहीं है कि हम इस तरह के वाइस-चांसलर बना दें जो कि लेक्चरर होने के योग्य भी न हों और फिर वह वहां के सीनियर प्रोफेसर और डीन्स के खिलाफ जिनके कि वह स्टूडेंट की भी हैसियत नहीं रहते हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से चाहें उस तरह से डिसिप्लिनरी ऐक्शन ले सकें यह कोई प्राइमरी स्कूल का या हाई स्कूल का या पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का कांस्टीट्यूशन बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। दुनियां के किसी कोने में किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं नहीं जानता कि कोई इस तरह का प्राविजन है। मैं कोई एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता जो शिक्षा मंत्री जी करेंगे लेकिन जो मोटे सिद्धांत हैं उनको मैं समझता हूं और उनको सामने रखता हूं।

पिछले ३५ सालों में लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत महसूस हुई, मुझे मालूम नहीं, इलाहाबाद में कोई जरूरत महसूस हुई, मुझे मालूम नहीं और फिर जो रखा गया है वह क्या कि वाइस-चांसलर होंगे। वह एक तो नामिनेट करेंगे हाईकोर्ट का जज या उसकी हैसियत का आदमी और फिर वाइस-चांसलर और वह आदमी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तीसरे को नामिनेट करेंगें, यानी वाइस-चांसलर ऐंड हिज नामिनी, ऐंड दि थर्ड विल बी नामिनेटेड बाई हिम ऐंड नामिनी आफ दि वाइस चांसलर, यानी वाइस-चांसलर, प्लस व इस चांसलर, प्लस वाइस चांसलर, और वही कार्यवाही सब करेंगे और छोटे मोटे अगर वार्निंग वगैरा, डिस्मिसल वगैरा नहीं हुआ तो वह खुद कर लेंगे। इससे बहुत काफी नुक्सान होगा और अच्छे प्रावीज़न्स का रहना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस क्लाज की बिलकुल जरूरत नहीं है और कोई रास्ता निकाला जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ जो संशोधन पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं शायद समय की बचत के लिये इस संशोधन के समर्थन में बोलना उचित न समझता, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने मूथम कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों की सेवा में उपस्थित की यह दिखलाया कि यह लिखा हुआ है तो मुझे बोलने के लिये खड़ा होना पड़ा। माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह याद है कि जिस स य लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल पर यहां विचार हो रहा था उस समय जब यह कहा गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक में भी वही बातें क्यों नहीं रखीं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक में थीं, तो उस समय सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि मूथम कमेटी तो केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये बनी हुई है।

श्री हरगोविंद सिंह—यह गलत है, यह किसी ने नहीं कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपको कोटेशन पढ़कर सुना सकता हूं। श्रीमन्, आपको अच्छी तरह याद है कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सी चुनाव की पद्धति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये रखी गयी है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं रखी गयी और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये ऐक्ट में रखा गया था, यह कह कर कि वहां की विशेष स्थिति की जांच करने के लिये मूथम कमेटी बैठी थी, इसलिये केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में ही उस कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जायगा ; तो जब हम आज एक नयी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जिस में कोई पार्टीबन्दी नहीं है, और हम यह कहते हैं कि हम एक नये प्रकार के सुधारवादी ढांचे को आमंत्रण कर रहे हैं जिसमें ऐसी पार्टीबन्दी की गुंजाइश नहीं है, तो फिर वहां पर ऐसा सख्त विधान रखने की क्या आवश्यकता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो कई वर्ष से कुछ मामले चल रहे थे और एक विशेष प्रकार का ग्रुप बन गया था, वहां एक विशेष प्रकार का विधान था, उससे वहां उस पार्टीबाज़ी को प्रेरणा दी और इसलिये उस परिस्थिति को सुधारने के लिये वहां इस प्रकार का विधान रखा गया। और हमने तो उसका भी विरोध किया था कि हम इसको अनुचित समझते हैं लेकिन हम तो सरकार की दृष्टि से कहते हैं कि जो परिस्थिति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थी वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी की हालत नहीं मानी जा सकती। वहां अभी प्राध्यापक बनने हैं। वहां के प्रोफेसर नये, एग्जिक्युटिव कौंसिल नये ढंग से बनने जा रही है तो वहां उस प्रकार के अवगुणों का सर्वथा अभाव है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पैदा हो गये थे। तो फिर क्या जरूरत है कि जो हमने इलाहाबाद में या आगरे में विधान रखा वह यहां भी रखें। यह बिलकुल अनावश्यक है। हां, अगर दुर्भाग्य की वजह से यूनिवर्सिटी की हालत बिगड़ जाय, पार्टीबन्दी कायम हो जाय और ऐसी खराब परिस्थिति उत्पन्न हो जाय जिसका सुधार न हो सके उस समय इस बात की आवश्यकता पड़ सकती है, कई सालों के बाद, कि हम फिर यह सोचें कि उस ऐक्ट में हम कुछ परिवर्तन करें, इस तरह का विधान करें कि न करें।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी में यह विधान नहीं है जो गोरखपुर में रखा गया। आगरा भी अफिलिएटिंग-टीचिंग यूनिवर्सिटी है। उसमें इस प्रकार का कोई विधान नहीं है जो आज वाइस-चांसलर को अधिकार दे रहे हैं। अगर कोई अध्यापक गलती करता

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हं तो उसका दंड देने की अधिकारी एग्जिक्युटिव कौंसिल है। इसमें एग्जिक्युटिव कौंसिल के अधिकार को हम छीन रहे हैं। अगर कोई शिकायत आती है तो एग्जिक्युटिव कौंसिल विचार करे, वही सर्वमान्य संस्था है और हमेशा मानी गई है। तो जितने अधिकार मौजूद हैं, फिर वाइस-चांसलर को इस प्रकार असाधारण अधिकार देना, यह कहां तक उचित है। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की विशेष स्थिति को देखते हुये, इस नवीन संगठन के दृष्टिकोण से और वहां एक अच्छी परम्परा कायम करने के दृष्टिकोण से एक गेस्चर के रूप में इसको वापस ले लें और इस खंड को ही विदड्रा कर लें।

श्री हरगोविंद सिंह--श्रीमन्, बहुत सी बातें इस संशोधन के संबंध में कह दी गईं। एक तो गौतम जी ने आशंका प्रकट की कि अगर डेमोक्रेसी में इस प्रकार का प्रतिबन्ध रखा जायगा तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती।

श्री मोहनलाल गौतम--यह मैंने नहीं कहा।

श्री हरगोविंद सिंह--मैंने, जो उन्होंने कहा उससे अपनी तुच्छ बुद्धि से, यह समझा कि शायद यह किसी डिमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हम कांस्टीट्यूशन बना रहे हैं। दूसरी बात नारायण दत्त जी ने कही कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ प्राविजन्स थे वह लखनऊ में नहीं थे। यह बात सही है। मैंने समझा कि शायद वे इस तरह कह रहे हों तो यह तो दोनों बिलों में है इलाहाबाद में भी और लखनऊ वाले में भी ऐसा प्राविजन है लेकिन बहुत से ऐसे प्राविजन्स हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल में है लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल में नहीं हैं और बहुत से ऐसे हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल में हैं लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल में नहीं है। उसका कारण स्पष्ट है। उस समय भी स्पष्ट कर दिया था और मैं उनकी जानकारी के लिये इस बात को आज भी स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि मैं यह जानता भी हूं कि वह उस जानकारी से लाभ नहीं उठा सकते। यह बिल जब बने थे तब दोनों यूनिवर्सिटीज के पास भेजे गये थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास और लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल को लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास भेज दिया गया था और उनकी जो सिफारिशें थी उन पर अमल किया गया जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात ले लीजिये। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने यह बात कही कि हमारे यहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहे उनके यहां वह है और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे यहां नहीं होना चाहिये उनके यहां नहीं रखा गया है। तो इस कारण मतभेद था और इस कारण नहीं था जिसकी ओर वे शायद आपका ध्यान दिलाना चाहते थे।

गौतम जी ने यह कहा कि कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये वहां के स्टाफ और टीचर्स के ऊपर क्योंकि अगर प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा तो स्वतंत्रता से प्रोफेसर्स काम नहीं कर सकते। वाइस-चांसलर बे पढ़ा लिखा होगा और डीन्स पर ऐक्शन ले सकता है। तो बहुत दिन से इस देश में एक कानून बना हुआ है जिसका नाम इंडियन पैनल कोड है। बहुत दिन से, शायद जब से यह दुनिया है तब से कहीं ऐसी दशा तो शायद जंगली अवस्था में रही हो लेकिन जब से मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ तब से यह जरूर किया गया कि समाज में रहने के कुछ नियम बनाये गये। इंडियन पैनल कोड भी बना कि अगर फलां काम करोगे तो यह सजा दी जायगी तो इस कारण यह कह दिया जाय कि सारा वातावरण दूषित हो गया या इस कारण इंडियन पैनल कोड का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि सब वातावरण देश का दूषित हो गया है और उसमें हम स्वतंत्र रह नहीं सकत यह इस दलील का मतलब हो गया। आखिर इसमें जो यह खंड है वह क्या है । खंड यह है कि अगर यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी के शासन की जिम्मेदारी है और जिसके

उपर उसके संचालन का कार्यभार है वह यदि देखता है कि कोई यूनिवर्सिटी का आफिसर या स्टाफ का व्यक्ति इंडिसिप्लिन का दोषी है तो उसके विरुद्ध ऐक्शन ले सकता है यदि वह कार्य जो उसको दिये हुये हैं उनको न करके दूसरे कार्य करता है और आगरा यूनिवर्सिटी में इस वजह से यह नहीं आया कि उस वक्त मूथम कमेटी रिपोर्ट नहीं आयी थी। मैं उससे बड़ा अनभिज्ञ था। लेकिन जब मूथम कमेटी ने यह लिखा कि आज यूनिवर्सिटीज में यह हालत है और कोई ऐसी अथारिटी होनी चाहिये जो इन टीचर्स पर इनडिसिप्लिन का ऐक्शन ले, इसलिये कि यहां बिलकुल एक अराजकता सी फैली हुई है, कोई टीचर वाइस-चांसलर को प्रेस में गाली देता है, कोई कुछ करता है। जहां उन्होंने यह बताया कि किसने कितना काम किया तो वह एक लज्जाजनक चैप्टर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह नहीं कहा जो आप कह रहे हैं।

श्री हरगोविंद सिंह---जो आप कह रहे हैं वह नहीं है फिर। उसने कहा कि ये-ये टीचर्स के काम हैं। इतने रिसर्च किये, इतने पेपर्स छपे और उन्होंने कहा कि इस तरह से इनएफिशेंसी है। तो यह जो लगाया गया वह वाइस-चांसलर को यह अख्तियार दिया गया और उसको देना चाहिये आप किसी चीज को किसी का हेतु तो बना दें लेकिन अख्तियार उसको कुछ न दें। उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डाल दें कि तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी के संचालन की जिम्मेदारी होगी, उसके अन्दर डिसिप्लिन की जिम्मेदारी होगी लेकिन उससे कह दें कि तुम्हारे पास कोई अख्तियार नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते। तो उससे तो काम चल नहीं सकता। जिम्मेदारी के साथ-साथ आपको उसे अख्तियार भी देना होगा।

तेज प्रताप जी ने एक और बड़ी नयी बात कही कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से सभी लोग भागे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक वर्ष हुआ जब लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में यह धारा लगायी गयी थी। एक साल के अन्दर कौन गया, मुझ तो इसका पता नहीं, वही जानते होंगे। हां, यह मैं जानता हूं कि जो लोग यहां से रिटायर हुये उन्हें दूसरों ने बुला करके रखा। फिर अगर किसी प्रोफसर को, डीन को, लेक्चरर को इनडिसिप्लिन नहीं करना है, हमको चोरी नहीं करना है तो फिर चोरी की जो कुछ सजा हो हमसे क्या मतलब है। वह तो जब आप वह जुर्म करेंगे तब उस सजा के भागी होंगे आपके कहने का मतलब यह है कि चाहे कितनी ही इनडिसिप्लन हो यूनिवर्सिटी में, कोई प्रोफसर चाहे जो कुछ करे, स्टाफ का मेम्बर चाहे जो कुछ करे। वाइस-चांसलर को कोई अख्तियार नहीं होना चाहिये। फिर इसमें जो प्रतिबन्ध रखा गया है गौतम जी की शंका उससे दूर हो सकती है कि अगर उसमें ग्रेड घटाना या डिसमिसल नहीं है तो वाइसचांसलर इसको नहीं करेगा और अगर वह यह समझता है कि इसका चार्ज इतना गम्भीर है कि इसको यूनिवर्सिटी में नहीं रखना चाहिये, यह यूनिवर्सिटी के लिये हितकर नहीं होगा, यूनिवर्सिटी को इसके कारण बड़ा धक्का पहुंचेगा तो मैं समझता हूं कि ठीक है, एक कमेटी द्वारा जिसमें एक हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वह रिटायर्ड हों या काम कर रहे हों रख कर इसका निर्णय हो। और वह निर्णय भी एग्जीक्युटिव के पास जायेगा और अब एक्जीक्युटिव और वह कमेटी दोनों ऐग्री नहीं करेंगे तब चांसलर के पास जायगा। इतने प्रतिबन्ध के साथ यह दिया गया है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगर इनडिसिप्लिन पैदा हो तो क्या तरीका उसके लिये होगा। आपने कोई संशोधन भी नहीं रखा है। तो आपका मतलब यह है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हर एक स्वतंत्र हो, जो चाहे सो करे, वाइस-चांसलर को दो हजार या जो तनख्वाह तय होगी वह दी जायगी और उसको कोई अख्तियार नहीं होगा। वह यह भी नहीं कह सकता कि तुम इस काम में न पड़ो। मुझे खुद इस बात का अनुभव है। जिस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक लड़के द्वारा अनशन हो रहा था, मैंने स्वयं देखा और मेरे पास टीचर्स आये दो ग्रुप के। एक ग्रुप कहता था कि अनशन ठीक है, जरूर होना चाहिये और दूसरे

[श्री हरगोविंद सिंह]

ने कहा कि अनशन नहीं होना चाहिये। भला बतलाइये जहां यूनिवर्सिटी में टीचर्स अनशन के लिये भी प्रोत्साहन दें कि यह अनशन होना चाहिये तो मैं समझता हूं कि वहां वाइस-चांसलर को यह अख्तियार होना चाहिये कि वे ऐसी चीजों में ऐक्शन जरूर लें और ऐसे लोगों से यूनिवर्सिटी क. मुं त दिला दें तो यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा काम कर सकेगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री झारखन्डे राय--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात अगर स्वीकार कर ली जाय तो मैं समझता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वात.वरण भी इसी प्रकार का हो जायगा जैसा कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। माननीय शिक्ष. मंत्री जी की स्पीच को सुनकर और खासकर उनकी स्पीच के आखीरी हिस्से को सुनकर मेरा दृढ़ विश्वास हो रहा है कि अपने मत से विभिन्न मत रखने वाले तबके का या पूरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को डिमोलिटिकलाइज करने का प्रयास है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह थोड़ी है। आज के डिमोक्रैसी के जमाने में हर व्यक्ति को चाहे वह यूनिवर्सिटी का टीचर हो चाहे कोई भी हो, अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन इस क्लाज के पास हो जाने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके जरिये यूनिवर्सिटी टीचर्स पर आइरन ग्रिप रखना चाहते हैं। वह फौलादी पकड़ यूनिवर्सिटी के ह. टीचर के गले पर रहेगा और यूनिवर्सिटी में शुरू में जो एक स्वस्थ वातावरण स्थापित करना चाहिये उस. का गला घोंट दिया जायगा। अग. माननीय शिक्षा मंत्री जी पुलिस मन्त्री होते और यह भाषण दिये होते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता लेकिन शिक्षा मन्त्री जी होकर अगर वे ऐसी बातें कहते हैं तो वह अनुचित है। वे चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर केवल यस मैन ही रखकर उनको डिटा करते जायं और डिटोवाद के अनुयायी हों, यह उचित नहीं है। अगर कोई टीचर इनडिसिप्लिन करेगा तो उसको सजा देने के लिये हमारी सरकार के पास बहुत से कानून बने हुये हैं जिनके अर्न्गत उसे दंडित किया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि डिसिप्लिन के नाम पर शुरू में ही इस धारा को रखकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वातावरण को दूषित कर देना उचित नहीं है। इसलिये मेरी अपील है कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री तेज प्रताप सिंह--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अब कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि मैं काफी कह चुका हूं और मुझसे ज्यादा दूसरे माननीय सदस्य जो बोले वे कह चुके हैं। मैं अब समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की राय इन भाषणों के बाद बदल गई होगी और वे इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--भाषणों या केवल एक भाषण से ?

श्री तेज प्रताप सिंह--मेरा मतलब राय से है।

तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसे स्वीकार अवश्य कर लेंगे। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जैसा कहा कि एक नई यूनिवर्सिटी हमारे सामने आ रही है तो इसलिये पहले से ही हम क्यों यह समझ लें कि वहां ये सब सारी चीजें होंगी। एक मिसाल के बतौर हम पहले से ही यह क्यों समझ लें कि जो बच्चा पैदा होगा वह टी० बी० जर्म्स युवक पैदा होगा इसलिए उसकी दवादारू का पहले से ही प्रबन्ध कर लिया जाय। मुझे यह अत्यन्त अनुचित प्रतीत होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि पहले से इन सारी व्यवस्थाओं को करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिये वे हमारे संशोधनों को मानने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (५), (६), (७), (८) और (९) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

१४—(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्ति कोषाध्यक्ष किया जायगा :—

(क) कार्यकारिणी परिषद् यथाशक्य उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और जब कभी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी।

(ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत करने के लिये कार्यकारिणी परिषद में प्रस्तावित किया गया हो, तीन से अधिक न हो, तो परिषद इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी, किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो परिषद् इस प्रकार प्रस्तावित नामों में से तीन नाम एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित करेगी।

(ग) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। अन्य दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा, जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये हों।

(२) कोषाध्यक्ष ६ वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा और उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर भी उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय। उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक (यदि कोई हो) मिलेगा, जो परिनियमों द्वारा नियत किया जाय।

(३) धारा १२ की उपधारा (२), (३), (८) तथा (९) में उल्लिखित त्यागपत्र, पारिश्रमिक से भिन्न सेवा की अन्य शर्तों, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा साम्प्रतिक कर्त्तव्यों के सम्पादन संबंधी व्यवस्थायें, आवश्यक परिवर्तनों सहित, कोषाध्यक्ष के पद के संबंध में लागू होंगे।

(४) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा विनियोजित धनराशियों (Investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में परामर्श देगा। वह वार्षिक तखमीनों (जिन्हें इस अधिनियम में बजट कहा गया है) तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) कोषाध्यक्ष का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा ।

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनियोजन (Investments) के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में कोई ऐसा व्यय न किया जाये जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने देना जो किसी परिनियम या अध्यादेश के निबंधनों (terms) का उल्लंघन करे, या जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो, किन्तु की न गई हो।

श्री तेज प्रताप सिंह—मैं श्री जोरावर वर्मा जी का संशोधन पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—जब १ बजने में १० मिनट रह जायेंगे तब मैं खंडों पर विवाद रोक दूंगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं बहुत जल्द ही खत्म कर दूंगा। मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिये जायं –

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई अर्थशास्त्री (Financial Expert) ही कोषाध्यक्ष हो सकेगा:

और प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी राज्य कर्मचारी अथवा किसी सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य इस पद के लिये अनर्ह होगा।"

जैसी कि दलील माननीय मंत्री जी ने दी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी वही सारी पार्टी बन्दी हो सकती है, टीचर पालिटीशियन्स हो सकते हैं इसलिये हमने भी ऐसी व्यवस्था अनुभव के आधार पर कर रखी है, इस संशोधन को रखने में भी मेरा आधार अनुभव है और मेरे तर्क का आधार भी वही है। वहां पर हमारी सरकार के कर्मचारी या मंत्रिमंडल के पदाधिकारी ट्रेजरार हो सकते हैं ऐसा मेरा अनुमान व डर है। और इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध रख देना बहुत ही उचित है। और इसके दो और जबरदस्त आधार हैं। एक तो आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी यह एक सर्कुलर निकाला था कि किसी भी सरकार के मंत्री को यूनिवर्सिटी के किसी पद को नहीं होल्ड करना चाहिये। यह मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त दलील है इसके लिये और मंत्री जी को इसको स्वीकार करना चाहिये क्योंकि उन्हें हाई कमांड की अवहेलना नहीं करनी चाहिये जिसने कि ऐसा कहा है इसके अलावा नेहरू जी ने भी एक पत्र में लिखा है जिसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी मंत्री को यूनिवर्सिटी के अफेयर में दखल नहीं देना चाहिये और न उसमें कोई पद ग्रहण करना चाहिये दूसरी बात यह है कि फाइनेंशल एक्सपर्ट ही इसमें रहना चाहिये क्योंकि वही सब चीजों को सम्हाल सकता है कि कहां क्या होना चाहिये और कहां क्या नहीं होना चाहिये। इसलिये उस आदमी को फाइनेंस का एक्सपर्ट होना जरूरी है। राधाकृष्णन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि ट्रेजरार को फाइनेंशल एक्सपर्ट होना चाहिये क्योंकि तभी वह गलत खर्चों को रोक सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरा यह संशोधन स्वीकार करेंगे।

*श्री मोहन लाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के दूसरे हिस्से का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक फाइनेंशल एक्सपर्ट की बात है वह तो दिक्कत पैदा कर सकती है कि किस को फाइनेंशल एक्सपर्ट कहा जाय और किसको न कहा जाय। तो इसके रखने से मुमकिन है कि कुछ दिक्कतें पैदा हों। लेकिन जहां तक दूसरा हिस्सा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। पिछली बार भी जब इस पर आम बहस हुई थी उस वक्त हमारे मंत्री जी ने जो एक सिद्धांत बताया था उससे मुझे सख्त आपत्ति है। उन्होंने यह कहा था कि गौतम तो एजूकेशन का एक्सपर्ट नहीं हैं। मैं दावा न कर बहुत नम्रता के साथ यह कह देना चाहता हूं कि एजूकेशन का मुझे ए, बी सी भी नहीं आता, लेकिन जो मोटे सिद्धांत हैं और जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत हैं उसमें मैं अगर उनकी सेवा में कुछ निवेदन करूं तो मेरी प्रार्थना वह स्वीकार कर लें और अगर इतनी कृपा करें तो अच्छा होगा।

यह एक आवश्यक सिद्धांत है कि मंत्री को ट्रेजरार नहीं होना चाहिये और जैसा मेरा ख्याल है इसे सब मानेंगे। मैं तो उस रोज भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि मुझे अभी उन एजूकेशनिस्ट्स से वास्ता नहीं पड़ा, उनको राय पढ़ने का मौका नहीं मिला कि जो यह समझते हैं कि मंत्रियों को ट्रेजरार बना कर यूनिवर्सिटी में दखल देने का अधिकार होना चाहिये और फिर एक रिपोर्ट आये और फिर वहां पुलिस राज्य कायम कर दिया जाय और तमाम चीजें इस प्रकार की कर दी जायं। यह एक विशियस सर्किल है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मंत्रियों, उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ को यूनिवर्सिटी से बिलकुल अलग रहना चाहिये और अगर ट्रेज़रार होकर दखल देंगे तो यूनिवर्सिटी की आजादी ही खतरे में न पड़ जायगी बल्कि ऐकेडेमिक कैरियर ही खत्म हो जायगा। मंत्री जी ने यह कहा कि मंत्री बनने के बाद वह अछूत नहीं हो जाता तो उन्होंने जो इस सिद्धांत का ऐलान किया इस पर सदन को राय देनी चाहिये और किसी भी मंत्री को ट्रेजरार बनने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। वह अछूत नहीं हुआ और ट्रेजरार हो सकता है, इसको अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये अपवाद के रूप में रखा जाय तब तो बात कुछ दूसरी हो जाती है लेकिन मंत्री ट्रेजरार हो सकता है, उसके लिये वह अछूत नहीं हो सकता, यह सिद्धांत के रूप में गलत है, इसका ऐसास होना चाहिये।

जहां तक राजकर्मचारियों का सम्बन्ध है वह इससे भी ज्यादा महत्व की बात है। पिछले दिनों हाईकोर्ट के एक जज लखनऊ यूनिवर्सिटी के ट्रेजरार नियुक्त हुए हैं और चूंकि हाई कोर्ट के जज एक यूनिवर्सिटी के ट्रेज़रार हो गये हैं इसलिये उनके ऊपर इस सदन में डिसकशन हो सकता है, जिसको मैं गलत समझता हूं। वह नहीं होना चाहिये। इससे जुडीशियरी के प्रति हमारी जो भावना है उसको ठेस पहुंचेगी और वह इस सदन में डिसकशन के लिये लाइबिल होगा। जब तक हाईकोर्ट का जज है उस वक्त तक उसको ऐसी चीजों और दावतों से अलहदा ही रहना चाहिये।

इससे भी अधिक ऐतराज़ की बात पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर के बारे में है। पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर तो तमाम सर्विसेज को रिक्रूट करता है अगर कोई गलत आदमी रिक्रूट हो गया तो यह सूबा कहां जायगा। जब पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य एक्ज़ीक्यूटिव में आकर बैठेगा तो यह एक बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस दूसरे हिस्से को मान लें नहीं तो यह इससे कोई फायदा न होगा।

श्री अध्यक्ष---(माननीय शिक्षा मंत्री से) आप केवल इतना बता दें कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते।

श्री हरगोविंद सिंह---जी नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—गौतम जी ने अपने भाषण में इसके दो हिस्से कर दिये थे इसलिये मैं इन दोनों को अलहदा-अलहदा ही राय के लिये उपस्थित करूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई अर्थशास्त्री (Financial Expert) ही कोषाध्यक्ष हो सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—उसी का दूसरा हिस्सा इस प्रकार है—

और प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी राज्य कर्मचारी अथवा किसी सरकार के मंत्रि-मंडल का सदस्य इस पद के लिये अनर्ह होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब बाकी जो संशोधन हैं उनको मैं इस प्रकार से लूंगा कि पहले में उपस्थित करने वाले का नाम लूंगा और यदि सदस्य जो अपने स्थान पर खड़े होंगे तो मैं यह समझूंगा कि वह अपने संशोधन पर सदन की राय लेना चाहते हैं। उस पर मैं मंत्री जी की राय ले लूंगा। उनके हां अथवा ना कहने के पश्चात् मैं उस पर सदन की राय ले लूंगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, ३ बजे तक का समय निश्चित था।

श्री अध्यक्ष—तीन बजे तक का समय थर्ड रीडिंग के लिये है। ३ से ५ तक दो घंटे का समय गन्ने के विषय में विवाद के हेतु मुकर्रिर हो चुका है। इसलिये समय कम या ज्यादा नहीं हो सकता जब तक कि आप पांच बजे के बाद भी बैठने का निश्चय नहीं कर लेते।

श्री तेजप्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, उसके लिये एक घंटा समय रखा गया है उसको बदल कर आधा घंटा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति न हो तो मैं इधर अधिक समय ले सकता हूं।

श्री शिवनारायण—इसमें हमें आपत्ति है और वह इसलिये है कि ३ बजे जो माननीय गुप्त जी के वक्तव्य पर गन्ने की पिराई की स्थिति के विषय में विवाद होने वाला है। उसके लिए हमें काफी समय चाहिए और इधर के और उधर के दोनों तरफ के माननीय सदस्य बोलेंगे। उसके लिए काफी समय चाहिये इस तरह से समय का परिवर्तन न किया जाय और समय करटेल न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—उसका समय तो ३ बजे से ५ बजे तक है, वह चाहते हैं कि जो तीसरी रीडिंग के लिए एक घंटा रखा गया है उसमें से आधा घंटा कम करके इधर खंडों के विवाद पर अधिक समय ले लिया जाय।

श्री शिवनारायण—वह ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—तो मैं अब सब संशोधन पेश किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (५) के भाग (१) की पंक्ति १ के शब्द "वह" के पहले निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"कार्यकारिणी परिषद् के अधीन रहते हुए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (५) के भाग (२) की पंक्ति १ के शब्द "किसी से व्यय" के पहले निम्नलिखित रख दिया जाय—

"कार्यकारिणी परिषद् की पूर्व अनुमति के पश्चात्।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

रजिस्ट्रार

१५—(१) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसे कार्यकारिणी परिषद् नि नलिखित व्यक्तियों से मिल कर (consist) संगठित निर्वाचन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगी :—

(१) उपकुलपति;

(२) कुलपति द्वारा नाम-निर्देशित एक शिक्षाविद् (educationist); तथा

(३) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Public Service Commission, Uttar Pradesh) का अध्यक्ष (Chairman) या उसके द्वारा एतदर्थ नाम-निर्देशित कोई सदस्य।

(२) रजिस्ट्रार को देय वेतन और भत्ते अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

(३) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों (records) तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत्परिषद्, वित्त समिति, निर्वाचन समितियों तथा परामर्श समिति (Committee of Reference) का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्य-संपादन के लिये आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो नियत किये जायं अथवा समय-समय पर, कार्यकारिणी सभा अथवा उपकुलपति द्वारा अपेक्षित हो।

(४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ अन्य आवश्यक व्यवस्था करेगा और उनसे संसक्त समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(५) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त, जिसकी व्यवस्था परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो किसी पारिश्रमिक के प्रदान का प्रस्ताव किया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

कोर्ट

१६—(१) कोर्ट निम्नलिखित से मिल कर बनेगा :—

वर्ग १—पदेन सदस्य

(१) कुलपति, उपकुलपति, कोषाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी जो नियत किये जायं;

(२) उत्तर प्रदेश सरकार के वे मंत्री जो नियत किये जायं;

(३) शिक्षा संचालक तथा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी और पदाभिदेशन (with reference to the offices) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो नियत किये जायं;

(४) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य।

वर्ग २—आजीवन सदस्य

(५) गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसीडेंट;

(६) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय एवं विद्या के प्रति की गई मूर्त सेवाओं के आधार पर कुलपति द्वारा आजीवन सदस्य नियुक्त किये जायं;

(७) वे सभी व्यक्ति जो पूरे एक कार्यकाल (term) के लिए विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हों;

(८) वे सभी व्यक्ति, जिन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी अथवा विश्वविद्यालय को उसके प्रयोजनों के निमित्त, ऐसी धनराशि दान में दी हो, जो एतदर्थ नियत की जाय।

वर्ग ३—

(९) ऐसे अध्यापकों के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं ;

(१०) आवासिक इकाइयों (residential units) एवं बहिर्द्वार कार्यकलापों (extra mural activities) के निरीक्षण कर्मचारिवृन्द (supervisory staff) के प्रतिनिधि;

(११) कालेजों के प्रबन्धकों के प्रतिनिधि।

वर्ग ४—

(१२) पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं।

वर्ग ५—दानदाता एवं उनके प्रतिनिधि

(१३) वे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के प्रति अपने दान के कारण निर्दिष्ट अवधि के लिए परिनियमों के अधीन सदस्य होने के अधिकारी हों;

(१४) उन व्यक्तियों, संगठनों या व्यक्ति-समुदायों (bodies of individuals) के प्रतिनिधि, जो विश्वविद्यालय के प्रति अथवा प्रयोजनों के लिए, ऐसी धनराशि का जो नियत की जाय, दान (donations) अथवा वार्षिक अंशदान देने के उपलक्ष्य में परिनियमों के अधीन प्रतिनिधित्व के अधिकारी हों।

वर्ग ६—

(१५) उद्योग, वाणिज्य, कृषि तथा प्रक्षेत्र (region) की विद्वत्संस्थाओं (learned bodies) तथा विद्वत्वृत्तियों (learned professions) का प्रतिनिधित्व करने वाले ५ से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्देशित करें।

वर्ग ७--उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रतिनिधि--

(१६) राज्य की विधान परिषद् द्वारा चुने जाने वाले उसके दो सदस्य;

(१७) राज्य की विधान सभा द्वारा चुने जाने वाले उसके पांच सदस्य।

वर्ग ८--

(१८) कुलपति के, ८ से अनधिक, नाम निर्देशित व्यक्ति।

वर्ग ९--

(१९) अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (२) तथा धारा ४७ में किसी बात के होते हुये भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी द्वारा अपने में से निर्वाचित २ व्यक्ति जो प्रथम कालावधि तक पद धारण करेंगे।

(३) उन सदस्यों की संख्या जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक अथवा सम्बद्ध कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में हों, सामान्यतया अन्य सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(४) वर्ग १ तथा २ को छोड़ कर शेष सभी वर्गों के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की रीति तथा उनका कार्यकाल इस अधिनियम में अन्यथा की गयी किसी व्यवस्था को छोड़ कर, वह होगी, जो नियत की जाय।

(५) कोर्ट, पदेन या आजीवन सदस्य से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, जो बिना पर्याप्त कारण के कोर्ट के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) का भाग (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) के भाग (८) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"(८) वे सभी व्यक्ति जिन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी अथवा विश्वविद्यालय को ऐसी धनराशि दान में दी हो जो एतदर्थ नियत की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) का भाग (१६) व (१७) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) के भाग (१९) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१९) गोरखपुर युनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों में से चुने गये दो व्यक्ति :

[श्री अध्यक्ष]

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोर्ट के प्रथम कार्यकाल (term) की समाप्ति पर यह मद (item) निष्प्रभाव हो जायगा तथा तदन्तर्गत प्रतिनिधित्व उसी प्रकार उस दिनांक से समाप्त हो जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "घटक" और शब्द "अथवा" के बीच में शब्द "कालेज" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७ तथा १८

कोर्ट के अधिवेशन।

१७—(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे उप-कुलपति निश्चित करेगा, कोर्ट का एक अधिवेशन होगा, जो कोर्ट का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) उप-कुलपति जब भी उचित समझे कोर्ट का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और ऐसी लिखित अधियाचना (requisition) पर, जिस पर कोर्ट के ३५ से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह कोर्ट का विशेष अधिवेशन अवश्य बुलाएगा।

कोर्ट के अधिकार तथा कृत्य।

१८—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोर्ट को कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के उन कार्यों की समीक्षा (review) करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुकूल न हों तथा वह विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनकी इस अधिनियम अथवा परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो। विशेषतया कोर्ट निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

(क) परिनियम (statutes) बनाना तथा उनका संशोधन एवं निरसन (repeal) करना;

(ख) अध्यादेशों (ordinances) पर विचार करना तथा उन्हें रद्द (cancel) करना;

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (annual report), वार्षिक लेखा, बजट तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी सामान्य नीति विषयक किसी मामले पर विचार करना तथा संकल्प (resolution) पारित करना।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ और १८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

कार्यकारिणी परिषद् निकाय

१९—(१) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिका (Executive Body) होगी और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

१—उप-कुलपति;

२—कोषाध्यक्ष;

३—फैकल्टियों के डीन;

४—छात्र कल्याण के डीन; (Dean of Student Welfare);

५—किसी सम्बद्ध कालेज का एक प्रिंसिपल;

६—विभागाध्यक्षों (Heads of Departments) से भिन्न विश्व-विद्यालय के दो अध्यापक;

७—५ ऐसे व्यक्ति जो कोर्ट द्वारा अपने ऐसे सदस्यों में से, जो विश्वविद्यालय, किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न हों, नियत रीति से निर्वाचित किये जायंगे;

८—महराना प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपूर का एक प्रतिनिधि जो उसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जायगा;

९—कुलपति द्वारा नाम निर्देशित तीन व्यक्ति।

(२) शीर्षक (५) तथा (६) के अधीन सदस्यों के चुनाने की रीति नियत की जायगी।

(३) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) के भाग (७) के अन्त के शब्द "नियत रीति से" के स्थान पर शब्द "उस रीति से जो नियत की जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) के भाग (८) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (८) में अभिदिष्ट कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य के पद पर किसी भी समय पहले आसीन रहा हो, पुनः सदस्य न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) का भाग (८) निकाल दिया जाय, तथा भाग (९) को भाग (८) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) की पुनः परिगणित भाग संख्या (८) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (९) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(९) महाराना प्रताप शिक्षा परिषद्, गोरखपुर का एक प्रतिनिधि जो परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (१—क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(१—क) उपधारा (१) के खंड (९) का उपबन्ध तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक महाराना प्रताप कालेज, गोरखपुर इस अधिनियम के अनुसार घटक कालेज घोषित न कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड, २०—२६

कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार और कर्त्तव्य ।

२०—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे अर्थात् ;

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को अपने कब्जे में रखना, उन पर नियंत्रण रखना तथा इस सम्बन्ध में सामान्य आदेश (general directions) प्रचारित करना ;

(ख) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तान्तरण (transfer) को स्वीकार करना;

(ग) विशिष्ट उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों को प्रशासित करना (administers) ;

(घ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(ङ) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप (fellowship) छात्रवृत्तियां (scholarships), निर्धन छात्रवृत्तियां (bursaries), पदक (medals), तथा अन्य पारितोषिक (rewards) प्रदान करना ;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों अध्यापकों तथा अन्य सेवकों को नियुक्त करना,उनके कर्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना तथा उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना ;

(छ) परीक्षक नियुक्त करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों के प्रकाशन का निर्देशन करना;

(ज) कुलपति की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुये, निर्दिष्ट (specified) उपाधियों के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये किसी कालेज को संबद्ध करने की स्वीकृति देना तथा ऐसी संबद्धता (affiliation) को वापस लेना;

(झ) कालेजों, हालों तथा छात्रावासों और विद्यार्थियों के रहने के अन्य स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा उसका निर्देशन करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार (form) तथा प्रयोग का निर्देशन करना;

(ट) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संसक्त सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण (to regulate and determine) तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे दिये गये अथवा उस पर आरोपित किये गये हों।

(३) कार्यकारिणी परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्तक तथा अनावर्तक (recurring and non recurring) व्ययों की उन सीमाओं से अधिक व्यय नहीं करेगी जो परामर्श समिति द्वारा निर्धारित की गयी हों।

(४) विद्वत् परिषद् तथा संबद्ध फैकल्टियों के बोर्ड के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यकारिणी परिषद् अध्यापकों की संख्या, योग्यताओं एवं उपलब्धियों (emoluments) तथा परीक्षकों की नियुक्ति और परीक्षकों को देय शुल्क के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के संकल्पों पर यथोचित् विचार करेगी, और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे और उसकी सूचना कोर्ट को देगी। यदि किसी दशा में कार्यकारिणी परिषद् किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह कोर्ट को यह सूचित करेगी कि वह किन कारणों के आधार पर ऐसा करने में असमर्थ है।

(६) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो परिनियमों में निर्दिष्ट की जायेंगी, कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपने ऐसे अधिकार प्रतिनिधानित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।

परामर्श समिति

२१—(१) परामर्श समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी—

१—उपकुलपति;

२—कोषाध्यक्ष;

३—कोर्ट के तीन सदस्य, जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों और जो एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक होगा तथा अन्य दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न हों;

४—दो व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्देशित करे।

(२) उपकुलपति समिति का सभापति (Chairman) तथा रजिस्ट्रार सचिव (Secretary) होगा।

(३) परामर्श समिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों (resoureis) को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्ष के लिए कुल आवर्त्तक (recurring) तथा अनावर्त्तक (non-recurring) व्ययों की सीमा निश्चित करेगी तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियत किये जायं।

(४) परामर्श समिति किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित (revise) कर सकती है और जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो।

विद्वत् परिषद्।

२२—(१) विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था (Academic Body) होगी, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय शिक्षण, अध्यापन तथा परीक्षा के स्तर तथा अन्वेषण (research) का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिये उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर आरोपित किये जायं। उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों (academic matters) पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(२) विद्वत् परिषद् का संगठन (constitution) तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों का कार्यकाल नियत किया जायगा।

२३—(१) विश्वविद्यालय में वे फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायं।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में अध्यापन के वे विभाग होंगे जो नियत किये जायं। विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय (subjects of study) अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किये जायं।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा, जिसका संगठन और जिसके अधिकार नियत किये जायं।

(४) प्रत्येक फैकल्टी के लिये एक डीन होगा जो ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चुना जायगा जो नियत की जाय।

(५) डीन, फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से सम्बद्ध परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के निमित्त उत्तरदायी होगा। वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन तथा अन्वेषण के कार्यों के संगठन और संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो अपने विभाग में अध्यापन की व्यवस्था के लिये डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। विभाग का सब से ज्येष्ठ (senior most) प्रोफेसर विभाग का अध्यक्ष होगा और यदि किसी विभाग में प्रोफेसर न हो तो विभाग का सबसे ज्येष्ठ रीडर, अध्यक्ष होगा।

(७) विभागाध्यक्षों के कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायंगे।

(८) एक या एकाधिक पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम और अध्ययन समितियों (Committees of Courses and Studies) की स्थापना की जायगी। इन समितियों का संगठन अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायगा।

डेलीगेसी

२४—किसी हाल या छात्रावास में, अथवा उसकी देखरेख में न रहने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रबंध का अधीक्षण करने के निमित्त एक डेलीगैसी होगी। डेलीगेसी का संगठन, अधिकार और कर्त्तव्य नियत किये जायं।

बोर्ड

२५—विश्वविद्यालय ऐसे बोर्डों का संगठन करेगा जो नियत किये जायं। बोर्डों का संगठन, अधिकार तथा कृत्य अध्यादेशों में निर्धारित किये जायंगे।

अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति की रीति।

२६—(१) इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से की गयी किसी प्रतिकूल व्यवस्था को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा प्राधिकारियों (authorities) के सदस्यों को यथाशक्य निर्वाचन से भिन्न रीतियों से चुना जायगा।

(२) यदि इस अधिनियम या परिनियमों में बारी से (by rotation) या ज्येष्ठता (seniority) के अनुसार या अन्य किसी योग्यता के आधार पर किसी नियुक्ति की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसी बारी तथा ज्येष्ठता के अवधारण की रीति और अन्य योग्यतायें नियत की जायंगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २०, २१, २२, २३, २४, २५ और २६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

अध्यापकों की नियुक्ति।

२७—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक संबद्ध निर्वाचन समिति के परामर्श से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक प्रबंधक द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अध्यापक प्रथमतः (in the first instance) परीक्षण पर (on probation) ऐसे काल तक रहेगा जो नियत किया जाय, तथा वह तब तक अपनी नियुक्ति पर पुष्ट (confirmed) न होगा जब तक कि—

(क) विश्वविद्यालय का अध्यापक होने की दशा में, उप-कुलपति और सम्बद्ध विभाग के अध्यक्ष तथा डीन के प्रतिवेदनों (reports) पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् इसकी आज्ञा न दे दे, तथा

(ख) संबद्ध कालेज का अध्यापक होने की दशा में, उस विषय के ज्येष्ठ अध्यापक तथा उस कालेज के प्रिंसिपल के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्रबंधक इसकी आज्ञा न दे दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई अध्यापक जो परीक्षण पर नियुक्त किया गया है उक्त अवधि के बीत जाने के उपरान्त स्थायी समझा जायगा जब तक कि प्रबन्धक ६ महीने के भीतर स्थायी करने के लिये निषेध तथा उसके कारणों की सूचना लिखित रूप से न दे दे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् दस मास से अनधिक अवधि के लिये किसी कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत किये जाने की दशा में रिक्त स्थान पर निर्वाचन समिति को बिना अभिदेश किये ही स्थानापन्न नियुक्ति (officiating appointment) कर सकती है। किन्तु वह अन्य किसी रिक्ति या ऐसे पद की पूर्ति जिसके ६ मास से अधिक चलने की संभावना हो, बिना उक्त अभिदेश के, नहीं करेगी।

(४) किसी ऐसे संबद्ध कालेज में जो केवल राज्य सरकार द्वारा ही संधारित न हो, किसी अध्यापक की प्रकृत नियुक्ति (substantive appointment) के लिये किये गये प्रत्येक निश्चय की सूचना प्रबन्धक द्वारा उस नियुक्ति के दिनांक से १५ दिन के भीतर समस्त प्रार्थना-पत्र तथा संबद्ध पत्रादि सहित उप-कुलपति को दी जायगी। यदि संबद्ध निर्वाचन समिति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उप-कुलपति किसी नियुक्ति का अनुमोदन न करे तो प्रबंधक द्वारा वह नियुक्ति यथाशक्य शीघ्र, किन्तु परीक्षण-काल की अवधि की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही समाप्त कर दी जायगी।

(५) प्रत्येक पाठ्य विषय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिये एक निर्वाचन समिति होगी।

(६) निर्वाचन समितियों का संगठन, उनके अधिकार और कृत्य तथा नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया नियत की जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८--३२

सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध

२८--(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों (casual vacancies) की पूर्ति यथासुविधा शीघ्र ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्त, निर्वाचित अथवा संयोजित (co-opted) किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित अथवा संयोजित व्यक्ति उसी शेष कार्यकाल तक के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा जब तक कि पद रिक्त करने वाला व्यक्ति उसका सदस्य रहता।

(२) यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहर का, तो वह विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक सदस्य रहेगा जब तक वह उस अन्य निकाय का सदस्य बना रहे जिसके द्वारा वह नियुक्त या निर्वाचित हुआ था और तत्पश्चात् जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की यथाविधि नियुक्ति न हो जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियों रिक्तियों के कारण अवैध न होगी।

२९--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसमें सदस्यों की रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाही में भाग लिया था, जिसके विषय में कार्यवाही के पश्चात् यह सिद्ध हो कि वह ऐसा करने का अधिकारी न था।

विश्वविद्यालय को सदस्यता से हटाया जाना।

३०--(१) कार्यकारिणी परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून (not less than) सदस्यों की सिफारिश पर कोर्ट किसी भी व्यक्ति का नाम पंजीबद्ध स्नातकों के रजिस्टर से हटा सकता है।

(२) कोर्ट किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकता है कि उस व्यक्ति का ऐसा अपराध सिद्ध हुआ है जो कि कोर्ट के मत में नैतिक पतन समन्वित एक अपराध (offence involving moral turpiude) है या कि वह अपवादजनक दुराचार (scandalous conduct) का दोषी है, या कि उसने ऐसे ढंग से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय है, तथा इन्हीं आधारों पर वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी व्यक्ति की उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र वापस ले सकता है।

३१--यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विशेष विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि सदस्य निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं अथवा ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो यह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

समितियों का संगठन।

३२--यदि इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो तो ये समितियां, जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष व्यवस्था न हो, सम्बद्ध प्राधिकारी के सदस्यों से मिलकर बनेंगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८, २९, ३०, ३१ और ३२ इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३

संबद्ध कालेज

३३--(१) किसी संबद्ध कालेज की सम्बद्धता की शर्तें वे होंगी जो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियत की जायं और परिनियमों में इस प्रकार सम्बद्ध कालेजों के नाम दिये जायेंगे।

(२) किसी भी कालेज के लिये उसी स्थान पर स्थित किन्हीं अन्य कालेजों या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग देने या प्राप्त करने की व्यवस्था करना वैध (lawful) होगा।

(३) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, किसी भी कालेज के प्रबन्धक कालेज के कार्यों के प्रबंध और नियंत्रण में स्वतंत्र होंगे तथा उसके संधारण और रखरखाव (maintenance and upkeep) के लिये उत्तरदायी प्रत्येक कालेज का प्रिंसिपल उसमें यथोचित रूप से अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(४) प्रत्येक कालेज ऐसे प्रतिवेदन विवरण तथा अन्य ब्योरे प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् स्वतः अथवा विद्वत् परिषद् के अनुरोध पर माँगे।

(५) कार्यकारिणी परिषद् इस सम्बन्ध में अपने द्वारा प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से प्रत्येक कालेज का पांच वर्ष से अनधिक कालांतरों (intervals) में समय-समय पर निरीक्षण करवायेगी।

(६) कार्यकारिणी परिषद् उक्त प्रकार से निरीक्षित किसी भी कालेज से निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने को कह सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(७) यदि कोई कालेज कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशों (directions) या सम्बद्धता की शर्तों का अनुपालन न करे तो परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार उसकी सम्बद्धता रद्द की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३३ में --

(१) उपखंड (१) में शब्द "किसी" और शब्द "कालेज" के बीच में आया हुआ शब्द "सम्बद्ध" निकाल दिया जाय तथा इसके अन्त में शब्द "और परिनियमों में इस प्रकार सम्बद्ध कालेजों के नाम दिये जायेंगे" निकाल दिये जायं।

(२) उपखंड (२) में शब्द "किसी भी" और शब्द "कालेज" के बीच में शब्द "सम्बन्द्ध" रख दिया जाय तथा शब्द "किन्हीं अन्य" और शब्द "कालेजों" के बीच में शब्द "सम्बद्ध" बढ़ा दिया जाय।

(३) उपखंड ३ में--

(क) शब्द "किसी भी" और शब्द "कालेज" के बीच में शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

(ख) शब्द "उत्तरदायी" और शब्द "प्रत्येक" के बीच में शब्द "ऐसे" रख दिया जाय।

(४) उपखंड (४) में शब्द "प्रत्येक" तथा शब्द "कालेज" के बीच में शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

(५) उपखंड (५) में शब्द "प्रत्येक" और शब्द "कालेज" के बीच में शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

(६) उपखंड (६) में शब्द "किसी भी" और शब्द "कालेजों" के बीच में शब्द "संम्बद्ध" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४

निवृत्ति वेतन (pension) अथवा भविष्य निधि (providcnt fund)

३४--(१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वृन्द (clerical staff) तथा अन्य नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं ऐसे निवृत्ति वेतन बीमा तथा भविष्य को निधियों (pension, insurance and provident funds) की व्यवस्था कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

ऐक्ट १९, १९२५

(२) यदि उक्त कोई भविष्य निधि इस प्रकार स्थापित की जाय या यदि कुलपति द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन कोई कालेज भविष्य निधि स्थापित करे तो कुलपति यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडेन्ट फंड्स ऐक्ट, १९२५ के उपबन्ध, उस पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, [मानों वह कोई गवर्नमेंट प्राविडेंट फंड हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खड ३५

सेवा की शर्तें

३५--उन दशाओं को छोड़ कर जिनकी व्यवस्था परिनियमों में की गयी हो, विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा (written contract) के अधीन नियुक्त किया जायगा। संविदा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अथवा संबंधित कालेज के प्रबन्धक के पास रखा जायगा तथा उसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी अथवा अध्यापक को दी जायगी। संविदा इस अधिनियम तथा परिनियमों और अध्यादेशों में सेवा की शर्तों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों से असंगत न होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३५ की पंक्ति १ व २ में शब्द "की गयी हो" तथा शब्द "विश्वविद्यालय" के बीच में शब्द "यथास्थिति" रख दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में आये हुये शब्द "अथवा सम्बन्धित" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय और पंक्ति पांच में शब्द "के पास" तथा शब्द "रखा जायगा" के बीच शब्द "भी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६, ३६–क तथा ३७

विश्वविद्यालय तथा उसके कर्मचारिवर्ग के बीच विवादों के लिये मध्यस्थ न्यायाधिकरण।

३६––विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से सम्बद्ध कोई विवाद उठने की दशा में सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण (tribunal of arbitration) के पास अभिदिष्ट किया जायगा। यह न्यायाधिकरण कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, सम्बद्ध अध्यापक या अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) से मिल कर बनेगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई भी वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा। ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आर्बीट्रेशन ऐक्ट, १९४० के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुत, की गयी प्रार्थना (submission to arbitration) समझी जायगी, तथा उस अधिनियम को धारा २ को छोड़ कर उस के सब उपबन्ध तदनुसार प्रवृत्त होंगे।

सम्बद्ध कालेजों तथा उसके कर्मचारिवर्ग के बीच विवादों के लिये मध्यस्थ-न्यायाधिकरण।

३६–क––सम्बद्ध कालेज और सम्बद्ध कालेजों के किसी अध्यापक के बीच संविदा से सम्बद्ध कोई विवाद उठने की दशा में सम्बद्ध अध्यापक की प्रार्थना पर मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण (trbunal of arbitration) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसमें प्रबन्धक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, सम्बद्ध अध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) होंगे। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकारण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई भी वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा। ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आर्बीट्रेशन ऐक्ट, १९४०, के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुत की गयी प्रार्थना (submission to arbitration) समझी जायगी तथा उस अधिनियम की धारा २ को छोड़ कर उसके सब उपबन्ध तदनुसार प्रवृत्त होंगे।

परिनियम

३७––इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी तथा उनमें विशेषतः निम्नलिखित के लिये व्यवस्था अवश्य की जायगी––

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संगठन, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का, जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पदासीन रहना भी है, निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनकी अपने पद पर स्थिति तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से सम्बद्ध ऐसे अन्य सभी विषय, जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम (designation), उनकी नियुक्ति की रीति, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये सेवा-निवृत्ति या भविष्य निधि की तथा बीमा योजना की स्थापना;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमों का स्थापना;

(छ) सामान्य उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(ज) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों (certificates) तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं, (acadamic distinctions) का वापस लेना;

(झ) फैकल्टियों की स्थापना, एकीकरण (amalgamation), उप-विभाजन (subdivision) तथा उनका बन्द किया जाना (abolition);

(ञ) फैकल्टियों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित हालों और छात्रावासों की स्थापना तथा उनका बन्द किया जाना;

(ठ) शर्तें, जिनके अधीन कालेज तथा अन्य संस्थाएं विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकें तथा जिनके अधीन उनकी संबद्धता वापस ली जा सके;

(ड) फेलोशिप, छात्रवृत्तियों, विद्यार्थी-वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों का स्थापन;

(ढ) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;

(ण) अन्य समस्त विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा इस अधिनियम में व्यवस्था होनी चाहिये या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्य यह है कि खंड ३६, ३६-क और ३७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे।

(१) प्रथम परिनियम (Statutes) राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी प्रतिलिपि राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायगी और वे ऐसे परिवर्द्धनों एवं रूप भेदों के अधीन रहेंगे जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों।

(२) इस धारा में आगे दी हुई रीति से कोर्ट समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त (repeal) भी कर सकता है।

(३) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के समक्ष, उसके द्वारा पारित होने के निमित्त, किसी भी परिमियम का पांडुलेख (draft) प्रस्तावित कर सकता है और ऐसे पांडुलेख पर कोर्ट की अगली बैठक में विचार किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे परिनियम का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का पांडुलेख प्रस्तावित नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की प्रस्थिति, (status) अधिकार

या संगठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त मत पर कोर्ट विचार करेगा।

(४) कोर्ट उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी भी पांडुलेख को अनुमोदित कर सकता है, तथा उस परिनियम को पारित कर सकता है, अथवा उस कार्यकारिणी परिषद् को अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ ऐसे संशोधनों सहित वापस कर सकता है, जिनका वह सुझाव दे।

(५) कोर्ट का कोई सदस्य कोर्ट के समक्ष किसी परिनियम का पांडुलेख प्रस्तावित कर सकता है, तथा कोर्ट या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है या उस पांडुलेख को कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट कर सकता है। कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट को यह प्रतिवेदन (report) दे सकती है कि वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है या वह उक्त पांडुलेख को कोर्ट के पास उस रूप (form) में प्रस्तुत कर सकती है, जिसे वह अनुमोदित करे और इस प्रकार प्रस्तुत पांडुलेख पर इस धारा के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट के पास प्रस्तावित पांडुलेख के विषय में प्रवृत्त होते हैं।

(६) किसी भी नये परिनियम या परिनियमों के परिवर्द्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन (repeal) पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। कुलपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे और विचार के निमित्त वापस भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष १० दिन तक रखी जायगी और तदन्तर्गत पहले से की गयी किसी भी बात की वैधता पर बिना प्रभाव डाले हुए कि ऐसे परिवर्द्धनों एवं परिवर्त्तनों के अधीन रहेंगे जिनके बारे में दोनों सहमत हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३९

अध्यादेश

३९—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किये जाने की अनुज्ञा इस अधिनियम अथवा परिनियमों में दी गयी हो, तथा किसी अन्य विषय की जिसके लिये कार्यकारिणी परिषद्, अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा नामांकन (enrolment) और उनका इस प्रकार बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमों के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें जिनके अधीन उपाधियों (degrees) डिप्लोमों तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किये जायेंगे, तथा वे उपाधियों और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा सधारित छात्रावासों तथा हालों में आवास के लिये शुल्कों का लिया जाना;

(ङ) ऐसे हालों तथा छात्रावासों की अभिज्ञा (recognition) तथा प्रबंध जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों ;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों की संख्या अर्हतायें (qualifications) उपलब्धियां (emoluments) तथा सेवा की अन्य शर्तें [जिनके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति का वय (age of retirement) भी हैं] तथा उनकी सेवा तथा कार्यकलापों (activities) के अभिलेख तैयार करना और उनका रखा जाना;

(छ) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिये जा सकें;

(ज) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को कालेजों, हालों तथा छात्रावासों में शिक्षण के निमित्त अर्ह अभिज्ञात (recognized as qualifying) किया जाय;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य,

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे, जो विश्व-विद्यालय के कार्यों में नियोजित (employed) हों ;

(ठ) फेलोशिप, छात्रवृत्तियां (scholarships) विद्यार्थी वृत्तियां (studentships), निर्धन छात्र-वृत्तियां (bursaries) पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें ;

(ड) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४०

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

४०—(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी इस धारा में कोई अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे परिषद् निर्दिष्ट करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायगा, जिससे—

(क) विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर कोई प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और राज्य सरकार ने उस पर कोई आपत्ति न की हो ;

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े, या जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के पाठ्यक्रम (degree courses) के निमित्त प्रवेश के लिये धारा ४१ की उपधारा (१) में उल्लिखित अतिरिक्त (further) अर्हताओं को निर्धारित करे जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो ;

(ग) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति पर और उनके कर्त्तव्यों पर तथा किसी परीक्षा या पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि वह सम्बद्ध फैकल्टी या फैकल्टियों के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार न हो और साथ ही जब तक कि उसका पांडुलेख नियत रीति से विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित न हुआ हो; अथवा

(घ) विद्यार्थियों के निवास की शर्तों पर प्रभाव पड़े, जब तक कि नियत की जाने वाली शर्तों का अनुपालन न किया जाय ।

(२) कार्यकारिणी परिषद् को विद्वत् परिषद् द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है अथवा उस सम्पूर्ण पांडुलेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनों सहित, जिनका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दे, विद्वत् परिषद् के पास पुनर्विचार के लिये वापस कर सकती है ।

(३) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त अध्यादेश तुरन्त कुलपति और कोर्ट को प्रस्तुत किये जायेंगे और कोर्ट उन पर अपने आगामी अधिवेशन में विचार करेगा । कोर्ट को संकल्प द्वारा, जो अधिवेशन उपस्थित सदस्यों को दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया गया हो, उक्त किसी भी अध्यादेश को रद्द (cancel) कर देने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश उक्त संकल्प (resolution) के दिनांक से निरर्थक (void) हो जायगा ।

(४) कुलपति, कोर्ट द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किसी भी समय कोर्ट तथा कार्यकारिणी परिषद् को यह सूचना दे सकता है कि उसने उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा उक्त अनुज्ञा के निषेध (disallowance) की सूचना (intimation) प्राप्त होने के दिनांक से उक्त अध्यादेश निरर्थक हो जायगा ।

(५) कुलपति यह आदेश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन (operation) उस समय तक के लिये निलंबित (suspended) रहेगा जब तक कि उसे अपने निषेधाधिकार (power of disallowance) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय। इस उपधारा के अधीन निलंबन की आज्ञा ऐसी आज्ञा के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या कोर्ट द्वारा अध्यादेश पर विचार किये जाने के दिनांक से १५ दिन व्यतीत होने पर, इनमें से जो भी अवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायंगी ।

(६) यदि कार्यकारिणी परिषद् ने विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पांडुलेख को अस्वीकृत कर दिया हो, तो विद्वत् परिषद् कोर्ट के समक्ष अपील कर सकती है और यदि कोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् पांडुलेख को अनुमोदित करे, तो वह अध्यादेश बना सकता है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४१–४३

विनियम

४१—(१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा बोर्ड इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम (regulations) बना सकते हैं, जिनमें—

(क) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गण-पूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्य संख्या निर्धारित की जाय ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधि-नियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्थित किये जाने वाले हों ; और

(ग) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाय जो केवल उक्त प्राधिकारियों या बोर्डों से सम्बन्ध रखते हों, और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में व्यवस्था न की गयी हो ।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा जिनमें उक्त प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों का, जिन पर अधिवेशन होंगे और ऐसे कार्य का, जिस पर अधिवेशनों में विचार किया जायगा, नोटिस देने तथा अधि-वेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख (record) रखने की व्यवस्था की जायगी ।

(३) कार्यकारिणी परिषद् ऐसी रीति से जिसे वह निर्दिष्ट करे कोर्ट से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम में संशोधन या उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के खंडन (annulment) का आदेश दे सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या बोर्ड जो ऐसे आदेश से असंतुष्ट हो, कुलपति के समक्ष अपील कर सकता है । कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।

(४) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्वत् परिषद् सम्बद्ध फैकल्टी के बोर्ड तत्सम्बन्धी पांडुलेख प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है ।

विद्वत् परिषद् फैकल्टी के बोर्ड से प्राप्त पांडुलेख में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती है या उसे, अपने सुझावों सहित, और अधिक विचार करने के लिये बोर्ड को वापस कर सकती है ।

विद्यार्थियों का प्रवेश ।

४२—(१) विद्यार्थी किसी भी उपाधि के पाठ्यक्रम में उस समय तक प्रवेश पाने के पात्र न होंगे, जब तक कि उन्होंने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा निगमित किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड की इंटरमीडियेट परीक्षा, या विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष अभिज्ञात (recognized) कोई परीक्षा पास न कर ली हो, तथा वे ऐसी अतिरिक्त अर्हतायें यदि कोई हों, न रखते हों जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं ।

(२) विश्वविद्यालय, कुलपति की पूर्व स्वीकृति बिना, किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी उपाधि के समकक्ष, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडियेट परीक्षा के समकक्ष (किसी उपाधि के पाठ्य-क्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के निमित्त), अभिज्ञात न करेगा ।

विद्यार्थियों की निवास व्यवस्था ।

४३—(१) हाल और छात्रावास ऐसे होंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय संधारित करे अथवा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् ऐसी सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर अनुमोदित तथा अभिज्ञात करे जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं। विश्वविद्यालय द्वारा संधारित हालों तथा छात्रावासों का नाम परिनियमों में उल्लिखित किया जायगा ।

(२) हालों और छात्रावासों के वार्डन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे ।

(३) कार्यकारिणी परिषद् को ऐसे छात्रावास या हाल की अभिज्ञा (recognition) को निलंबित करने या वापस लेने (suspend or withdraw) का अधिकार होगा, जो नियत शर्तों के अनुसार संचालित न किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी कार्यवाही उस समय तक नहीं की जायगी जब तक कि ऐसे हाल या छात्रावास के प्रबंधक को ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया जाय, जिसे वह उचित समझे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१,४२ और ४३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४४

परीक्षायें ।

४४—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परीक्षाओं के संचालन के समस्त प्रबंध विद्वत् परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किये जायेंगे जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाय ।

(२) यदि कोई परीक्षक किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो उपकुलपति उस रिक्ति की पूर्ति के लिये परीक्षक नियुक्त करेगा। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति का प्रतिवेदन (report) कार्यकारिणी परिषद् को दिया जायगा।

(३) किसी उपाधि के निमित्त नियत प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त परीक्षकों की यथाशक्य आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय या कालेज की सेवा में न हों।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का बोर्ड फैकल्टी को निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विषय के लिये एक परीक्षा समिति (Examination Committee) नियुक्त करेगा। समिति ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनेगी, जिन्हें बोर्ड, विद्वत् परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुये अपने सदस्यों में से या बाहर से नियुक्त करे। समिति को परीक्षा के प्रश्नपत्रों का परिमार्जन करने (to moderate), परीक्षा के अभ्यार्थियों (candidates) द्वारा प्रस्तुत कार्य के गुण दोषों (qualities) की समीक्षा करने (review), साफल्य-स्तर (standard of attainment) के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने तथा इनमें से किसी भी विषय के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा की गयी कोई भी समीक्षा, प्रतिवेदन या सिफारिश विद्वत् परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४४ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "या तदन्तर्गत बने परिनियमों द्वारा" के स्थान पर शब्द "द्वारा या उसके अधीन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४५ तथा ४६

वार्षिक प्रतिवेदन।

४५—विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन (annual report) कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशाधीन तैयार किया जायगा, तथा कोर्ट को वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायगा और कोर्ट उस पर अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगा। कोर्ट उस पर संकल्प पारित कर सकता है तथा उन्हें कार्यकारिणी परिषद् को ज्ञापित (communicate) कर सकता है।

लेखे और लेखे की परीक्षा (audit)।

४६—(१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और पक्का चिट्ठा (Balance Sheet) कार्यकारिणी परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त हुयी (accuring to or received by) समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो, लेखे में दर्ज की जावेंगी।

(२) लेखे और पक्के चिट्ठे की एक-एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी, जो उत्कृष्ट कोटि के लेखा-परीक्षकों (auditors of high standing) द्वारा उसकी लेखा परीक्षा करवाएगी।

(३) लेखा-परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन (audit report) की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायंगी।

(४) राज्य सरकार के लिये यह बंध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विषय में यह पता चले कि उसने बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करते हुये कोई धनराशि व्यय की है, या ऐसा करने का अधिकार दिया है, आदेश दे कि वह इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि को भरपाई करे (reimburse) और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त आदेश देने के पूर्व अभ्यावेदन (representation) करने का समुचित अवसर देगी ।

(५) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक के पूर्व, जो नियत किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी ।

(६) नये व्यय की ऐसी प्रत्येक मद, जो नियत धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो, और जिसे बजट में सम्मिलित करने का विचार हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा परामर्श समिति (Committee of Reference) को अभिदिष्ट की जायगी, जो उसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें कर सकेगी ।

(७) परामर्श समिति की सिफारिशों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् बजट को अंतिम रूप से अनुमोदित करके इन सिफारिशों सहित कोर्ट को प्रस्तुत करेगी ।

(८) वार्षिक लेखे और बजट पर कोर्ट अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगा, और इसके सम्बन्ध में कोर्ट संकल्प पारित कर सकेगा और उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) के अधीन परामर्श समिति को अभिदिष्ट व्यय की किसी मद के सम्बन्ध में कार्यकारिणी परिषद् और परामर्श समिति में मतभेद हो, तो उसके सम्बन्ध में कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

(९) उस दशा को छोड़ कर जब धारा २० की उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन उपलब्ध किसी निधि में से कोई व्यय किया जाय, उप-कुलपति या कार्यकारिणी परिषद् के लिये यह बंध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे, जिसकी बजट में स्वीकृति न दी गयी हो ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४५ और ४६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४७

४७—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी, गोरखपुर की समस्त चल और अचल सम्पत्ति तथा समस्त अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व उक्त सोसाइटी के स्वामित्व में थे, या उसमें निहित थे, विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगे तथा ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होंगे जिनके निमित्त यह विश्वविद्यालय निगमित किया जाता है और तत्पश्चात् सोसाइटी विघटित हो जायगी ।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से, उक्त सोसाइटी के समस्त ऋण और दायित्व इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित और संपर्कित (attached) हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा चुकाये और निस्तारित (discharged and satisfied) किये जायेंगे।

(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कृत या निष्पादित किसी वसीयत (will), विलेख (deed) या अन्य लेख्य (document) का, जिसमें उक्त समिति के पक्ष में कोई रिक्तदाय (bequest) दान या न्यास हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, इस प्रकार अर्थ किया जायगा मानों उसमें उक्त सोसाइटी के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम उल्लिखित हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ के उपखंड (१) के अन्त में आये हुये शब्द "और तत्पश्चात् सोसाइटी विघटित हो जायगी" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४८

४८—इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी —

(क) कालेज के किसी भी विद्यार्थी को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व आगरा यूनिवर्सिटी की किसी भी उपाधि के निमित्त अध्ययन कर रहा हो, तदर्थ तैयारी करने के लिये पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी, तथा विश्वविद्यालय और कालेज उस विश्वविद्यालय की अध्ययन नियमावली (prospectus of studies) के अनुसार उस विद्यार्थी के शिक्षण और परीक्षा की व्यवस्था करेगा, तथा

(ख) जब तक ऐसी परीक्षा की व्यवस्था न की जाय, तब तक ऐसा कोई विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकेगा तथा उसे उस यूनिवर्सिटी की वह उपाधि प्रदान की जा सकेगी जिसके लिये वह परीक्षा-फलों के आधार पर अर्हता प्राप्त करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४९

४९—इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति की जा सकती है और उसकी नियुक्ति, धारा १२ की उपधारा (५) तथा (६) में किसी बात के होते हुये भी, कुलपति करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"४९—धारा १२ की उपधारा (५) तथा (६) में उल्लिखित किसी व्यवस्था के होते हुये भी, कुलपति, गजट में उक्त अधिनियम के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय गोरखपुर

यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी द्वारा चुने जाने वाले ३ प्रतिनिधियों से परामर्श करने से पश्चात् प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"४९—इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति की जा सकती है और उसकी नियुक्ति खंड १२ के उपखंड (५) तथा (६) में किसी बात के होते हुये भी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसायटी की सिफारिश पर कुलपति ३ वर्ष की अवधि के लिये करेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५०

५०—(१) इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय तथा उस समय तक जब तक विश्वविद्यालय प्राधिकारी यथावत् संगठित न हो जायं —

(क) कोषाध्यक्ष कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी की नियुक्ति कुलपति की पूर्व स्वीकृति से उपकुलपति द्वारा की जा सकेगी,

(ग) प्रत्येक विषय की मंत्रणा समिति (Advisory Committee) की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति कर सकेंगे। मंत्रणा समिति में उप-कुलपति तथा सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें कुलपति उन व्यक्तियों में से चुनेंगे जिनके नाम वे किन्हीं भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा निकायों (academic bodies) से प्राप्त करेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियां दो वर्ष के परीक्षण (probation) पर होंगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रोफेसरों और रीडरों के लिये परीक्षण काल एक वर्ष होगा और विशेष दशाओं में कुलपति परीक्षण की अवधि को घटा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५१

५१—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा—

(क) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम तदन्तर्गत निर्मित कोई परिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर (expedient) समझे, प्रभावी होंगे, अथवा

(ख) आदेश दे सकती है कि अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य, शक्तियां तथा कृत्य उस समय तक जब तक कि उक्त प्राधिकारी यथोचित् रूप से संगठित न हो जायं, किसके द्वारा और किस रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे,

(ग) किसी ऐसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे ही अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से चौबीस मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी भी विधिक न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसी कोई कठिनाई जिसका उक्त उपधारा में अभिदेश है, विद्यमान नहीं थी, या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ के उपखंड (१) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ख) आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य (Exercisable) अधिकार या सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य, तथा कृत्य उस समय तक जब तक कि उक्त अधिकारी या प्राधिकारी यथोचित रूप से संगठित न हो जाय, किसके द्वारा और किसी रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

यह आवश्यक है कि गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय, अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक तथा नाम प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना की पंक्ति १ में शब्द "एक" व शब्द "विश्वविद्यालय" के बीच में शब्द "अध्यापन एवं सम्बद्धता शक्ति मूलक (Teaching and affiliating)" शब्द जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—श्री नारायणदत्त तिवारी अपना भाषण बाद में देंगे ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—उपाध्यक्ष महोदय, आज हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पारित करने जा रहे हैं । जहां एक ओर इस विधेयक के द्वारा प्रदेश के अन्दर एक नये विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है वहां दूसरी ओर जब हम इसके स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ चिन्ता होती है । पहली बात तो यह कि इस यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर क्या होगा इसकी कोई निश्चित रूपरेखा भविष्य के लिये इस विधेयक में प्राप्त नहीं होती । प्रस्तावना में यह स्पष्ट नहीं है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी टीचिंग ऐफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी होगी या कैसी यूनिवर्सिटी होगी, उसका कोई स्पष्ट चित्र हमारे सामने आता नहीं । उसमें अटानामस कालेज और वर्किन्ग मेन्स कालेज की व्यवस्था जो आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में भी की गयी थी उसकी व्यवस्था भी आज इस विधेयक में नहीं है । अगर अटानामस कालेज की व्यवस्था की गयी होती तो जिस प्रकार से रूरल इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की सिफारिश श्रीमाली कमेटी ने की है उस प्रकार के रूरल इंस्टीट्यूट्स को गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थान दे सकते थे अगर वर्किनेन्स कालेज की व्यवस्था आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के मातहत की गयी होती तो पूर्वी जिलों के ऐसे लोगों को भी पढ़ने का अवसर मिलता जो अपना अधिकांश समय या समय का काफी हिस्सा दूसरे कार्यों में, व्यापार करने में, रोजगार धंधों में या नौकरी में लगाते हैं उनको पठन-पाठन का मौका मिलता ।

मैं नहीं समझ पाया कि सरकार ने द्वितीय वाचन के अवसर पर उन संशोधनों को स्वीकार करने का कष्ट क्यों नहीं किया जिनको अपनी ओर से स्वयं सरकार आगरा विश्वविद्यालय ऐक्ट में लाई थी । द्वितीय वाचन में जो संशोधन स्वीकार किये गये हैं उनमें से दो तीन संशोधन बहुत महत्व के हैं । महत्व की दृष्टि से पहला संशोधन वह है जोकि उपकुलपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो संशोधन माननीय नवल किशोर जी का स्वीकृत हुआ है वह एक ऐसा संशोधन नहीं है जिसको देखकर यह कहा जा सके कि उपकुलपति का चुनाव होने पर या गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नये उपकुलपति के आने पर विश्वविद्यालय में वांछनीय सहयोग उपकुलपति को प्राप्त होगा जो इस विधान के अनुसार चुने जायेंगे । श्रीमन्, आप देखेंगे कि किस प्रकार अब चुनाव होगा; एक नामिनी चांसलर महोदय के, एक नामिनी चीफ जस्टिस महोदय के, एक नामिनी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के । पहले जो विधेयक था उसमें दो नामिनी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के एक्सपर्ट कमेटी में थे पर जो संशोधन स्वीकृत हुआ उसके अनुसार केवल एक नामिनी होगा ; तो उससे क्या फर्क पड़ा ? एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कोई कार्य पार्टीबंदी का होगा यदि तो वह एक नामिनी के लिये भी हो सकता जिस प्रकार दो नामिनी के लिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल में झगड़ा हो सकता है उसी प्रकार एक आदमी के नाम के लिये भी हो सकता है ।

दूसरी बात यह है कि आपने जो ऐक्सपर्टस कमेटी रखी है उसमें यूनिवर्सिटी के अन्दर के तत्वों के प्रतिनिधियों का बहुमत नहीं रखा । आपने बाहरी तत्वों के प्रतिनिधियों का बहुमत कर दिया । मैं एक्सपर्टस के बीच में कोई भेद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी किसके प्रतिनिधि हैं ? यह बात कोई कम महत्व की है ? जो तीन जनों की एक्सपर्टस कमेटी बनेगी उसमें दो बाहरी तत्वों के प्रतिनिधि होंगे, एक चांसलर के नामिनी होंगे वह बिल्कुल एक्सटर्नल नामिनी होंगे और दूसरे चीफ जस्टिस के नामिनी होंगे वह भी एक्सटर्नल नामिनी होंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं उनकी महानता में कोई शंका नहीं करता, मैं यह नहीं कहता कि जिनको चांसलर या चीफ जस्टिस नामिनेट करेंगे वे सुयोग्य नहीं होंगे। लेकिन इस प्रजातंत्र के युग में जो प्रतिनिधि के अधिकार की एक वस्तु होती है वह वस्तु उसमें नहीं रहेगी। तीसरा नामिनी जो एक्सपर्ट्स कमेटी में होगा वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल का होगा। तो इस प्रकार उसमें बहुमत बाहर के प्रतिनिधियों का हो जाता है जो यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का विश्वास प्राप्त करने के लिये उचित नहीं है। अब यह अवसर तो नहीं है कि किसी प्रकार कोई संशोधन हो सके या माननीय मंत्री जी को किसी तरह से प्रेरित किया जा सके कि वे अपनी राय को बदलें।

मैं चाहूंगा कि इस समय जो संशोधन हुआ है उससे किसी प्रकार कार्य चले लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जिस प्रकार यह रखा गया है भविष्य में चल कर इसमें तब्दीली की आवश्यकता होगी। अन्ततोगत्वा जो आज परिस्थिति है हमारे यहां कि आगरा में वाइस चांसलर चुनने का तरीका कुछ है, बनारस और अलीगढ़ में कुछ हैं, इलाहाबाद में कुछ हैं, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में कुछ हैं, रुड़की यूनिवर्सिटी में कुछ और हैं, गोरखपुर में कुछ हैं, आखिर यह क्या पेटर्न है? मुझे तो कभी-कभी आश्चर्य होता है कि हम लोग रोज नये-नये पैटर्न चुनते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर हम समझते हैं कि गोरखरपुर यूनिवर्सिटी का जो पेटर्न हमने रखा है वह सब से अच्छा है तो जो पुराने तरीके दूसरे यूनिवर्सिटीज में हैं उनको बदलिये। हम हर यूनिवर्सिटी के साथ एक्सपेरीमेंटेशन नहीं कर सकते। जितना कम एक्सपरीमेंटेशन हम करें उतना अच्छा है। जितना अनुभव आपको होता जाय उसका फायदा अवश्य उठायें लेकिन यह नहीं कि उस अनुभव का लाभ एक ही यूनिवर्सिटी को दें और दूसरों को छोड़ दें। यह बात सही है कि हर विश्वविद्यालय में एक सी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक की अलग-अलग परिस्थिति होती है, कोई टीचिंग होती है, कोई एफिलियेटिंग होती है, कोई फेडरेटिव होती है। लेकिन यह जरूर है कि एक ही श्रेणी के विश्वविद्यालयों का विधान करीब-करीब एक हो सकता है। क्योंकि आगरा और गोरखपुर दोनों टीचिंग और एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--आगरा भी टीचिंग यूनिवर्सिटी हो गयी आपके यहां।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अब, श्रीमन्, कोई और होता तो मैं कहता कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन शिक्षा मन्त्री के लिए तो मैं यह नहीं कह सकता हूं। आगरा यूनिवर्सिटी भी एक टीचिंग युनिवर्सिटी करार दे दी गयी है। आप उसका विधान देखें, उसके प्रिऐम्बुल में ही यह लिखा हुआ है कि टीचिंग एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी। पहले उसमें केवल एफिलियेटिंग शब्द था। सन् ५३ में जो विधान मंजूर किया गया है उसके प्रिऐम्बुल में टीचिंग शब्द जोड़ दिया गया है। और डाक्टर महाजन जो उसके वाइस-चांसलर थे उन्होंने हमको सूचना दी, इस सदन में तो वे शायद नहीं बोले लेकिन सेलेक्ट कमेटी के भीतर और उसके बाहर भी उन्होंने सूचना दी कि वे हिन्दी के क्लासेज खोल रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--वह रिसर्च इन्स्टीट्यूट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--रिसर्च इन्स्टीट्यूट भी टीचिंग का ही हिस्सा होता है। तो, खैर, आगरा यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पैटर्न करीब-करीब हम एक कर सकते हैं। तो क्या मैं आशा करूं कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी और सरकार कम से कम इस ओर ध्यान देंगे और इस बात की चेष्टा करेंगे कि हम जिस प्रकार और जितना अनुभव प्राप्त करते जायं उसका उपयोग करते जायं, और उतनी अधिक मान्यताओं के अन्दर रहते हुए विश्वविद्यालय अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करते जायं ?

दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन जो अभी द्वितीय वाचन के समय स्वीकार किया गया कि पहले वाइस चांसलर के चुनाव के सम्बन्ध में अभी प्रस्ताव कर लिया गया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी तीन प्रतिनिधियों की है पर पहले वाइस-चांसलर को चांसलर नियुक्त करेंगे। सेलेक्ट कमेटी ने फाउन्डेशन सोसाइटी जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की थी उसके अधिकार को वापिस ले लिया था, लेकिन अब जो आज अभी संशोधन मंजूर हुआ है उसके लिए गोरखपुर फाउन्डेशन सोसाइटी को फिर एक बार मान्यता दी गयी है। चूंकि यह पहले ही

केवल वाइस चांसलर का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने उचित ही निश्चय किया है और यह नहीं कहा जा सकता कि वह निर्णय कोई गलत हुआ है। अगर पहले वाइस चांसलर की नियुक्ति में चांसलर महोदय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी की राय ले लें तो यह कोई बुरी बात नहीं है।

लेकिन इतना अवश्य है कि हम को यह सोचना होगा कि ऐसे वाइस चांसलर कितनी अवधि तक रखे जायेंगे। मुझे दुख है कि सरकार की ओर से यह चेष्टा की गई है कि यह जांच किये जाने की कि आया जो पहले उपकुलपति होंगे वे कितनी अवधि तक काम करेंगे। सरकार की मंशा है कि ये पूरी अवधि अर्थात ५ साल तक कार्य कर सकते हैं। मेरे विचार से ऐसे उपकुलपति जो कि पहले से आये हों, जो अधिनियम की धाराओं के अनुसार न चुने गये हों, पहले केवल एक सोसाइटी द्वारा नामजद किये गये हों, उनको ५ साल की पूरी अवधि तक रखना उचित नहीं होगा। इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं केवल उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि जितने वाइस चांसलर हुए हैं, पहले उनकी इतनी लम्बी अवधि नहीं रही। आगरा यूनिवर्सिटी में, श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि जब आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, सन् १९२२ में बना तो उस समय उन्होंने उसमें वाइस चांसलर के शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। उन्होंने लिखा कि एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी होंगे जिनको चांसलर नामिनेट करेंगे और वे वाइस चांसलर का कार्य करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि जब आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में वाइस चांसलर के शब्द का भी प्रयोग करना उचित नहीं समझा और उसके स्थान पर आफिसर आन स्पेशल डयूटी का नाम रखा तो फिर हम यहां यह रखे कि गोरखपुर युनिवर्सिटी का स्टैट्यूट इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी से भिन्न है। पिछले वर्ष जब हमने इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्टों में संशोधन किये तो उस समय इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटियां कोई नयी स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटियां नहीं थीं बल्कि ऐसे विश्वविद्यालय थे जो पहले से चले आ रहे हैं इसलिये वहां पर यह उचित देखा गया कि संक्रमण काल के लिए जब तक नये स्टैट्यूट लागू न हो जायं, जब तक अधिनियम की सभी धाराओं का नये रूप में व्यवहार न किया जाय तब तक वाइस चांसलर एक साल दो साल के लिए हो लेकिन एक नयी यूनिवर्सिटी में प्रथम वाइस चांसलर को जो कि अधिनियम के आधार पर चुने गये हों, इस प्रकार ५ साल तक रखा गया है, उनके सिर पर यह उत्तरदायित्व देना उचित नहीं है।

जो दूसरे संशोधन हुए हैं, वे इतने महत्व के नहीं हैं। मिसाल के लिए फाउन्डेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट को कोर्ट में देने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे ही कुछ और भी उपबन्धों में संशोधन किये गये हैं, लेकिन वे इतने महत्व के नहीं हैं। उनमें से किन-किन उपबन्धों को किये जाने की आवश्यकता थी, उनकी चर्चा करने का भी इस समय अवसर नहीं है। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि यह जो विधेयक पारित होने जा रहा है, उसमें कमियां हैं और महत्वपूर्ण कमियां हैं। यह भी ठीक है कि इसमें हमें कदाचित् दिखाई नहीं देता एक स्वतन्त्र प्रभुत्व सम्पन्न स्वायत्तता प्राप्त विश्वविद्यालय का चरित्र, जो होना चाहिए। यह भी ठीक है कि हमें इस विधान के अन्दर वह आदर्श विधान नहीं प्रतीत होता कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की भारतीय आवश्यकताओं और भारतीय वास्तविकताओं की मान्यताओं से प्रेरित होकर होना चाहिए था। ऐसा भी कोई चरित्र हमें इसमें नहीं दिखायी देता जो कि उन की पूर्ति कर सके, लेकिन जैसा भी अधकचरा और अधूरा यह विधान है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यह अपनी कमजोरियों के होते हुए भी पूर्वी जिलों की जनता की सेवा करने में सफल हो और गोरखपुर विश्वविद्यालय इन सब कमजोरियों के रहते हुए भी प्रदेश की जनता की सेवा कर सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री नवल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पारित होने जा रहा है। आज सात, आठ साल से हमारे पूर्वी जिलों की आम जनता की जो ख्वाहिश थी वह बहुत हद तक पूरी होने जा रही है। हो सकता है कि जो स्वप्न हमारे साथियों ने देखा हो वह पूर्णतः पूरा न हो, लेकिन यह सही है कि अधिकांश रूप में, बुनियादी तौर से जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनकी मांग थी, जो उनकी इच्छायें थीं, वह पूरी होने जा रही हैं। इसके लिए मैं उन जिलों के सभी साथियों को और वहां की जनता को बधाई देता हूं।

[श्री नवलकिशोर]

इस तृतीय पाठन में माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि वह यह नहीं समझ पाये कि इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा क्या है। मैं समझता हूं कि इतनी वहस के बाद और दूसरे पाठन के बाद इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि इस यूनिवर्सिटी की रूप रेखा एक टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी की है। जैसा कि कुछ साथियों ने कहा, अच्छा होता अगर साथ ही हम इसको रेजीडेंशियल और टीचिंग यूनिवर्सिटी बना पाते, लेकिन जैसी परिस्थिति में हम हैं, हमारे सामने कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम इसको टीचिंग-कम ऐफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी ही बनाते। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की टीचिंग और स्टेडीज को विश्वविद्यालय तक सीमित करने का मन्शा यह है कि अधिक से अधिक इसको रूप-रेखा टीचिंग यूनिवर्सिटी की रखी जाय। ऐफिलियेटिंग इसलिए किया कि जो ९ जिले हैं आस-पास के, उनके अन्दर जो कालेजेज हैं, उनको इससे एफिलियेट कर दिया जाय ताकि आगरा यूनिवर्सिटी का कुछ बोझ भी कम हो जाय।

कहा गया कि इसके अन्दर आटोनोमस और वर्किंगमेन कालेज का, जिनका प्राविजन आगरा विश्वविद्यालय में है, नहीं किया गया है। सही है और मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता भी यहां नहीं थी। इसके बारे में काफी बहस इस सदन में हो गयी। उसके विवरण में मैं नहीं जाऊंगा; केवल इतना ही कहूंगा कि जो परिस्थिति आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर थी, वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर नहीं है। वह एक बनी बनायी यूनिवर्सिटी थी, उसमें बड़े-बड़े कालेज थे, और ऐसे कालेज हैं आज भी कि जो किसी दिन भी स्वयं एक यूनिवर्सिटी बन सकते हैं, जैसे मेरठ में और कानपुर में। उस स्तर के, उस स्टैन्डर्ड के, उतने ग्रोन अप और मैच्योर कालेज हमारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हैं। इसलिए यहां इस बात की इच्छा करना कि यहां भी आटोनोमस कालेज बना दिये जाते, मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित और व्यावहारिक नहीं है। वर्किंगमेन कालेज की बात कही गयी और कहा गया कि इससे कुछ लोगों को फायदा हुआ, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी में इसका प्राविजन है, लेकिन वहां भी वह कहां तक सफल होंगे, यह देखने की बात है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी विश्वविद्यालय का जब निर्माण हो, शुरूआत की जाय तो जितनी भी चीजें हों, जितना उसका पैराफरनेलिया हम सोच सकते हों, वह सब उसमें रख दिया जाय। यह आवश्यक नहीं है।

इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन का जिक्र किया माननीय तिवारी जी ने, वाइस चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में। उस पर भी काफी बहस हो चुकी है और मैं अभी भी, इस स्टेज पर भी यही कहूंगा कि उस संशोधन का यह कतई दावा नहीं था कि जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गयी विचार यह था कि यह सबसे अच्छा साबित होगा। लेकिन जब यह देखा गया कि इससे भी सुधार नहीं होता, तो लखनऊ और इलाहाबाद तथा आगरा युनिवर्सिटीज के जिलों को संशोधित किया गया। आगरा युनिवर्सिटी में जो ध्येय लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसी को लेकर यह दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि अभी तक हम किसी एक निश्चित नीति पर नहीं पहुंच पाये हैं। अभी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इसके मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है और वह इसी खयाल से कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा साबित होगा, उसी को हम मान लेंगे, और उसी के अनुसार जो तरमीम होंगी उनको करने की कोशिश करेंगे।

जहां तक गोरखपुर युनिवर्सिटी में फाउन्डेशन सोसाइटी के तीन सदस्यों की एडवाइस पर प्रथम वाइस चांसलर नियुक्त करने का सम्बन्ध है, वह ऐसा प्रश्न है जो जोइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने भी आया था। जब जनरल बहस इस पर हो रही थी तो किन्हीं माननीय सदस्यों ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह कालेज की शिक्षा परिषद् को एक मेम्बर के लिए एक्जीक्युटिव में एक सीट दे दो है लेकिन दूसरी तरफ गोरखपुर की फाउन्डेशन सोसाइटी को, जिसने इस विश्वविद्यालय के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसने फन्ड्स इकट्ठे किये, पैराफर्नेलिया तैयार किया, उसकी आपने अवहेलना की। इन साथियों की इच्छा को देखते हुए

यह उचित ही समझा गया कि जिस सोसाइटी ने इतना बड़ा कार्य किया उसकी कुछ न कुछ एडवाइस प्रथम वाइस चांसलर के नियुक्त करने में होनी चाहिए, इसी कारण से यह संशोधन इसमें रखा गया है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती।

एक चीज यह भी उठायी गयी कि प्रथम वाइस चांसलर का टर्म क्या हो। २ साल हो, ३ साल हो और बाद को सोचकर यह तय किया गया कि उसको ५ साल रखा जाय। वह इस लिए कि चूंकि यह युनिवर्सिटी शुरू होने वाली है, अतः इस युनिवर्सिटी में जो पहला वाइस चांसलर हो, वह अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो इस प्रदेश में या इसके बाहर मिल सकता हो, रक्खा जाय और उसको ५ साल का वक्त दिया जाय, जिससे वह तमाम फार्मेलिटीज को पूरा करके बुनियादी चीजों को पूरा करके, ठोस इमारत बना सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह समझा गया कि उसका समय ५ साल का हो। तिवारी जी ने कहा कि उसका नाम पहले आगरा युनिवर्सिटी में ओ० एस० डी० रक्खा गया था। यह तो केवल शब्दों का हेरफेर है। अगर उसके अधिकार और काम वहीं हैं जो वाइस चांसलर के हैं तो उसको चाहे जो नाम दीजिये, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इन टर्मनोलोजी पर ज्यादा जोर देना नहीं चाहता। इसलिए यह उचित ही है कि पहले वाइस चांसलर को ५ साल का वक्त दिया जाय, ताकि वह ठोस बुनियाद पर उसको खड़ा कर सके। इन शब्दों के साथ में सरकार को और माननीय शिक्षा मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने पूर्वी जिलों के लोगों की मांगों को पूरा किया। इसके अतिरिक्त में वहां की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं जिसने इस विश्वविद्यालय के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये।

श्री शिव नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को और शिक्षा मन्त्री जी को तथा पूर्व के ९ जिलों के तमाम कार्यकर्त्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस युनिवर्सिटी के लिए प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया, पैसा दिया, गली गली दौड़े, तथा बड़ा परिश्रम किया। विशेषरूप से शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्हीं को इसका श्रेय प्राप्त है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वह भी पूर्वी जिलों से ही आते हैं। यह जिले बहुत ही नेगलेक्टेड हैं बल्कि वह तमाम एरिया ही नेगलेक्टेड रहा है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिन जिलों में डिग्री कालेजेज नहीं हैं यहां वह खोले जायं।

सरकार ने जो रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज केवल युनिवर्सिटी में ही खुलेंगे वह ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि बस्ती सब से बड़ा जिला है, और वहां पर पांच पांच इन्टरमीडियेट कालेजेज काम कर रहे हैं वहां कोई डिग्री कालेज नहीं है और वहां के लड़कों को लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और बनारस जा कर टक्करें मारना पड़ता है, और उन को हर तरह की कठिनाई होती है, और तमाम भागना दौड़ना पड़ता है।

इसके अलावा जो इसमें रखा गया है कि एक आदमी एक्जीक्युटिव कौंसिल से नामिनेट होगा, एक चांसलर स्वयं करेंगे और एक चीफ जस्टिस करेंगे और उनमें से एक को चांसलर, वाइस चांसलर नियुक्त करेंगे; मैं समझता हूं कि यह बहुत ठीक है। मैं समझता हूं कि हर एक को ड्यूटी है कि वह अच्छा आदमी भेजे और राटेन आदमी वहां न जायं और मुझे आशा है कि यह लोग जो समझदार व्यक्ति होंगे वह कभी राटेन माइन्डेड आदमी न भेजेंगे और जो एफिशियेंट लोग होंगे, वहां नामिनेट होंगे। इस तरह से अगर हमारा वाइस चान्सलर बेस्ट आदमी होगा तो जो हमारे यहां इनडिसिप्लिन का प्रश्न है वह भी हल हो जायगा और जिसको देखकर आज हमको दुख होता है।

आज हमारे सामने यह सवाल है कि "व्हाट आफटर नेहरू"। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हमारे यहां ऐसे विद्यार्थी निकलें, जो हर तरह से उत्तम हों, अब उन लोगों की आयु ६५-६६ वर्ष की होने लगी है और राष्ट्र का भार किसी दिन नयी पीढ़ी पर आना है। इसलिए उस जिम्मेदारी को समझकर हमें आने वाली सन्तान को सम्हालना है और उनको डिसपिलिन्ड बनाना है। यह नहीं कि वह सोशलिस्ट, जनसंघ हिन्दू महासभा का प्रचार ही करते रह जायं,

[श्री शिवनारायण]

यह चीज गलत है और इस चीज को हमें रोकना है, और उन को हमें किसी पार्टीबाजी में नहीं पड़ने देना है। यह समय है कि वह वहां पर बनें या बिगड़ें, जो विद्यार्थी बिगड़ गये उन का बनना मुश्किल होता है, हम उसी कैटेगरी के हैं कि जिनका बचपन बिगड़ चुका है और बुढ़ापे में पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी सुन्दर अध्ययन में मन लगावें और पार्टी-बाजी में न पड़ें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि यह थर्ड रीडिंग है और समय कम है इसलिए वह अपने को जरा सीमित रखें।

श्री शिवनारायण—मैं अपनी सरकार को और माननीय शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपको भी, श्रीमन्, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बिल के शुरू में भी सर्वप्रथम बोलने का अवसर दिया और आखिर में भी मैं आप की आज्ञा से विचार प्रकट कर सका। इस समय श्री जोरावर वर्मा मौजूद नहीं हैं, मैं अकेला उस दिन हाउस में खड़ा था और यहां कहा गया था कि शिक्षा के प्रसार को बढ़ाया जाय तो उनको बड़ा नागवार हुआ। मैं अपने ९ जिलों की ओर से मेम्बरान को और गवर्नमेंट को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम गली गली से धन मांगकर इस युनिवर्सिटी को चलावेंगे और उसको ऊंचा लायेंगे।

एक एतराज किया गया कि लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस सब विश्वविद्यालयों के नियम अलग-अलग हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम गोरखपुर में एक नया अनुभव कर रहे हैं और अगर वह सफल हुआ तो आशा है कि सरकार सब जगह उसी को लागू करेगी और उस का श्रेय गोरखपुर युनिवर्सिटी को और माननीय मन्त्री जी को मिलेगा; और पूर्वी जिले का कल्याण होगा; उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा होगा और पंचशील की देन जो इस प्रदेश की है वह सफलीभूत होगी, क्योंकि हमारा गोरखपुर का वही इलाका है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। मैं सरकार को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत शुभ काम किया। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मैं इस भवन का बड़ा आभारी हूं कि उसकी कृपा से आज यह मेरे लिए सम्भव हुआ कि इस भवन के समक्ष मैं इस विधेयक के तृतीय वाचन का प्रस्ताव उपस्थित करूं। यह तो किसी व्यक्ति के लिए असम्भव है कि वह यह कहें कि जो इस विधेयक के खंड हैं वे उससे अच्छे नहीं हो सकते थे। लेकिन यह कहना कि उपकुलपति का निर्वाचन एक प्रयोग है, मैं समझता हूं कि यह कहना गलत है। एक्सपेरिमेंट उस चीज का किया जाता है जिसमें एक्सपेरिमेंट कर्ता यह नहीं जानता कि वह किस ध्येय की पूर्ति के लिए वह एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वह तो सामग्रियों को एकत्र कर देता है। एक को दूसरे पर रिऐक्ट करने का अवसर देता है और इस प्रकार से वह देखता है कि इन सामग्रियों को एकत्र करने से एक दूसरे के प्रसंग में आने से एक दूसरे के ऊपर ऐक्ट और रिऐक्ट करने से क्या परिणाम होता है। यह है एक्सपेरिमेंट की परिभाषा। एक्सपेरिमेंट में यह पता नहीं होता कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। यहां जहां उपकुलपति के चुनाव का प्रश्न है वहां तो हम अपने ध्येय को जानते हैं। इसमें हममें या किसी में मतभेद नहीं है कि उपकुलपति किस प्रकार का होना चाहिए और हम निर्वाचन की विधि केवल उपस्थित कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसकी नियुक्ति हो और चूंकि हम यह नहीं चाहते कि उपकुलपति जैसा मैंने पहले कहा दौड़-दौड़ हर एक मेम्बर के पास इसलिए घूमता फिरे कि वह उसको अपना वोट दे। इसीलिए इस निर्वाचन पद्धति का निर्माण इस विधेयक में किया गया है और इससे हम आशा कर सकते हैं कि शायद हमारे लिए यह सम्भव होगा कि हम एक आशातीत जैसा कि हम उपकुलपति चाहते हैं और विश्व-विद्यालय चूंकि स्थापित होने जा रहा है तो उसी के अनुसार, उसी के योग्य उसका उपकुलपति भी होगा।

दूसरी बात यह कही गयी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की रूपरेखा नारायणदत्त जी को नहीं मालूम है। समझता हूं कि वास्तव में उनको मालूम तो है, लेकिन शायद वह पढ़ना नहीं चाहते थे कि उसकी रूपरेखा क्या है।

एक बात जो इस तृतीय वाचन के सम्बन्ध में तो नहीं लेकिन इसके पहले कही गयी और बड़े जोर से कही गयी कि एक इसमें और प्रतिबन्ध लगाया जाय। मैं उस ओर तो नहीं जाना चाहता। कहना भी नहीं चाहता लेकिन चीफ जस्टिस का कोई सम्बन्ध न हो, हाईकोर्ट का कोई सम्बन्ध न हो, सरकारी लोगों का कोई सम्बन्ध न हो, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर याद है कि एक दफा इस भवन में इस विषय के सम्बन्ध में (व्यवधान) में जानता था कि शायद आप नहीं हैं। इसीलिए जिक्र नहीं किया था। लेकिन एक प्रस्ताव नारायणदत्त जी खुद ही ले आये थे कि प्रान्त के चीफ मिनिस्टर किसी युनिवर्सिटी के चांसलर बनाये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कब लाया था, साहब ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह अब आप देख लीजिये। और आज भी इसमें भी....

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने मिनिस्टर कहा था आर यू श्योर ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आई थिंक सो। और सागर यूनिवर्सिटी का आपने उदाहरण भी दिया था, यह भी मुझे आपसे ही मालूम हुआ था और आज भी इसमें यहां एक संशोधन है कि चीफ मिनिस्टर चांसलर बनाया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कहीं किसी ने नहीं कहा ऐसा।

श्री हरगोविन्द सिंह--खैर, अब मेरी समझ में बात नहीं आयी। एक और एक जोड़ कर दो तो होते हैं लेकिन अगर बार-बार वही दो रोटी वाली बात कही जाय तो वह खटकती है। सवाल यह है कि यह कौन सा नियम है कि प्रान्त की कैबिनेट में एक एजूकेशन मिनिस्टर तो रहे जो यूनिवर्सिटी का खाका बनावे, जो यूनिवर्सिटी को रुपया दे, जो आपके सामने इस बात की जिम्मेदारी ले कि आप जो रुपया उसको देते हैं यूनिवर्सिटी में लगाने के लिये वह सुचारु रूप में से खर्च होता है लेकिन वह किसी यूनिवर्सिटी के एक्जीक्यूटिव का मम्बर न रहे, वह कोर्ट का मेम्बर रहे, कोर्ट के मेम्बर में आपने रखा है और किसी ने यह नहीं कहा हालांकि गौतम जी ने भी नहीं कहा कि कोर्ट में एक एजूकेशन मिनिस्टर को नहीं रहना चाहिये, लेकिन यह कि किसी यूनिवर्सिटी की एग्जिक्यूटिव में उसको नहीं रहना चाहिये। . . . . .(व्यवधान)

आपने यह कहा कि ट्रेजरर नहीं रहना चाहिये, वह किसलिये ट्रेजरर नहीं रहना चाहिए ? यह आपकी राय हो सकती है कि ऐक्ट में यह रखा तो जाय कि वह मेम्बर होगा लेकिन वह इतना अकर्मण्य हो कि उसको जाना नहीं चाहिए, किसी मेम्बर को कोर्ट में जाना नहीं चाहिए। मेरी बुद्धि आपके स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है।

श्री मोहनलाल गौतम--पार्टीबाजी और एलेक्शन में हिस्सा लेना बन्द करिये।

श्री हरगोविन्द सिंह--वह युनिवर्सिटी में तो पार्टीबाजी होनी ही नहीं चाहिये। इसलिये वहां तो पार्टीबन्दी का कोई सवाल नहीं। हां, अगर यूनिवर्सिटी का एक ही स्वरूप आपको दिखलाई पड़ता है कि वह पार्टीबन्दी का अखाड़ा होना चाहिए तो वहां एग्जीक्यूटिव में किसी मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए। इसमें मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मुझे तो आपसे निवेदन यह करना है आपके सामने यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप है वह एक पार्टीबन्दी का केन्द्र है, इसलिए आप शायद कह रहे हैं कि उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रयत्न यह है कि यह युनिवर्सिटी अखाड़ेबाजी का केन्द्र नहीं होनी चाहिए; यहां केवल एक ही कार्य होना चाहिए पठन और पाठन का; तो मैं समझता हूं कि युनिवर्सिटी में वह व्यक्ति होना चाहिए जो यही नहीं कि

[श्री हरगोविन्द सिंह]

सरकार से भी रुपया दिला सके, बल्कि जिसका इतना ऊंचा व्यक्तित्व हो कि वह दूसरों से भी रुपया ला करके यूनिवर्सिटी की मदद कर सके और इस दृष्टि से अभी तक मेरे सामने केवल एक उदाहरण है और आज फिर मैं उसको दुहराता हूं, उस दफा भी मैंने कहा था और आज भी दुहरा के कहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के ट्रेजरार ने जितनी मदद लखनऊ यूनिवर्सिटी की है आज तक यूनिवर्सिटी के इतिहास में हमारे प्रान्त में किसी ट्रे जरर ने अपनी यूनिवर्सिटी का उतना लाभ नहीं किया है रुपये की दृष्टि से। यह एक आपके सामने मैं ठोस चीज रख रहा हूं। तो अगर आप उसको पार्टीबंदी ही का अखाड़ा समझते हैं, यही होना है उसका स्वरूप, यही स्वरूप देना चाहते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि वहां कोई मिनिस्टर न रहे। वहां तो आप ही रहें तो अच्छा है ?

एक सदस्य—यह आप किसके लिये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यानी जो लोग इस ओपीनियन के हैं और अगर गौतम जी भी हैं तो उनके लिये भी हैं। तो यह मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज है, आज यह कहा जाता है और ठीक है, मैं सहमत हूं कि आज यूनिवर्सिटी अखाड़ेबाजी की जगह बनी हुयी हैं जहां यह लड़ाई लड़ी जाती है, जहां पदों के लिये झगड़ा होता है, जहां पठन-पाठन का कार्य क्रम होता है ; वहां किसी को नहीं रहना चाहिए। लेकिन यह कोई ऐसा अकाट्य सिद्धांत नहीं हो सकता। अगर एक एजूकेशन मिनिस्टर या एक डायरेक्टर जिसके सामने पूरा ऐजूकेशन का खाका है, उसको सबका प्रबन्ध करना पड़ता है, धन इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन फिर अगर आप यह चाहते हैं कि सचमुच उसकी ओर लोग बढ़ सकते हों और लोग चाहें तो आपको चाहिये कि आप सचमुच में युनिवर्सिटी में ऐसे लोगों को रखें जो उसके स्तर को ऊंचा करें, और मैं समझता हूं कि अगर चीफ मिनिस्टर चांसलर हो जाता है जैसे कि सागर युनिवर्सिटी में चीफ मिनिस्टर चांसलर है, तो फिर कोई अकाट्य नियम नहीं हो सकता है कि मंत्रिमंडल का कोई आदमी युनिवर्सिटी से किसी तरह से संबंधित न हो।

मैं इन शब्दों के साथ एक दफा फिर इस भवन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उसकी कृपा से यह विधेयक पारित हुआ और हम आशा प्रकट करें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, अच्छे ढंग से होगी, सुदृढ़ नींव पर होगी और हम जो उससे आशा करते हैं उस आशा की पूर्ति होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक बात सफाई के लिए कहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि मैंने एक अमेंडमेंट पेश किया था कि चीफ मिनिस्टर चांसलर हो, तो मैं यह कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल तो उठाना नहीं चाहता, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपा करके साबित करें कि मैंने कब यह संशोधन पेश किया था और अगर मैंने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया था तो वह जो उन्होंने असत्य, सत्य से परे बात कही है उसको वापस लेने की कृपा करें। अगर मैंने कहा हो तो मैं सदन में क्षमा वगैरा मांगने के लिये तैयार हूं, लेकिन सत्य से परे यदि उन्होंने बात कह दी कि मैंने चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाने की बात कही थी, तो मैं इस सम्बन्ध में चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी उसे वापस लें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इलाहाबाद या लखनऊ युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में उस पार्टी की तरफ से यह चीज आयी थी और चूंकि प्रास्पेक्टिव एजूकेशन मिनिस्टर आप हैं, तो मेरा ख्याल था कि आपके ही द्वारा आयी होगी। अगर बात गलत है, तो मैंने इसीलिए पहले कह दिया कि जहां तक मुझे याद है—चाहे आपका रहा हो या तेज प्रताप जी का रहा हो या जोरावर वर्मा जी का रहा हो, ये जो प्रास्पेक्टिव एजूकेशन मिनिस्टर्स हैं उन्हीं में से किसी एक का था। अगर उसमें नारायण दत्त जी नहीं रहे तो मैंने यह तो नहीं कहा कि उन्होंने ही कहा था फिर भी अगर उनको तकलीफ हुयी हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं उनको मुझसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो उनसे हमेशा क्षमा चाहता हूं सुरक्षा की।

श्री उपाध्यक्ष—उसकी बड़ी आवश्यकता तो नहीं होगी.....

श्री तेजप्रताप सिंह—आपकी दिक्कत तो दूर किया, लेकिन मेरे ऊपर चोट पड़ी। मैंने कहा था कि चुनाव द्वारा वाइस चांसलर हो, जब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विधेयक पास हो रहा था। चांसलर के लिये भी मैंने कहा था कि कोर्ट के द्वारा चुनाव हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में गन्ना पिराई की स्थिति के संबंध में नियोजन मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, उस रोज जो काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें कही थी उनमें कुछ बातें और मैं बढ़ाना चाहता हूं ताकि सदन में इस पर जो बहस होगी उसमें काम हल्का हो जाय।

हलद्वानी—लालकुआं का जो इलाका है उस इलाके में सन् १९५२–५३ में २,६२,००० मन तो हल्द्वानी से और १,७२,००० मन लालकुआं से गन्ना गया था। सन् १९५३–५४ में ६५ हजार मन गन्ना हलद्वानी में और ८२ हजार मन गन्ना लालकुआं में और ५४–५५ में १ लाख २७ हजार मन गन्ना हल्द्वानी में और २ लाख ३० हजार मन लालकुयें में दिया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—हमने जो स्टेटमेंट दिया था क्या उसके ऊपर है?

श्री फूल सिंह—जी हां, थोड़े से आंकड़े आपके सामने रख देना चाहता हूं ताकि आपको बहस करने में आसानी हो। इस साल ४ लाख मन गन्ना यहां से पेरा गया है और यह ३० अप्रैल तक है बाकी और क्रश उसके बाद ही होगा। बहेड़ी फैक्टरी के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि वहां पारसाल २७.७ लाख मन क्रश हुआ था। इस साल २१ लाख मन से ऊपर गन्ना क्रय हो चुका है।

(इस समय ३ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बाजपुर का जो एरिया है उसमें जितना गन्ना पारसाल दिया गया था इस साल उससे लगभग दोचन्द हो गया है। इस एरिया से १९५२–५३ में ३.१४ लाख मन, १९५३–५४ में २ लाख मन और १९५४–५५ में ४.६६ लाख मन क्रश हो गया था।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह छपकर आ गया है। दो मिनट में इसको बटवाये देता हूं।

(साइक्लोस्टाइल्ड आंकड़े बांटे गये।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह स्टेटमेंट हमारे स्टेटमेंट का क्लेरिफिकेशन है। तो मैं पहले अपनी बात कह लेता तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा स्टेटमेंट तो हाउस के सामने आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आंकड़े दे रहे हैं। वह उसी को सप्लीमेंट कर रहे हैं। जिस वक्त आप खड़े होंगे जवाब दे लेंगे। मैं सबको बंटवा रहा हूं। (श्री फूल सिंह से) आप अब भाषण जारी करें।

श्री फूल सिंह—इस तरह से माननीय सदस्य देखेंगे कि जो ऊपर आंकड़े हैं कि इस साल बाजपुर एरिया में ७५ लाख मन गन्ना क्रश होगा जो पिछले सालों से कहीं ज्यादा है। काशीपुर एरिया में गन्ने का रकबा ५० प्रतिशत बढ़ा है और काशीपुर फैक्टरी इस साल पहले के मुकाबिले

[श्री फूल सिंह]

में १३ दिन पहले चली है। पिछले साल इस फैक्टरी में २९.५ लाख मन गन्ना क्रश किया गया था और इस साल ७ मई तक ३२.५ लाख मन गन्ना क्रश कर लिया है और इस फैक्टरी में से जो गन्ना हेमपुर स्टेट फार्म का था जो इस वर्ष फैक्टरी को क्रश करना था मगर वह गन्ना डाइवर्ट हो कर रामपुर शुगर फैक्टरी को चला गया है। तो इससे एक लाख मन गन्ना किसानों का और इस फैक्टरी में क्रश होगा।

रामपुर में दो फैक्टरियां हैं बुलन्द और रजा। ये फैक्ट्रियां पारसाल क्रमशः १५ और २५ दिसम्बर को चलीं। इस साल ये दोनों फैक्टरियां पहली दिसम्बर को चलीं। पारसाल इस फैक्टरी में ७१ लाख मन गन्ना पेरा गया था इस साल ३० अप्रैल सन् १९५६ तक ८५ लाख मन उन्होंने क्रश कर लिया है और २५ लाख मन और क्रश करेंगे तो इस तरीके से ये फैक्टरियां १ करोड़ १० लाख मन के करीब गन्ना क्रश कर देंगी बमुकाबिले पिछले साल के गन्ना जो कुछ ७१ लाख मन था।

किछा का गन्ना पीलीभीत, बरेली और बहेड़ी फैक्टरी में जाता है। पारसाल ७.५ लाख मन गन्ना क्रश किया था और इस साल ६ लाख मन क्रश कर चुकी है और बाकी और क्रश करने की कोशिश की जा रही है। बरेली फैक्टरी पारसाल २६ अप्रैल को बन्द हो गयी थी और ३३.५ लाख मन गन्ना क्रश किया था। इस साल ४२ लाख मन गन्ना मन क्रश कर लिया है और अब भी फैक्टरी चल रही है। सिउहारा फैक्टरी पारसाल ९५.५ लाख गन्ना पेरने के बाद २६ मई को बन्द हुई थी। ७ मई तक इस फैक्टरी ने ८८.६३ लाख मन गन्ना क्रश किया था। इस साल इसने ९३ लाख मन गन्ना क्रश कर लिया है और जून के अन्त तक यह फैक्टरी चलेगी। धामपुर मिल का ७ लाख मन गन्ना भी इसी फैक्टरी में डाईवर्ट हुआ है। पीलीभीत के सम्बन्ध में तो माननीय प्लानिंग मंत्री ने उस दिन कह ही दिया है इसलिये उसके सम्बन्ध में मुझे और कहना नहीं है। ये चन्द आंकड़े मैंने माननीय सदस्यों के सामने इसलिये रख दिये हैं ताकि जब वे बहस करें तो उनको थोड़ी सी सुविधा हो।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो आज यह विवाद हमारे सम्मुख प्रस्तुत है यह ऐसे विषय से सम्बन्ध रखता है जो कि आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के बहुसंख्यक कृषक जनता के हितों से सम्बन्ध रखता है। आज इस समय भी, इस कड़ी गर्मी के बीच भी हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिलों में रहने वाले लाखों किसान एक तड़पती हुई आशा से इस बात की बाट जोह रहे हैं और इस बात की तड़पती हुई मांग करते रहे हैं कि येन केन प्रकारेण उनके यहां जो गन्ने की बढ़ती इस वर्ष हुयी है उसको उचित मूल्य में पेरने की व्यवस्था की जाय। उस दिन कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो माननीय उद्योग मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था उसमें भी और आज के वक्तव्य में भी यह साबित करने की चेष्टा की है कि सरकार की ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी गयी। इसमें दोष या तो कृषकों का है कि जिन्होंने अधिक गन्ना बढ़ा लिया या अन्य तत्वों का है। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, वह तो अपनी ओर से प्रयत्नशील रही है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी तरह कोई नीयत पर शक करना नहीं चाहता कि माननीय उद्योग मंत्री व्यक्तिगत रूप से गन्ना पिरवाना नहीं चाहते या जो गन्ना विभाग है उसके अधिकारी, केन कमिश्नर से लेकर नीचे तक, उनकी कोई ऐसी इच्छा है कि वे गन्ना के पेरे जाने में कोई रुकावट डालें। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि उन्होंने अपनी ओर से यथा सम्भव चेष्टा की है। लेकिन हमें देखना तो यह है कि यथासम्भव चेष्टा कहां तक प्रजातंत्र के अनुसार रही है। क्या इससे अच्छी चेष्टा नहीं हो सकती थी? क्या उद्योग मंत्री जी और यह सरकार और उसके कर्मचारी, कर्मचारियों पर मैं ज्यादा दोष इसलिये नहीं देता क्योंकि उनको तो सरकार की नीति के अनुसार चलना पड़ता है, तो मुख्यतः मैं सरकार की नीति पर यह अवश्य कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मिल मालिकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की तरफ जो सरकार की नीति रही है पिछले कई वर्षों से वह उनसे दबने की नीति रही है, भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार दोनों की यह मुख्यतः जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से आज काश्तकारों को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

मैं, श्रीमन्, संक्षेप में स्थिति रखूंगा। माननीय मंत्री जी ने अभी कुछ आंकड़े दिये जिनसे यह साबित होता है कि दो एक केन्द्रों को छोड़ कर बाकी सब जगह गन्ना पेर लिया जायगा। जितने सेंटर्स का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, मैं यह स्पष्ट कर दूं, मैं प्रत्येक आंकड़े को यह नहीं कहना चाहता कि वह गलत है लेकिन इतना जरूर है कि ये आंकड़े यथार्थता से अवश्य परे हैं और जितना गन्ना पेरने की कोशिश की भी गयी है उसके अन्दर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अभी कल मैं तराई क्षेत्र, भाभर क्षेत्र में गया था तो मुझे मालूम हुआ कि जिस गन्ने के सेंटर में सरप्लस केन ८० हजार मन का है वहां पर ६०० मन का रोजाना इन्डेन्ट हुआ है और जहां ४० हजार मन का सरप्लस है वहां पर ८०० मन का रोजाना इन्डेन्ट हुआ है। फैक्टरी एक ही है लेकिन सेंटर्स में वहां के अधिकारी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। दूसरी ओर माननीय उद्योग मंत्री जी की ओर से भाभर क्षेत्र के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं कि ७० हजार मन गन्ना खड़ा है वह भी ठीक नहीं है बल्कि वहां करीब सवा लाख या डेढ़ लाख मन गन्ना खड़ा है। इस तरह से सर्वे भी गलत किया गया है। वहां के स्थानीय कर्मचारियों ने सर्वे भी ठीक नहीं की है। वहां के बहुत से स्थानीय आफिसर तो किसानों की मांग पर भी उनके खेतों पर जाने के लिये तैयार नहीं हैं। काशीपुर फैक्टरी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके सम्बन्ध में यह आशा करना कि काशीपुर जैसी छोटी फैक्टरी द्वारा या सारा गन्ना फैक्टरी में खप जायगा, भूल होगी। स्वयं अपने स्टेटमेंट में सरकार यह मानती है कि कितना अधिक गन्ना अकेले काशीपुर क्षेत्र में है।

कहा जाता है कि काश्तकारों ने गन्ने की उपज को बढ़ा लिया। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। श्रीमन्, तराई भाभर के इलाके में जहां कि सिंचाई के प्रबंध की कमी है, जहां कि नयी जमीन तोड़ी गई है वहां अगर किसान गन्ना नहीं लगायेगा तो क्या करेगा? मुझे से ऐसा एक एक्सपर्ट ने बताया है। तराई स्टेट फार्म जोकि एशिया का सबसे बड़ा फार्म है और जो कि दूसरों के लिये एक माडेल है, वहां पर पिछले वर्षों में लगातार क्यों गन्नों की उपज बढ़ाई गयी है? माननीय मंत्री जी इसको बतायें? इस वर्ष भी तराई स्टेट फार्म में गन्ने की पैदावार बढ़ाई गई है। एक हजार एकड़ गन्ना करीब इस साल लगाया गया है। वहां पर सिंचाई के साधनों की कमी की वजह से मजबूरी है कि गन्ना ही लगाया जाय अगर काश्तकार को जीवित रखना है।

दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि सरकार को पहले से मालूम था कि यहां गन्ना ज्यादा सरप्लस होगा। गोकुल नगर मिल सरकार की रजामन्दी से बुलन्दशहर गया। सरकार को मालूम था कि यह तराई भाभर का इलाका है और यहां गन्ना सरप्लस होगा फिर भी मैं देखता हूं कि सरकार की ओर से यह प्रबंध नहीं हुआ कि उन इलाकों में जहां सरप्लस केन है उसका कैसे ख्याल रक्खा जाय। उसमें मैं दो चार सुझाव देना चाहता हूं, जो कि पहले से दिये भी गये हैं और सरकार के पास आये हैं, मिसाल के लिये ओपेन पैन फैक्ट्री खोली जा सकती है। क्रशर कोल्हू तकावी जो दी गयी है इस साल के बजट में वह केवल दो लाख रुपये की है। तो जहां पर कि सैकड़ों फार्म हों वहां दो लाख रुपये से कितने क्रशर और कोल्हू लग जायेंगे, मैं समझता हूं कि यह कार्य केवल एक मृग मरीचिका मात्र है। मैं तो कहता हूं कि अब भी सरकार क्या कर रही है, कहीं ओपन पैन फैक्टरी खोलने की बात है? जितना गन्ना केवल तराई स्टेट फार्म में पैदा होता है उसी के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इस समय आप देखें कि दो फैक्टरिय खुलने की बात थी एक बाजपुर में कोआपरेटिव फैक्टरी और दूसरी किछा में प्राइवेट फैक्ट्री। कोआपरेटिव फैक्ट्री के बारे में तो कागजात चल रहे हैं, लेकिन किछा वाली जो प्राइवेट फैक्ट्री है उसका कुछ पता नहीं चलता कि सर्वे हो रहा है या नहीं, कोई

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आर्डर हुआ या नहीं। दिन-रात काश्तकार परेशान है कि क्या हो रहा है। कोई देखने भी वहां नहीं जा रहा है, कोई सर्वे नहीं, कोई आर्डर नहीं। तो श्रीमन्, कितनी बेचैनी वहां होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।

इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज केन के मामले में रिकवरी के हिसाब की वजह से वहां के लोगों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। इस प्रश्न ने वहां के लोगों के हृदयों में बड़ी हार्ट बर्निंग पैदा कर दी है, उनके हृदय जल गये हैं। आप देखें कि ९.६ प्रतिशत रिकवरी का औसत रखा गया है। जब इससे रिकवरी कम हो जायगी तो रिकवरी के हिसाब से दाम मिल मालिक देगा केन का काश्तकार को। तराई का क्षेत्र जो है वह खास तौर से पहले से भुक्त भोगी रहा है और अब तो सारे प्रदेश के लिये यह बात लागू कर दी गयी है। तो इसमें बिडंबना यह है कि एक ओर जब रिकवरी ९.६ से ज्यादा होती है तो काश्तकार को ज्यादा मूल्य नहीं मिलता और उस समय उसके लिये एक फिक्स्ड प्राइस है, लेकिन दूसरी ओर जब ९.६ से कम हो जाती है रिकवरी तो औसत लगाया जाता है और दाम कम हो जाता है। श्रीमन्, तराई क्षेत्र की फैक्टिरियों में, रामपुर और सिवहारा आदि में और पश्चिम की फैक्ट्रियों में सवा ग्यारह और साढ़े ग्यारह तक रिकवरी हुयी है जो ९.६ से कहीं ज्यादा है। तो उस समय उस बढ़े हुये औसत के अनुसार किसान को क्यों न दाम दिया जाय, यह मैं जानना चाहता हूं। तो यह एक प्रकार का ऐसा सिद्धांत है कि जो मिल मालिकों को एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रहा है और उन्हीं के मुनाफे के लिये है और इस सम्बन्ध में यह कहना भी उचित होगा कि प्रदेशीय सरकार और भारत सरकार का जो यह बढ़ता हुआ मतभेद दिखाई देता है यह भी बड़ी भारी रुकावट गन्ना काश्तकारों के मार्ग में है।

इस छपे बयान में आपने लिखा है—इस स्थिति को सीजन प्रारम्भ के पहले ही सोच लिया गया था और उसको हल करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को फैक्टरीज जल्दी चलाने के विषय में अपने सुझाव भेजे थे, परन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार ने उन सुझावों को अस्वीकृत कर दिया। तो मैं तो एक प्रकार से आरोप लगाऊंगा कि शुगर केन पालिसी के बारे में केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार की नीतियों में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है और यह चीज हमारे गन्ना काश्तकारों को मारे डाल रही है। मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार के सुझावों को नहीं माना और यह प्रदेशीय सरकार भारत सरकार के सुझावों को नहीं माना करती। यह क्या बात है? होता क्या है, इसे आप देखिये। आज मिल मालिक जो हैं, वह खुले हुये हैं, जब प्रदेशीय सरकार उनकी मांग ठुकराती है तो वह भारत सरकार के पास पहुंच जाते हैं और भारत सरकार उनको ओबलाइज करने लगती है और भारत सरकार ने जब कोई बात कही तो वह प्रदेशीय सरकार के पास आ जाते हैं। तो आज यह मिल मालिक चैन की बंशी बजा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में हम, गरीब गन्ने का किसान क्यों मारा जाय? शुगर केन बोर्ड के सदस्य यहां पर मौजूद हैं, वह स्वयं इन बातों पर प्रकाश डालेंगे। मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने भी सिफारिश की थी कि सरप्लस केन की समस्या को हल करने के लिये शुगर मिल्स जल्दी चला दी जायं। यह पहले क्यों नहीं चलायी गयी? भारत सरकार ने क्या कहा? क्या जवाब दिया, यह आप मुझ को बतलाइये।

और सुनें, आप श्रीमन्, इस साल सरकार ने गुड़ की खरीद नहीं की। पिछले साल, जब कि गुड़ की खरीद के लिये एक प्राइज सपोर्ट पालिसी अपनाई गयी थी, इस वर्ष सरकार ने उसको नहीं अपनाया और छोड़ दिया। इसके लिये माननीय मंत्री जी कहते हैं कि एक कारण यह भी है कि जो गन्ना गुड़ के उत्पादन की तरफ डाइवर्ट होता है वह फैक्टरीज की तरफ आया। अब कौन जिम्मेदार है गुड़ की कीमत गिरने के लिये। जब सरकार ने पिछले साल सोचा था इस बारे में, तो इस साल क्यों नहीं सोचा गया? सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ सब्सीडी की मांग की और अगर की तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कहा?

मेरा तो यह निश्चित मत है कि अगर इस वर्ष भी प्राइस सपोर्ट दी गयी होती तो आज जो सरप्लस केन की स्थिति है वह नहीं होती।

इसके अलावा और भी ऐसा कई बातें हैं जो कि देखने में मामूली लगती हैं लेकिन इस समस्या पर उनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि औसत केन प्रोडक्शन में गन्ने की क़ीमत लगती है या टैरिफ बोर्ड की गन्ना सभा लगाती है। मैं ब्योरे में तो नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो रिकवरी का सिस्टम है उस की समूची प्रणाली ही अनुचित है। चूंकि अगर बहेड़ी मिल यह दावा रखती है कि ९ प्रतिशत रिकवरी है तो सरकार के पास ऐसा कौन सा मापदंड है जिससे यह मालूम हो सके कि वही रिकवरी है या नहीं जिसको मिल मालिक बताते हैं सिवाय इसके कि वह जो मिल मालिक कहता है उस को मान ले कि वह सही है। आज यह व्यवस्था है। बहुत से मिल मालिक ऐसा करते हैं कि जब से रिकवरी का मामला आया उनकी लागत बढ़ गयी है क्योंकि उतनी ही क़ीमत कम होती है। दूसरी तरफ मोलेसिस की क़ीमत बढ़ाने के लिये एक और काम वे करते हैं। शुगर की तीन कैटेगरी होती है। एक, दो और तीन। उसको इस प्रकार से मेन्यूपुलेट करते हैं कि वह मोलेसिस में चली जाती है। इस तरह से मोलेसिस की कीमत बढ़ जाती है और शुगर की कीमत कम हो जाती है। इस प्रकार से मिल मालिक को मुनाफा होता है। इन सब बातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता।

सब से बड़ी मुश्किल आज इस बात की है कि किसानों के साथ डिसक्रिमिनेशन होता है। बिहार के किसान की जो पर्ची होती है उसमें यह लिखा होता है कि १ रुपया ४ आना कारखाने में तथा १ रूपया २ आना सेंटर पर। लेकिन यू० पी० के काश्तकारों की पर्ची पर यह बात नहीं लिखी होती। उसकी पर्ची पर जब रिकवरी होगी उसके अनुसार लिखा जायगा। ये सब बातें हैं जिनको ध्यान में लिये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये कि इसमें अभी और भी माननीय सदस्य भाग लेंगे, मैं केवल एक ही मांग प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह कि सरकार की बुनियादी नीति इस सारी परिस्थिति के लिये जिम्मेदार है और अगर सरकार केन ग्रोवर की वैलविशर बनने का दावा करती है, जैसा कि मैं समझता हूं, करती है तो वह इस वर्ष गन्ने की समस्या को हल करने के लिये प्रयत्न करें। मैं यह मांग करूंगा कि माननीय मंत्री जी अथवा फूल सिंह जी वहां स्वयं जायं, मैं उनको वहां खेतों में ले जाने के लिये तैयार हूं, अगर वह वहां जायंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि जो रिपोर्ट उनको दी गयी है वह सही है या गलत। इसके अतिरिक्त वे अगले वर्ष के लिये अभी से सोचें और केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के झगड़े में कम जायं। उनको फैक्टरियों को शीघ्र चालू करवाना चाहिये, ओपिन पैन फैक्टरियों को खोलना चाहिये, गुड़ के लिये प्राइस सपोर्ट की पालिसी को अपनाना चाहिये। कोल्हू खोले जाने के लिये तकावी दी जानी चाहिये जिससे छोटे केन ग्रोवर की स्थिति अच्छी हो सके। बड़े केन ग्रोवर तो किसी प्रकार से अपना कार्य कर लेते हैं लेकिन छोटे केन ग्रोअर की मौत है। उसका आधे से ज्यादा गन्ना तराई और भावर में पड़ा हुआ है।

अन्त में मैं मांग करूंगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं जाकर छोटे केन ग्रोअर की हालत को देखें तब उन्हें मालूम होगा, कि उसके दिन किस परेशानी में व्यतीत हो रहे हैं। इसका क्या होता है कि एक लाख मन इधर या २ लाख मन उधर लेकिन इतना विश्वास मुझे अवश्य है कि अगर उत्पादन मंत्री आंखों से उस स्थिति को देख लेंगे तो अवश्य ही वे केन ग्रोअर्स की परेशानी को दूर कर सकेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने के काश्तकारों की कठिनाइयों पर विचार करने के लिये जो अवसर आज दिया गया है उसके लिये मैं आप को और सरकार को धन्यवाद देता हूं और इस सुअवसर का लाभ उठा कर, उन काश्तकारों की जो शिकायतें हैं और जो उन्होंने मुझे बताई हैं उनको मैं सरकार और

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

सदन के सामने इस आशा के साथ रखना चाहता हूं कि वे दूर की जायंगी। उनकी पहली शिकायत यह है कि अभी ८ मई को केन कमिश्नर साहब ने तार द्वारा एक आदेश भेजा कि काश्तकारों को मिलमालिक जो पर्ची देते हैं उन पर्चियों पर कीमत मार्क कर दी जाया करे, लेकिन किसानों की शिकायत है कि कई मिलें यह कार्य नहीं कर रही हैं और उनका कहना है कि ऐसी मिलों की तादाद ३८ है। इसका नतीजा यह है कि किसानों को केवल मिल मालिकों के विश्वास पर ही गन्ना देना पड़ रहा है और वह यह भी नहीं जानते कि उस गन्ने की उन को क्या कीमत मिलेगी? कितने मास के बाद मिलेगी। उनको यह भी पता नहीं है कि किस आधार पर उनके गन्ने की कीमत कूती जायगी? नतीजा यह है कि एक तरफ तो किसानों का रुपया रुकता है वहां मिल मालिकों को उस रुपये से लाखों रुपये का ब्याज का फायदा होता है और दूसरी तरफ बेचारे किसानों को उनकी जरूरियातों के लिये माकूल ब्याज पर भी रुपया नहीं मिल पाता है। पहली शिकायत किसानों की यह है और आशा है कि इसको दूर करने का प्रयत्न किया जायगा।

दूसरी उनकी शिकायत यह है कि जिसका उल्लेख अभी माननीय तिवारी जी ने किया रिकवरी के बेसिस की बात, वह है कि गन्ने की क्वालिटी को सरकार किस आधार पर कैसे डिटरमिन करती है और जैसा कि तिवारी जी ने कहा है कि रिकवरी के मामले में जो आंकड़े मिलमालिक देते हैं उनको चेक करने की और जांचने की सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है, ऐसा काश्तकार कहते हैं। नतीजा इसका यह होता है कि मिलमालिक जो रिकवरी बता देते हैं उसी के अनुसार उन बेचारों की कीमत मिलती है। दूसरी शिकायत उनकी रिकवरी के बारे में यह है कि एक तरफ तो जब रिकवरी कम होती है तब तो उनको दाम कम दिए जाते हैं लेकिन जब रिकवरी डेढ़-डेढ़ फीसदी तक ज्यादा होती है तो उनको बोनस या ज्यादा रिकवरी के अनुपात से कीमत नहीं मिलती। नतीजा उसका यह है कि सन् ५१ की अप्रैल, मई तक जो बोनस उनको मिलता था वह भी आज कल नहीं मिलता न जाने उस वक्त तक गन्ने की कंट्रोल्ड कीमत १ रुपया १२ आना प्रतिमन थी और शक्कर की कीमत ३० रुपया प्रति मन थी और अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो, आज कल गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आना प्रति मन है। लेकिन तब भी इतनी कम कीमत होने पर भी उनको उसका बोनस नहीं दिया जा रहा है, ये दो बातें खास हैं जिनके बारे में उनको शिकायत है।

इसके अलावा उनकी शिकायत यह है कि मिल मालिक कई तरह की चालाकियों से उनकी रिकवरी के ठीक दाम नहीं देना चाहते और क़ीमत कम करने की कोशिश करते हैं। वह, जिन सीजन्स में रिकवरी के आधार पर दाम देने होते हैं उन सीजन्स में जानबूझ कर रिकवरी कम करते जाते हैं और प्रोडक्शन के लासेज और इनएफीशिएन्सी बगैर बढ़ाते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं कि बहेड़ी मिल में, जब कि रिकवरी का सीजन नहीं था तब इतनी रिकवरी हुई जो उस सीजन में भी नहीं हुई। इसी तरह से रिकवरी के ज्यादा दाम न देना पड़े उस के लिए लासेज बढ़ाये जाते हैं और इनएफीशिएन्सी से काम किया जाता है और इस तरह के तरीके अख्तियार किये जाते हैं। इस के अलावा और भी कई तरीके अख्तियार किये जाते हैं, वे गैरकानूनी तरीक़े से चोरी से शक्कर बाहर निकाल देते हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी भी नहीं देते और रिकवरी भी रिड्यूस कर देते हैं जिससे उनको कीमत कम देना पड़ती है और काश्तकारों का नुक्सान होता है। उनको बचत होती है। मोलैसेज की भी बात माननीय तिवारी जी ने बता दी है। उस सिलसिले में भी जैसा कि उन्होंने कहा ज्यादातर हिस्सा शक्कर का खास तौर पर सेकेण्ड और थर्ड शुगर मोलैसेस में पास करा लेते हैं, उससे रिकवरी की कीमत कम हो जाती है और रिकवरी की कीमत कम देते हैं और मोलेसेस के दाम खूब अच्छे वसूल करते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका और है जिससे कि मिल मालिक काश्तकारों को वाजिब रुपया देने से बच जाते हैं और काश्तकारों को उनका ड्यु नहीं मिलता है। और

और वह तरीका यह है कि जब कि सीजन नहीं रहता, एवरेज से ज्यादा सीजन हो जाता है पेरने का, तब पेराई करते हैं और उस वक्त वह सेस से भी बच जाते हैं, एक्साइज से भी बच जाते हैं, रिकवरी की कीमत भी देने से बच जाते हैं। तीनों चीजों से इतना फायदा हो जाता है। वे अपना लेबर और ओवरहेड चार्जेज दोनों इस बचत से पूरा कर लेते हैं और किसानों को उससे कोई फायदा नहीं होता।

इस तरह के कई तरीके हैं जिनसे मिल मालिक, काश्तकारों को उस रिकवरी बेसिस पर जिसका आधार ठीक नहीं है, जिसका उन्हें बोनस नहीं मिलता और जिसमें यह उसूल माना गया है कि अगर काश्तकारों के गन्ने की रिकवरी कम हो तो काश्तकारों को कम कीमत मिलेगी। लेकिन मुनाफे में काश्तकारों का कोई साझा नहीं है। जब रिकवरी ज्यादा हो तो उसे ज्यादा कीमत या बोनस कुछ भी नहीं मिलेगा। इन सब तरीकों से यह बात की जाती है और किसान चाहते हैं कि सरकार इन सब शिकायतों को दूर करने का कोई न कोई उपाय निकाले।

इसके अलावा खास तौर पर सरकार से भी किसानों को कुछ शिकायतें हैं। पहली शिकायत तो यह है कि उनका यह कहना है कि चूंकि १९५५ में केन कमिश्नर साहब से, माननीय उद्योग मन्त्री साहब से, मुख्य सचिव साहब से भी यह बात कह दी गई थी कि सरप्लस है, सरप्लस की समस्या पैदा होगी और उसको दूर करने के लिये ख्याल किया जाना चाहिये। उनका ध्यान सरप्लस की समस्या की तरफ दिला दिया गया था। फिर भी जैसा कि अभी माननीय तिवारी जी ने कहा इस बात के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये कि पहले से ही यानी जल्दी, अक्तूबर नवम्बर में ही, पेराई शुरू हो जाती और पेराई शुरू हो जाने की वजह से उनको कम से कम काश्तकारों को और राष्ट्र को, दोनों को, पूंजी बच जाती और काश्तकारों तथा राष्ट्र को लाभ होता लेकिन वह नहीं हुआ। क्योंकि सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाये बावजूद इसके कि सरकार के मुख्य मन्त्री, उद्योग मन्त्री और केन कमिश्नर तीनों का ध्यान उस समस्या की ओर दिला दिया गया था। मैं चाहता हूं कि किसानों को और इस देश को सरकार इस बात का जवाब दे कि उसने कारगर कदम क्यों नहीं उठाये और अगर कारगर कदम उठाये तो वे नाकाफी क्यों थे? उससे जो उद्देश्य था वह पूरा क्यों नहीं हुआ?

इसके अलावा किसानों की शिकायत यह भी है कि सरकारी मशीनरी की मदद से मिल मालिक किसानों का गन्ना बांड कर लेते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि किसानों के लिये यह कानूनन लाजिमी हो जाता है कि वे गन्ना रोके रखे और अगर रोकता नहीं है तो पेनाल्टी देनी पड़ती है और गन्ना रोक लेने से किसानों का कितना नुक्सान होता है? पहला नुक्सान यह होता है कि रुका हुआ गन्ना सूखने लगता है यानी सूख जाने से गन्ने के वजन में २५ फीसदी तक की कमी हो जाती है। मिल मालिकों को रुपये में बारह आने के दाम देने पड़ते हैं और किसानों का रुपये के चार आने का नुक्सान होता है। यद्यपि यह सूखे हुये गन्ने की रिकवरी उतने अनुपात से कम नहीं होती। उसमें चार आने की कमी नहीं होती, लेकिन किसान नुक्सान में रहता है। दूसरा नुक्सान किसानों का यह होता है खास तौर पर उनकी रबी की फसल के साथ गन्ने की छिलाई का काम होता है तो उनकी मजदूरी बढ़ जाती है, दो आने मन तक मजदूरी अधिक बढ़ जाती है और उसका नुक्सान उन्हें उठाना पड़ता है। तीसरा नुक्सान जो मैंने पहले कहा रैतून का होता है, पेंड़ी का होता है, वह नहीं बाकी रहती जिस से उसके आधार पर दूसरी फसल वह नहीं खड़ी कर सकते और चौथा नुक्सान यह होता है कि आबपाशी का खर्चा बढ़ जाता है, जितने दिन रुकना होता है, उतने दिन पानी और देना होता है, सिंचाई और करनी होती है, यह सब शिकायतें किसानों को सरकार से हैं। मैं आशा करता हूं कि जो शिकायतें किसानों को मिल मालिकों से हैं और सरकार से हैं उन्हें सरकार दूर करेगी।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

किसानों का यह भी कहना है कि सरकार मिल मालिकों को के मुनाफे तो गारन्टी करती है और किसानों के साथ वह सौतेला बर्ताव करती है, वह सरकार जो कि जनकल्याण की और समाजवाद की दुहाई देती है वह एक तरफ तो मिल मालिकों के मुनाफे की गारंटी करती है लेकिन किसानों को इस बात की भी गारंटी नहीं करती कि उसका जो गन्ना आता है उस गन्ने के छीलने और ढोने की जो मजदूरी होती है उसकी भी इस बात की गारन्टी ले कि उतनी कीमत तो मिल ही जायगी, सरकार नहीं करती। मिल मालिक यह करते हैं कि न्यूनतम आधार पर एक तिहाई कीमत वह बाद में देते हैं जो इन दोनों खर्चों को भी कवर नहीं करता। इसमें कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं आता और इसमें उनके लिविंग चार्जेज भी नहीं आते। लेकिन यह भी उनको नहीं मिल पाता है। इस बात की किसानों के लिए कोई गारन्टी नहीं है। सरकार के पास उपाय थे, ये गलतियां हो जाने पर भी उपाय थे कि वह किसानों को नुक्सान से बचा सकती थी जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि अगर सरकार गुड़ की प्राइस को सपोर्ट दे देती तो किसानों को उतना नुक्सान नहीं होता। यह माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जो यह कहा है कि कोल्हू दिये और यह किया, यह बिलकुल नाफाफी थे, अगर प्राइस सपोर्ट दे दी जाती तो वह काफी होता और किसानों को यह नुक्सान नहीं उठाना पड़ता। इस सब की जिम्मेदारी प्राइस सपोर्ट वगैरह न देने की सरकार के ऊपर है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में भी सदन के सामने और किसानों और जनता के सामने अपनी सफाई पेश करे और इन सब से अधिक अन्तिम बात मुझे यह कहनी है कि अब तक जो हो चुका सो हो चुका, उसकी सफाई सरकार कर दे; लेकिन आगे के लिये यह समस्या नहीं पैदा होगी, अगले साल, यही नहीं पैदा होगी। किसानों के ऊपर यही मुसीबत नहीं आयेगी, इस बात के लिये सरकार क्या कारगर कदम उठाना चाहती है, यह आज सदन के सामने इसी विवाद के समय बता दिया जाता तो सरकार के लिये, जनता के लिये और किसान के लिये तीनों के लिये लाभकर होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिजनौर जिले से मेम्बर हूं। बिजनौर जिला गन्ना उत्पादक पहले से भी रहा है और आज भी है। वहां पर गन्ने के उत्पादन की दशा बहुत बुरी है। सरकार ने अभी एक कमीशन मुकर्रर किया था जांच के लिये। बिजनौर जिले में १ लाख ४१ हजार एकड़ में ईख है जिसमें उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ४ करोड़ ६५ लाख मन गन्ना पैदा हुआ। तीन मिलें हैं, जिनमें करीब-करीब २ करोड़ मन गन्ना वह पेर लेती है और करीब ढाई करोड़ मन गन्ना ऐसा रह जाता है कि जिस को मिलें नहीं ले रही हैं। तो बिजनौर की यह हालत है। यह कश्तकार जो लगे हैं वहां पर वह ६ आने मन तक गन्ना लेते हैं। आठ आने मन मामूली भाव है। दस आने मन, आठ आने मन और छः आने मन गन्ना वहां लिया जाता है। इसके ऊपर भी हालत यह है कि काफी गन्ना आज भी ऐसा रह जायगा जो गन्ना काट न सके और उस को जलाना पड़े। यह है वहां की दशा। जिस कमीशन को मुकर्रर किया था उसने यह रिपोर्ट की है कि वहां इस बात की आवश्यकता है कि वहां दो मिलें और कायम की जावें और बिजनौर की कंपेसिटी बढ़ा दी जावे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो धामपुर मिल है उसका इन्तजाम बहुत खराब है। बार-बार वहां पर स्ट्राइक होती है, किसानों को बोनस नहीं दिया जाता है। वहां के मिल मालिक और मैनेजर वायदा कर लेते हैं परन्तु पूरा नहीं करते। जिसका नतीजा यह होता है कि वह स्ट्राइक करते हैं और एक तरीका उन्होंने स्लो काम करने का रख रखा है कि थोड़ा सा काम करें जिससे मिल को नुक्सान पहुंचे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज उसकी हालत यह है कि वह तरक्की नहीं कर रही है बल्कि खराब हो रही है। उसका कार्य कुछ दूसरे हाथों में दे दिया जाय तो वह ज्यादा गन्ना पेर सकेंगे।

बिजनौर मिल में भी झगड़ा है कई भाइयों की वह मिल है। आपस में उनमें मुकदमेबाजी रहती है और उसका इन्तजाम इस तरह से चलता है कि वह एक दूसरे को ५ वर्ष के लिये ठेका दे देते हैं। ५ वर्ष का ठेका होने की वजह से कोई उसकी तरक्की नहीं हो पाती है। अगर वह एक तरफ लगा दी जाय और आपस में नीलाम कर दी जाय तो जितनी आज उसकी कैपिसिटी है —५०, ५५ लाख की एक वह करोड़ की हो जायगी।

सिवहारा मिल ने काफी तरक्की की है। पारसाल जहां उसने ६३ लाख मन गन्ना पेरा था, अब की साल १२० लाख मन के करीब पेरेगी, लेकिन इस पर भी मैं कहता हूं कि जितने मिल गन्ना ले रहे हैं वह काफी नहीं है। किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जहां उनको ६ आने मन तक गन्ना देना पड़ता है। एक बात मैं आप के ध्यान में और भी ला देना चाहता हूं। गन्ने की बढ़ोत्तरी के कारण मिल वाले काफी किसानों को परेशान कर रहे हैं। शिवारा मिल, जो एक बहुत बड़ा मिल है उसने यह तरीका कर रखा है कि जो भी प्राइवेट ट्रक में गन्ना आता है हर एक की जांच करते हैं और जांच करने में ८—१० घंटे लगा देते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि गन्ना उत्पादकों को बहुत ज्यादा पैसा किराये पर देना पड़ता है और यदि उनकी रिकवरी कुछ कम हुई तो उन्होंने उस को रिजेक्ट कर दिया कि ले जाओ और वह किसान अपनी ट्रक को वापस ले जाता है। किराया भी देना पड़ता है और उसका गन्ना भी बेकार हो जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर उस की रिकवरी में कुछ कमी हो तो चाहे वह कुछ काम पैसे लगा ले, उसे वापस न करे। वापस करने के मानी यह है कि जहां उसको १ रु० ७ आने मिलते, उस को ८—७ आने भी नहीं मिलते हैं। किराया भी देना पड़ेगा, गन्ना भी खराब होगा।

दूसरे मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर वह उस को जांचते हैं, हर एक को, तो यह मिल मालिकों की जिम्मेदारी है कि जो ट्रक में गन्ना आये उस को २ घंटे में छुट्टी दे दी जाय। १०—१० घंटे वह खड़े रहते हैं। ट्रक वाले भी गन्ने को ले जाने में हिचकते हैं और उनको बड़ा भारी नुकसान पहुंच रहा है। उसके अलावा मुझे यह भी अनुभव है कि मिल मालिकों में अक्सर ऐसा हो रहा है कि तुलाई में आज भी ज्यादा गड़बड़ करते हैं। दो-दो, चार-चार, पांच-पांच मन ज्यादा तोल लेते हैं। सोसाइटी वाले मुकर्रर किये गये हैं, वह भी खा जाते हैं। अगर कोई पकड़े जाते हैं तो उसके अफसरान उस मामले को प्रैक्टीकली दबा देते हैं। ऐसी परिस्थिति चल रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि वास्तविक किसानों की दुर्दशा को देखते हुये आइन्दा कुछ न कुछ कदम उठावें। धामपुर मिल का जो सवाल है यह कई वर्षों से चला आ रहा है। वहां की हालत भी खराब है। उस मिल का इन्तजाम किसी और को दे दें तो मिल मालिकों को भी फायदा होगा और जो उस मिल को चलावेगा वह अपने आप ही फायदा करवा लेगा और साथ में किसानों का भी फायदा होगा। यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां की जो दुर्दशा है वह कुछ खत्म हो जायगी।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब से परची पर दाम पड़ने बन्द हो गये हैं किसानों को बड़ी बेचैनी हो गयी है और वह सोचने लग गया है कि वह रुपया अब के हमको कब मिलेगा। पहले एक रुपया १२ आने गन्ने का भाव था, मिलों ने उसमें से सिर्फ १ रुपया उनको दिया और १२ आने उनको तुरन्त नहीं मिला। इसी तरह यह न जाने कब मिलेगा, इससे किसान बेचैन है। किसान चाहता है कि आज की अपनी पैदावार बेचने के बदले में, गन्ने के दाम तुरन्त उसे मिले। वह तो अपने खाने में, कपड़े में, शादी-व्याह में और अपनी आबपाशी लगान में सब में पैसा दे दे, लेकिन अब

[श्री टीकाराम]

उसका गल्ला जो उस के घर पर पैदा हुआ है वह इन कामों में निकल जायगा और उसके लिये उसको गन्ने का पैसा कब मिलेगा यह उसको मालूम नहीं है यह मुसीबत उसके सिर पर आ जायगी। वह सस्ते भाव में गल्ला बेचेगा और तेज भाव में जरूरत पड़ने पर खरीदेगा। सरकार को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि गन्ने की अब बड़ोइफरात है और सरकार उसकी बढ़ोत्तरी कर रही है तो पहले पहल यह इंतिजाम कर दे कि गुड़ के भाव का ऐलान करिये कि हम किसानों के गुड़ को खरीदेंगे कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये जैसा कहा गया था। और हम किसानों से चीज सस्ती लेंगे और माल उसका रख लेंगे तो हम उसको मुसीबत में बेच देंगे। और आप उसको मदद करना चाहते हैं तो इस तरीके से मदद दीजिये वह अपना गन्ना ऊंचे भाव पर बेचेगा और गिरां भाव पर उसको सामान खरीदना पड़े।

बदायूं स्टेशन पर मैंने देखा है कि ढाई ढाई बजे रात तक गाड़ियां तुला करती हैं। एक दिन पहले आती हैं चरी भूसा रख कर लाती हैं, किसान दिन भर पड़ा रहता है, तपस में मरता है लेकिन जब तक डिब्बे नहीं आ जाते हैं तब तक गाड़ियां नहीं तुलती हैं चाहे डिब्बे ११ बजे आयें चाहे जितने बजे आयें। वे वहां लाइन बांध कर खड़े रहते हैं इस मुसीबत में पड़े रहते हैं, न पानी है, न पता है और न साया है इस मुसीबत में पड़े रहते हैं। जो गन्ना माघ और पूस में पेरा जाता है उसमें पेड़ी अच्छी हो जाती है, उस का माल अच्छा होता है, उसमें गुड़ भी अच्छा होता है और अप्रैल और मई में जो गन्ना पेरा जाता है उस की पैदावार घट जाती है, दोबारा पानी देना पड़ता है उसकी रकम हम पर बढ़ जाती है और इस तरह छिलाई, ढुलाई में हमको हमेशा घाटा ही घाटा नजर आता है। अब तो हमारे सिर गन्ना पड़ा हुआ है चाहे वह लकड़ी के मोल बिके हमें देना पड़ेगा। लकड़ी आज कहां एक रुपये पांच आना मन बिक रही है लेकिन आज हम गन्ना एक रुपये पांच आने मन में बेच रहे हैं और वह भी दाम लिखते नहीं हैं रसीद पर, मालूम नहीं १ रुपये ३ आने मन देंगे या क्या देंगे, या जाने देंगे भी और कब देंगे। इस तरह की मुसीबतें और आफतें हो रही हैं। ऐसी हालत को देखते हुये और किसानों की परेशानी को देखते हुये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आगे के लिये गन्ना बढ़ता चला जा रहा है उसका उत्पादन भी जब बढ़ रहा है क्योंकि पैसा जो गन्ने में मिल जाता है वह और फसलों के मुकाबिले में गन्ने पर ही ज्यादा मिल जाता है लेकिन किसान की जो परेशानी है वह कह चुका हूं उस को सुरक्षा आप करना चाहते हैं तो सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिये ताकि आइंदा मुसीबत न आवे।

मिल मालिक एक और चालाकी करता है। हमारी सोसाइटी ने यह सट्टा किया कि ६ लाख ८० हजार मन लेंगे और १५० दिन बताया कि हमारी मिल चलेगी। लेकिन १९ अप्रैल को १३५ दिन मिल चलाकर यह कहने लग गये कि मिल बन्द होगी। सरकार से प्रस्ताव रखा गया तो आप ने एलान किया और जब १५ जून तक और मिल चलगी तो असल में एक लाख मन जो उस सट्टे के मुताबिक अभी बचा है उस एक लाख मन का दाम नहीं घटना चाहिये, क्योंकि हम सट्टा कर चुके थे। १८ हजार रुपये का पक्का सट्टा है एक आना पैनाल्टी देकर हमने किया है लेकिन इधर भी हमारी रकम पड़ी हुई है यह हर तरह से हमारा ही घाटा है। यह हालत किसान की है इसको सरकार आगे को समझ ले और इसको दुरुस्त करे और इसके लिये हमारा सुझाव गुड़ के दाम का एलान है। अपने आप खुद खरीद लीजिये जहां कोआपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम बना हुआ है एलान करिये वे अपने आप गुड़ बनाना शुरू कर देंगे। या उनसे कह दीजिये कि हम आपका इतना गन्ना लेंगे और बाकी नहीं लेंगे ताकि वह इन्तिजाम कर सकें। लेकिन यह एलान आप अवश्य कर दें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इससे तो बड़ी खुशी है कि आज इतने महत्व के प्रश्न पर विचार करने का अवसर आपने दिया। मैं समझता तो ऐसा था कि सरकार को स्वयं अपनी कठिनाइयों को लेकर विधान सभा के सामने

आना चाहिये था और खासतौर से जब कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में मतभेद हों और किसी ऐसे प्रश्न पर मतभेद हों तो उस समय विधान सभा से उस बात को छिपाना मैं बहुत मुनासिब नहीं समझता। जो कुछ माननीय उद्योग मंत्री जी की तरफ से यह वक्तव्य दिया गया है उसमें लिखा है उससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो कुछ वह कर सकती थी करने में उठा नहीं रखा है लेकिन उसका प्रयत्न केन्द्रीय सरकार की वजह से सफल नहीं हो सका। और अगर सफल नहीं हो सका तो उसमें तो बड़ी मुसीबत में इस सूबे का किसान पड़ा है, केवल सूबे का किसान ही नहीं पड़ा है अगर सोचें तो केन्द्रीय सरकार का भी नुकसान हुआ, सूबे की सरकार का भी नुकसान हुआ, मजदूरों का भी नुकसान हुआ, हमारी जो केन कोआपरेटिव यूनियन है उसका भी नुकसान हुआ। जब सबका नुकसान हुआ तो फिर ऐसे मसले पर तो हमें पहले चाहिये था कि हम विचार करें। मैं नहीं समझता कि इस समय किसी पर दोष देने का मौका है। जो वक्तव्य माननीय उद्योग मंत्री जी का है उसमें अपने सिर से दोष टालने और दूसरे के ऊपर दोष डालने, ऐसा उद्देश्य उसका मालूम होता है। मैं उनके वक्तव्य के आखिरी हिस्से को पढ़ दूं। वे कहते हैं कि ".....अधिक दिन चलवा कर गन्ना उत्पादकों का अधिक से अधिक गन्ना पिरवा दें और इस पर भी यदि कुछ गन्ना शेष रह जाय तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होगा।" फिर दूसरे पन्ने पर जो तीसरा पैरा है उसमें यह कहा जाता है :

"इस सीजन में अतिरिक्त परिस्थिति उत्पन्न होने के दो मूल कारण हैं। प्रथम तो यह है कि गन्ना उत्पादकों ने अपना रकबा पहले से बढ़ा लिया है और द्वितीय यह कि गुड़ के मन्दे भाव के कारण उत्पादकों ने अपना गन्ना अधिक से अधिक मात्रा में फैक्टरियों में खपत के लिये रोक लिया और जो मात्रा अन्य सीजनों में गुड़ बनाने में खप जाती थी उसके अधिकांश का भार फैक्टरियों पर पड़ गया है। ऐसी दशा में जब कि फैक्टरियों की पिराई शक्ति सीमित है, यह आशा करना ठीक नहीं होगा कि गन्ना उत्पादकों का सारे का सारा गन्ना फैक्टरियों में खप जायेगा।" तो इसमें मैं देखता हूं कि किसानों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गयी है कि उन्होंने खेती बढ़ा ली, उन्होंने गुड़ नहीं बनाया। ये दोनों दोष उनके ऊपर डाले गये हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि किसानों की रहनुमाई करे? किसानों की रहनुमाई उसने किस काम में की? अभी चर्चा हुई गुड़ के बनाने पर। मैं भी चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि किसान जितना अधिक से अधिक गुड़ बना पाये अच्छा काम होगा, इसलिये कि वह ग्रामोद्योग का कार्य है। उसमें लाखों लोगों को महीनों के लिये रोजी मिलती है और उसके साथ-साथ एक स्वावलंबन की भावना लोगों में उत्पन्न होती है। लेकिन क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि उस कार्य में वह उनकी मदद करे।

सरकार ने क्या मदद की? पिछले वर्ष सरकार ने प्राइस सपोर्ट पालिसी के अनुसार कुछ लाख रुपये का गुड़ खरीदा था। इस वर्ष सरकार ने यह बात समझते हुये भी कि वे गुड़ नहीं बनाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देने की चेष्टा नहीं की। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन दिया होता तो काश्तकार ने गुड़ बनाया होता। गुड़ में अगर उसका रेम्युनरेटिव प्राइस मिलने की आशा होती तो कभी वह अपना गन्ना जून में सुखाने का काम नहीं करता। लेकिन वह सोचता है कि मैं गुड़ बना कर क्या करूंगा। गुड़ बनाकर भी हमारे लिये बाजार नहीं है। सरकार बजार पैदा कर सकती है। और मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार के जो अर्थ और संख्या विभाग के लोग हैं वे क्या कभी "ऐग्रीकल्चरल सेचूएशन इन इंडिया" को पढ़ते हैं या नहीं? मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि इसके ५९२ पेज को माननीय उद्योग मंत्री जी देखें। इसमें स्पष्ट है कि जो गुड़ हापुड़, कलकत्ते और बम्बई की प्राइसेज का कोटेशन है, यह ११ रुपये में जो गुड़ बिका था वह गुड़ १७, १८ और २० रुपये में अक्तूबर, १९५५ में

[श्री गेंदा सिंह]

बाजार में बिका। अगर ११ रुपये मन हापुड़ में जो गुड़ बिका, वह साढ़े १७ रुपये में हापुड़ के बाजार में या दूसरी बाजारों में अक्तूबर में बिका तो उस गुड़ से कितना लाभ हो सकता था। अगर सरकार ने दो करोड़, चार करोड़ या ५ करोड़ रुपये का गुड़ खरीद लिया होता, जिस तरह से कि उसने गेहूं खरीद लिया था, जिसे १० रुपये में खरीद कर १६ रुपये में बेंचा, उसी तरह से गुड़ को भी १७ रुपये में बेचती तो सरकार अधिक लाभ उठा सकती थी और आज जो बोझ हमारे पब्लिक एक्सचेकर पर पड़ता है, सरकार टैक्स लगाने की बात सोच रही है, तो सम्भवतः सरकार को टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने क्या किया?

इस वर्ष भी सरकार ने प्राइस सपोर्ट पालिसी नहीं अपनाई, अगर नहीं अपनाई तो इसमें किसानों की क्या खता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले साल जिस नीति को उसने अपनाया था उसे इस साल क्यों छोड़ दिया, क्या पिछले साल गन्ने की खेती कम हो गई थी। नारायणदत्त जी ने ठीक सवाल किया कि सरकार ने अपने एग्रीकल्चर फार्म में सन् १९५४-५५ में १९५५-५६ में, जो कि फायदे के लिये नहीं है बल्कि किसानों को सबक देने के लिये है वहां गन्ना ज्यादा क्यों बोया गया। क्या यह सरकार की उस नीति के विरुद्ध बात नहीं है? तो अगर सरकार स्वयं गलती करे और किसानों पर दोष दे, यह कहां तक उचित है? क्या सरकार केन डेवलपमेंट और प्लानिंग विभाग के जरिये गन्ने की उपज और एक्रेज बढ़ाने की कोशिश की या नहीं फिर अगर किसान भी गल्ती कर दे और उसने भी गन्ना की एक्रेज बढ़ा ली तो उसकी परवाह गवर्नमेंट को होनी चाहिये या नहीं? सरकार को इसकी खबर थी या नहीं? सरकार इस वक्तव्य के जरिये समझती है कि खबर थी और अगर खबर थी तो मैं याद दिलाना चाहूंगा सरकार को फिर कि जब पिछले अगस्त के महीने में, या जुलाई के महीने में जो शुगरकेन बोर्ड, जो कि यू० पी० और बिहार का ज्वाइंट है, उसकी मीटिंग हुई थी और सौभाग्य से मैं भी उसका एक सदस्य हूं, उस मीटिंग में मैंने बार-बार इस प्रश्न को उठाया था। शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होने से पहले मैंने ५-७ पश्चिमी जिलों का दौरा किया था और उसमें मुझे मालूम हुआ कि पिछले वर्ष से गन्ने की खेती बहुत बढ़ी है, केवल खेती ही नहीं बढ़ी है बल्कि उपज भी बढ़ी है और उस उपज की खपत करने के लिये फैक्टरियों को जल्द चलवाना चाहिये, ऐसा हमने कहा लेकिन सरकार ने कहा कि यह केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और केन्द्रीय सरकार नहीं चलने देती।

मैं आपसे कहता हूं कि अगर केन्द्रीय सरकार नहीं चलने देती तो क्यों नहीं चलने देती यह तो बताया जाय। केन्द्रीय सरकार को हम ने यह कहा कि अगर चीनी मिल मालिक गन्ने की मिल चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट करें तो वैसी हालत में शुगर एक्साइज ड्यूटीज, केन सेस की रकम में छूट दी जाय और कम रेट पर भी गन्ना दे करके गन्ना जल्दी से जल्दी पेरवाना शुरू किया जाय। मैंने मान लिया कि केन्द्रीय सरकार के सामने यह मुसीबत थी। हम उस मुसीबत को अच्छी तरह समझते नहीं थे। यद्यपि हमारे जो केन्द्र के आजकल इस विभाग के चीफ हैं वह तो सहारनपुर के रहने वाले हैं लेकिन अगर सहारनपुर की स्थिति से वह अनभिज्ञ हैं तो फिर सारे पश्चिमी जिलों का, सारे सूबे का भार लिये हुये यह जो यू० पी० गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको तो इस बात की परवाह होनी चाहिये कि अगर एक्साइज ड्यूटी वह छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं तो उस पर विधान सभा में विचार हो सकता था और उसकी रेकमेंडेशन गवर्नमेंट के सामने भेजी जा सकती थी। गवर्नमेंट को चाहिये था कि उस पर प्रस्ताव करती और हम भी नान आफिशल प्रस्ताव कर सकते थे बशर्ते कि हमको इसकी जानकारी पहले होती। इसके अलावा क्या यू० पी० की सरकार केन सेस में छूट नहीं दे सकती थी। अब की मर्तबा उसने कानून पास किया है कि

उसको वह चार आने मन तक बैठा सकती है। उसमें से एक आना मन कम करके वह क्या मिल मालिकों को राजी नहीं कर सकती थी कि वह १५ नवम्बर से फैक्ट्री चलायें। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि सरकार अपनी विभागीय रिपोर्टों पर कुछ अधिक ध्यान दिया करे और मैं इस सिलसिले में एक मिनट में यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो सब से लेटेस्ट रिपोर्ट है वह यह कि यू० पी० गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी की जो रेकमेंडेशन्स हैं उसमें स्पष्ट यह बात कही गई है कि १५ नवम्बर तक फैक्ट्रियां चलाई जानी चाहिये और इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि जब १५ मार्च के बाद फैक्ट्रियां चलेंगी, चलती रहें तो जितना गन्ना उस वक्त खड़ा रहे उस पर प्रीमियम मिलना चाहिये, एक आना, १ अप्रैल तक १५ मार्च से और १ अप्रैल के बाद २ आना मन प्रीमियम मिलना चाहिये, यह ८६ पेज पर मेहरबानी करके माननीय उद्योग मंत्री जी देखें :

"Cane growers supplying cane after march 15, should get a premium of Anna 1 per maund and As. 2 per maund after April 1."

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—किस प्राइस पर?

श्री गेंदा सिंह—मिनिमम प्राइस जो उसको मिल रही है, मिनिमम प्राइस में जो फिक्स्ड प्राइस है उस पर उसको प्रीमियम मिलना चाहिये और यह सर्वसम्मति रिपोर्ट है। लाला हरराजस्वरूप साहब, जो एक मिल मालिक हैं उनकी सम्मति यह है, और इस सम्मति से मिलती जुलती सम्मति है। वह भी फरमाते हैं कि :

"A premium of As. 2 a maund on cane which is supplied from 21st March to 15th April in equal quantities should be announced for factories in the west so that their season may be atleast advanced by 10 days."

सिर्फ दस दिन के सीजन बढ़ाने के लिये वह २ आने मन प्रीमियम देने को स्वयं स्वीकार करते हैं। अगर आप चाहते हों यह तो मैं आपकी सेवा में भेज दूं आप देख लें इसको। लेकिन इसके बाद मैं कहूंगा कि यह मुसीबत किसानों के ऊपर डालना कहां तक उचित है इसको आप सोचें। किसान ने मर-मर कर पानी देकर, अपनी सबसे अच्छी जमीन को इसमें लगा कर, अच्छी खाद देकर पैदा किया; वह समझते थे कि हमारा गन्ना ठीक वक्त पर मिल में चला जायगा और उससे उचित मात्रा में हमको कीमत मिलेगी, मिनिमम प्राइस जो उन्होंने मुकर्रर की उस पर भी वह आशा करता था कि हमारी ईख चली जायगी, लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर पाई। यह फैसला था कि मिलों को १५ नवम्बर से चलाया जाय, मैं भूल गया, १५ अक्टूबर से चलाई जायंगी, लेकिन १५ नवम्बर तक फैक्ट्रियां नहीं चलीं और तारीफ यह कि कुछ चलीं भी और जो फैक्ट्रियां चलीं यह भी है कि वह घाटे से बरबाद नहीं हो रही हैं, नफा उठा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, गौर करने की बात यह है कि जब हम इंकरेज करते हैं इस तरह की चीजों को कि हम कीमत कम कर देंगे, जब गन्ना आखिर में खड़ा रह जायगा तो, हर फैक्ट्री यह सोचती है कि हमें फैक्ट्री जल्दी चलाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो इस बात को सोचा करता है कि अगर हम पहले फैक्ट्री चलायेंगे तो रिकवरी हमारी कम आयेगी इसलिये हम उस बेवकूफी को क्यों करें। बाद को तो सरकार देखेगी कि काश्तकारों के खेतों में गन्ना खड़ा हुआ है, उसको दोषी ठहरायेगी और काश्तकार से कहेगी कि तुम्हारा गन्ना खड़ा है और सरकार सारा फोर्स लगा कर उसको पिलवा रही है। यह अहसान तो किसानों के ऊपर लदता है और दूसरी तरफ फैक्टरियों के ऊपर यह अहसान सरकार लादती है कि तुम्हें कम कीमत पर गन्ना दिला रहे हैं। यह सब मिल मालिक समझते हैं इसलिये वे कभी भी पहले फैक्ट्री चलाने के लिये तैयार नहीं होंगे।

मैं दो एक बातों की तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शुगर का मामला कांप्लीकेटेड भी है और मामूली भी। यू० पी० गवर्नमेंट किसान को सौतेले बेटे की तरह

[श्री गेंदा सिंह]

ट्रीट कर रही है और मिल मालिकों को तो वह अपना समझती ही है। उसका जो यह सौतेले बेटे का सा व्यवहार है उसको छोड़ देना चाहिये। मैं सरकार का ध्यान जो उसकी ओथेन्टिक रिपोर्ट्स हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। सन् ५१-५२ में हमारे यहां गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आना मन थी और ३० रु० ८ आ० मन कंट्रोल का भाव था। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कीमत इसलिए कम की १-५ आना और १ रु० ३ आ० क्योंकि उसे आशा थी कि २७ रुपया मन चीनी बिक सकेगी। जब चीनी २७ रुपया मन न बिकी तब मद्रास की स्टेट ने जोर लगाया और बावजूद इसके कि हमारे यहां डचूरेशन आफ सेशन १२० दिन था और रिकवरी ९.७५ थी और मद्रास में डचूरेशन आफ सेशन ७४ दिन था और रिकवरी ८.८४ था इसलिये १ रु० ७ आ० से ऊपर ३ या ४ आने प्रीमियम या बोनस या मुनाफा सरकार ने काश्तकारों को दिलाया लेकिन यू० पी० की गवर्नमेंट ने हमसे बदला साधना शुरू किया और हमसे बदला साधते-साधते करोड़ों किसानों से बदला साध लिया। १९५२-५३, ५४-५५ और ५६ में, यानी आज भी सरकार एक पैसा भी दिलाने को तैयार नहीं है और इस प्रकार से आज सरकार उल्टा ही काम कर रही है और हमारे ऊपर दोष मढ़ कर उसने गन्ने की कीमत को कम कर दिया है।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ५० लाख परिवार गोंडा के पश्चिमी भाग में जेठ की दुपहरी में और बीसों हजार मजदूर फैक्टरियों में इस गरम क्लाईमेट म, इस जलती हुई आग में काम कर रहे हैं। इस प्रकार काम करने में उनको कितनी कठिनाई हो रही होगी और उसका लाभ सोलहो आना मिल मालिक उठायेगा तथा इसका अहसान किसानों के ऊपर है। सरकार अगर इन किसानों की मुसीबत को दूर करना चाहती है तो वह केन बोर्ड की मीटिंग बुलाये। उद्योग मंत्री जी को उसकी मीटिंग बुलाने का अधिकार है। तब हम ठंडे दिल से विचार कर सकते हैं कि आगे के लिये हम क्या करें। मैं सरकार से एक बात यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इस रिकवरी बेसिस की कीमत को स्वीकार किया है या नहीं किया। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने नाराजगी जाहिर की या नहीं कि जब आप १५ अक्टूबर से चलाने को तैयार थे तो उन्होंने क्यों नहीं ऐसी इजाजत दी। जो कीमत कम हुई, गन्ना सूख गया, बरबाद हुआ, उससे किसान बरबाद हुआ। ऐसी हालत में मैं एक ही बात कहूंगा कि अव्वल तो सारा गन्ना पेरा जाय और उस काश्तकार को, जिस ने मर-मर कर उसको तैयार किया है, उसकी कीमत में एक रत्ती भी कमी न की जाय। इसके अलावा इस वक्त मैं दूसरी और कोई बात नहीं कहना चाहता, और बातें जब वक्त आयेगा तो आगे होंगी।

लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं और वह यह कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन विभाग के अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। इस बारे में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि केन विभाग के अधिकारियों ने और विभाग ने सप्लाई में जो गलती की है उसके बारे में मैं साफ कहूंगा कि सफाई में यह अवस्था हुई है कि कामदार से लेकर सुपरवाइजरों और ए० सी० डी० ओज० तक ने इस कदर परेशान किया है कि उन काश्तकारों की परेशानी को हाउस को जानना चाहिए और मैं यह कहने से नहीं चूकूंगा कि गन्ने के विभाग वालों की तमाम बुराइयों के होते हुए भी अपने को उस बुराई भलाई में शामिल रखा और उन सब की बराबर जानकारी कराने के य० पी० की सरकार ने गन्ने के काश्तकारों के हितों का ध्यान नहीं रखा और मैं साफ-साफ दोष सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूं कि यह जो आज किसानों की लाखों रुपये की बरबादी हो रही है और साथ ही केन सेस और एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है वह सब सरकार की वजह से ही हो रहा है। सरकार को इसका जवाब देना होगा और इसको सारा देश और सूबा जानना चाहेगा।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, गन्ने के अधिक मात्रा में खड़े रहने पर आज जो विवाद है उस पर मुझे इत्तफाक इस बात पर है कि वाकई यह बहुत ही गम्भीर मसला है और सरकार की ओर से भी इस बात से इन्कार नहीं किया गया कि यह एक गम्भीर मसला नहीं है। उन्होंने भी इस बात को माना है और माननीय उद्योग मंत्री के वक्तव्य से साफ जाहिर है कि गन्ना फैक्टरियों पर काफी तादाद में पड़ा हुआ है और यह भी माना है कि वह आगे पेरा भी नहीं जा सकता। अब यह बात तो बिल्कुल मान ली गई कि वाकई यह गन्ने की किसानों के लिए बड़ी भारी मुसीबत है और वह मुसीबत उन्हीं की वजह से है, या सरकार की वजह से है यह नहीं सोचा यह सारे देश का और सारे सूबे का प्रश्न है और यह एक नेशनल लास है, उसको पैदा करने में मेहनत की गई और अब वह सूखता है और बरबाद होता है तो वह हमारा एक नेशनल लास होता है।

इसमें यह कहना कि हमने तो केन्द्रीय सरकार को लिखा था और उन्होंने हमारी बात को नहीं माना मैं समझता हूं यह सरकार की ओर से कमजोरी की जाती है, ऐसी हालत में जब कि हमारा बहुमत सूबे में भी है और केन्द्र में भी है, कानून का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो सप्लाई का कानून है उसमें दिया हुआ है कि सीजन १२० दिन का होगा और जहां तक मुझे याद है वह नवम्बर से शुरू होता है लेकिन इस कानून की भी पाबन्दी फैक्टरी वाले न करें तो मेरी समझ में सरकार की यह मजबूरी नहीं आती। हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार को ऐसी बात न मालूम हो और शुभा हो। हमारे एग्रीकल्चर के मंत्री महोदय ने लोकसभा में हाल में एलान किया था कि हम मजबूर हैं और फैक्टरी के मालिकों को हम मजबूर नहीं कर सकते कि वह पहले से फैक्टरी चलायें, इस बात को मैं तो नहीं समझता, उनके यहां तो कानून हैं, प्राइवेट कम्पनीज ऐक्ट है जो अभी हाल में बना था और उनके यहां डेवलपमेंट एन्ड इम्प्रूवमेंट फैक्टरी ऐक्ट है, लाइसेंस देने की भी उनके पास अपनी ताकत है लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि इतने कानून होते हुए भी वह फैक्टरी वालों को वाध्य नहीं कर सकते कि वह फलां महीने से फैक्टरी चलावें। मैं समझता हूं कि उनको अधिकार है। साबित यह होता है कि या तो वह इधर दिलचस्पी नहीं रखते या वाकयात से पूरी जानकारी नहीं है।

जहां तक कानूनी सम्बन्ध है कि केन्द्रीय सरकार या सूबे की सरकार को अधिकार नहीं कि वह फैक्टरी के मालिकों को मजबूर करे मैं समझता हूं कि यह उनका ख्याल गलत है। बड़ी आसानी से किय जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी मानता हूं कि अगर मौजूदा कानूनों में कोई कमी है अगर ऐसी ताकत सरकार के पास नहीं है तो क्या वजह है कि वह कानून क्यों नहीं बना देती? उन कानूनों में तरमीम क्यों नहीं कर देती, क्यों नहीं रूल्स बना देती? ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे कानून बनाये जिससे कि फैक्टरी के मालिक बाध्य हो जायं कि वह शुरू में अपनी फैक्टरियों को चलाएं तो वह नहीं चलाएंगे और वह दक्षिण में लेकर चले जायंगे। मैं समझता हूं कि यह एक बहाना है और एक डर है। कोई वजह नहीं कि फैक्टरी का मालिक इधर से वहां ले जाने के लिए तैयार होगा। अव्वल तो वहां इतनी गन्ने की पैदावार नहीं। दूसरे एक बात और है। गन्ने को पैदा करना, गन्ने को जमाना उत्तर प्रदेश ने ही पहले शुरू किया। मेरा अपना ख्याल तो यह है कि दुनिया में सब से पहले किया। अगर दुनिया में नहीं तो देश में तो सब से पहले किया ही। यहां पर गन्ने का उत्पादन जब दो रुपये, डेढ़ रुपये में गुड़ बिकता था तभी यहां का किसान गन्ने को पैदा करता था और अगर केन्द्रीय सरकार या कुछ मिल मालिक ऐसा ख्याल करते हैं कि वह दक्षिण में जाकर उससे काफी आमदनी

[श्री फतेहसिंह राणा]

कर सकते हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कीमतों के नीचे जाने की सम्भावना है, जब वह कीमतें नीचे जायंगी तो क्या वह फैक्टरी वहां जाकर रह सकेंगी और क्या वहां का किसान गन्ने का उत्पादन कर सकेगा? अध्यक्ष महोदय, वहां ९०-९० पानी एक ईख की फसल को दिये जाते हैं और उनका खर्चा एक एकड़ पर इतना आता है जितना हमको सारी कीमत एकड़ पर मिलती है। तो जब डिप्रेशन आये, जब भाव नीचे जायं तो क्या वहां गन्ने का उत्पादन हो सकेगा? क्या यह सरकार और फैक्टरियों के मालिक नहीं सोच सकते हैं। तो यह गलत खयाली है कि दक्षिण में जाकर फैक्टरियां कामयाब हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि कतई नहीं कामयाब हो सकती हैं।

तो यह प्रश्न तो एक देखने का प्रश्न है। मेरा मतलब असली यह है कि जहां तक यहां की फैक्टरियों को पहले जल्दी चलाने का सम्बन्ध है वह सरकार की ताकत है और हमारी स्टेट की सरकार को केवल लिखने से ही काम नहीं था। उनको केन्द्रीय सरकार को प्रेस करना चाहिये, मजबूर करना चाहिए और इस हद तक मजबूर कर देना चाहिए कि साहब, आप कानून के द्वारा या तो फैक्टरियों को ठीक चलाइए वरना हम उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने को तैयार हैं और खुद अपने हाथ में कंट्रोल लेकर उनको अपने आप वह ठीक समय से चलावें। एक तो यही बात हो सकती है। दूसरी बात--मैं समझता हूं आज जितनी फैक्ट्रियों की समस्या है, श्रीमन्, यह हमेशा के लिए है, उसका इलाज फिलहाल तो जो मैंने अर्ज किया वही हो सकता है लेकिन लोग रेंज पालिसी जो सरकार की हो जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि रिकवरी का यह पता--, और माननीय पालीवाल जी ने भी कहा, कि रिकवरी वाकई कितनी होती है यह कोई साधन सरकार के पास नहीं है जिससे वह यह चीज जान सके। वह एक्सपर्ट्स अपने वहां भेज देती है। लेकिन मशीन तो फैक्टरी की होती है और उसी से वह देखना शुरू करते हैं तो बहुत इत्मीनान की बात वह नहीं होती। वह रिकवरी ठीक ढंग से जांची गई ऐसा कोई साधन सरकार के पास नहीं है। तो इसका इलाज यही है कि जितनी फैक्टरियां हमारे सूबे में अब खुलने जा रही हैं किसी प्राइवेट फैक्टरी के खोलने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। जितनी फैक्टरियां खुलें वह या तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट उनको खोले या कोआपरेटिव से वह खोली जायं। श्रीमन् इससे दो फायदे होंगे। एक तो अपनी रिकवरी कितनी किस किस्म के गन्ने के कब पेरने में आती है यह हमारे हाथ में आ जायगा और दूसरे यह कि हम कितना मुनाफा कमाते हैं ईमानदारी से उसका हमारे पास एक सबूत हो जायगा और फिर ये मिलों के जो हमारे मालिक हैं उनके सामने हम उन अपने सारे सबूतों को रख सकते हैं। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं, जब वह अपने स्टैटिस्टिक्स सरकार के सामने रखते हैं तो वह मजबूर हो जाती है और उन्हीं की बात को मानना पड़ता है।

तो दूसरी बात यह है कि जितनी फैक्ट्रीज हमारे उत्तर प्रदेश में लगने वाली हैं, जितनी नहीं बल्कि और अधिक से अधिक लगनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार से इजाजत लेनी चाहिए कि हमारे यहां ज्यादा फैक्ट्रीज लगें।

तीसरी बात जिसका जिक्र किया गया है गुड़ के सम्बन्ध में, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि गुड़ का उद्योग हमारे सूबे में बहुत पुराना उद्योग है। उसमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उससे सारे देश को कितना लाभ है। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि अगर हमारे गुड़ की कीमत ठीक ढंग पर आ जाय तो मिल मालिक तो जैसा पीछे देखने में आया, वह खुद खुशामद करते हैं और अच्छी कीमत देते हैं। तो सरकार को गुड़ की कीमत को ठीक बनाने में सहायता देनी चाहिए और मैं तो यहां तक भी कह सकता

हूं कि अगर फैक्ट्री बिलकुल न हों तो अच्छी बात है। उससे यह होगा कि अगर गुड़ हमारे देश में अधिक पैदा हो और अधिक खाया जाय तो एक चीज जो साइंस वालों ने साबित कर दी है कि गुड़ में जो शीरा है जिसको पूज्य महात्मा जी कहा करते थे कि शुगर के बजाय गुड़ ही खाना चाहिए, वह साइंस वालों ने भी साबित कर दिया है कि गुड़ में जो शीरा होता है उसमें वह गुण हैं कि जो इन्सान की इनर्जी बढ़ाते हैं, उसको ताकत देते हैं। तो शुगर के मुकाबिले में अगर हमारे देश में शुगर की फैक्ट्रियों को मिटाकर गुड़ का भाव ही ठीक किया जाय और प्रचार किया जाय देश में तो फैक्ट्रियों के मालिकों का दिमाग ठीक हो जाय और हमारे देश का उद्धार तन्दुरुस्ती के लिहाज से भी हो और आमदनी के लिहाज से भी हो। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सुझावों पर गौर करेंगे।

*श्री दाता राम (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज जो यह गन्ने के ऊपर हाउस में बहस छिड़ी हुई है वह तो सबको मालूम ही है कि हमारे प्रदेश की सभी मिलों में करीब-करीब गन्ना इतना ज्यादे है कि शायद उसका पेरना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ मिलें ऐसी भी हैं कि जो इस मई के महीने में ही अपना गन्ना खत्म कर देंगी और कुछ मिलें ऐसी हैं कि जो जुलाई तक भी अपना गन्ना नहीं पेर सकेंगी। जैसा मैंने सुना है कि हमारे पश्चिमी जिलों में शामली की मिल २० मई से ही बन्द होने वाली है और सहारनपुर जिले में चार मिलें हैं जिनकी हालत यह है कि वह जुलाई तक अपना गन्ना नहीं पेर सकेंगी और मुश्किल एक बात की और है कि अभी जो मानसून उठ गई है और बारिश होने वाली है तो किसानों के लिए वहां मिल पर गन्ना पहुंचाना भी बहुत मुश्किल काम हो जायगा। इसलिये इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि सरकार इसका जरूर प्रबन्ध करेगी।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारे जिले में ४ मिलें हैं। उनमें से एक लाडं कृष्ण शुगर मिल भी है जो सारे सूबे में किसानों का गला काटने में मशहूर है और उसका कोई इलाज आज तक यह सरकार नहीं कर सकी है। हमेशा से उसका एक तरीका यह रहा है कि ये लोग हमेशा एक महीने के बाद गन्ना पेरना शुरू करते हैं और आज करीब-करीब आये दिन उसमें हड़ताल होती है। मजदूर चाहे हड़ताल न करें तो मिल वाले ऐसा अड़ंगा खड़ा कर देते हैं कि मजबूर होकर उन्हें हड़ताल करनी पड़े और उसमें फायदा वह यह समझते हैं कि किसानों का गन्ना बाद में बचेगा और उसमें काफी मुनाफा होगा। इसलिये उनका हमेशा तरीका यही रहता है कि किसानों का गन्ना बाद तक रखा रह जावे ताकि उसे ज्यादा फायदा हो। दूसरे साल की बात है जब कि यह रिकवरी का मसला सामने आया और उसी जिले में एक रुपया और अठारह आने मन तक रिकवरी निकली जब कि उस मिल में ८ आने मन की रिकवरी निकली और काश्तकारों को ८ आने मन तक के दाम मिले। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि यह मई का महीना है, काश्तकार को दिन भर गन्ने की गट्ठी के साथ खड़े रहना पड़ता है, ऊपर से धूप पड़ती है, किसान और किसान के बैल गरमी में तबाह हो जायंगे और उनसे ८ आने मन लेने को कहा जायगा। ८ आने मन तो अगर उनसे कहा जाय तो छुलाई और ढुलाई के भी दाम नहीं पड़ते हैं। माल की कीमत का तो सवाल ही नहीं पड़ता है। कोई अगर एक आदमी से कह दे कि ६ मील, ८ मील से सारे दिन आकर इस गरमी में दिन भर खड़ा रहे तो शायद कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन किसान की मजबूरी है कि वह अपने खेत को खाली करना चाहता है, क्योंकि उसे अगली फसल के लिए उसकी जरूरत है, इसलिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दाताराम]

उसे मजबूरन अपने खेत से निकाल कर फेंकने की जरूरत होती है और उसे कीमत भी नहीं मिलती।

अभी हमारे एक दोस्त ने बतलाया कि बिहार सरकार ने कुछ गन्ने के रेट मुकर्रर कर दिये हैं। मैं समझता हूं कि अगर यू० पी० की सरकार भी यहां से कुछ रेट मुकर्रर कर दे, जैसा कि एक रुपया ४ आना और अठारह आने का भाव वहां पर मुकर्रर किया गया है, तो वह किसानों के लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब बिहार सरकार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है तो यू० पी० सरकार अगर इसके लिए लिखे तो क्या वह हुं कि वह यहां की बात न माने। इस पर अगर सरकार लिखेगी और हम सब यह कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ ध्यान दिया जायगा। यह बात सही है कि किसान आये साल अपने गन्ने की तादाद बढ़ाता जाता है और यह भी सही है कि उसके लिए ताकत से बाहर है कि वह गन्ने को पेरे, लेकिन किसान की भी मजबूरी है। उसे और किसी चीज में सिवाय गन्ने के इतना पैसा बनता नहीं। वह मजबूर होकर गन्ने को बोता है। पिछले साल हमारे यू० पी० में काफी बाढ़ आई, सब फसल बरबाद हो गयी। सिर्फ गन्ना ही एक ऐसी चीज बची जिसमें कुछ पैसा बनने की आशा थी, लेकिन अब यह ८ मई से जो वहां पर परचियों पर दाम नहीं लिखे जाते हैं तो किसानों में बड़ी खलबली मची हुई है और मैं जानता हूं कि लार्ड कृष्ण शुगर मिल के किसान तो हाहाकार कर रहे हैं। उन्हें तो यह डर हो रहा है कि पिछले साल तो भाव ८ आने मन तक पहुंचा, अब के साल पता नहीं कहां पर रुकेगा और हमारा क्या हाल होगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर जरूर कड़ी नजर रखेगी और उस मिल का खास तौर से कुछ न कुछ इन्तजाम करेगी।

मुझे यही निवेदन करना है।

श्री फूल सिंह---अध्यक्ष महोदय, इस सदन में गन्ने सम्बन्धी सभी समस्याओं पर चर्चा हुई और काफी दिलचस्प बातें जो किसान के हित में हैं यहां कही गई। आज प्रश्न केवल गन्ने के वितरण का था मुख्य कर। प्रश्न यह था कि अब तक गन्ना नहीं पिरा है और बहुत सारा गन्ना खड़ा है और यह भी संभावना नजर नहीं आती कि जून के अन्त तक सारा गन्ना निकल जायगा इस पर विचार करने की बात थी और प्रश्न भी उठाये गये जो बड़े महत्व के हैं और उनकी चर्चा कर देने से शायद जो गलतफहमी देहात में होगी वह दूर हो जाने की संभावना है। मैं सब से पहले अपने माननीय मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने जो उन्होंने किसी रिपोर्ट का हवाला दिया था उसकी चर्चा करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि जो किताब उन्होंने पेश की उसमें जो पन्ने उनके खिलाफ थे उसको उन्होंने फाड़ डाला और अपने मतलब के पन्ने रखकर पेश कर दिये। वह कमेटी जो है वह ५०-५१ के लिये है और उस कमेटी का उद्देश्य था कि गन्ने के सीजन को लम्बा कैसे किया जाय।

श्री गेंदा सिंह---आप उस कमेटी में थे?

श्री फूल सिंह---जी नहीं, आपने पन्ने फाड़ दिये इसलिये आपको पता नहीं चल सका। तो गन्ने का सीजन लम्बा करने की अपेक्षा कम करने की बात मत करें। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि गुड़ का भाव जो था वह उस वक्त ऊंचा था और मिलों को चलाने के लिये उस वक्त की सरकार यह सोच रही थी कि क्यों न कोल्हू बन्द कर दिया जाय। आज उससे उल्टी समस्या है। आज गुड़ का भाव उतना ऊंचा नहीं है। पारसाल तो गुड़ की प्राइस को सपोर्ट करना पड़ा और सरकार को इस साल उसके करने की जरूरत नजर नहीं आती और इस साल सरकार ने वह पालिसी नहीं बरती।

माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि इस साल गुड़ का भाव १० रुपये से नीचे नहीं गिरा। यही नहीं इस साल गेहूं के लिये भी प्राइस सपोर्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वह १० रुपये से नीचे नहीं आया। प्राइस सपोर्ट की स्कीम जो थी वह यही थी कि यदि १० रुपये से भाव कम होगा तब स्वयं सरकार खरीदारी करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—भाव इस साल दस रुपये से कम है।

श्री फूल सिंह—मुमकिन है काशीपुर में हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सहारनपुर में भी है।

श्री फूल सिंह—जी नहीं। खैर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त भी जो गुड़ खरीदा गया था सब मंडियों में नहीं खरीदा गया था। मैंने स्वयं लिखा था कि बदायूं में गुड़ खरीदना चाहिये। लेकिन बदायूं का गुड़ ऐसा नहीं है जो खरीदा जा सके। ऐसा सड़ा गला गुड़ खरीदकर रखा नहीं जा सकता। उसके खरीदने की न पारसाल योजना थी और न इस साल है। तो माननीय सदस्य किसी जिले का आंकड़ा पेश करके अपना समय नष्ट न करें। केवल उन मंडियों से गुड़ खरीदने की बात थी जिन मंडियों का गुड़ टिकाऊ था। उसका गुड़ खरीदने की पारसाल योजना थी।

मगर दो बातें हैं। एक तो यह कि गन्ने को खपाने के लिये क्या किया गया। यह मुख्य बात मेरे ख्याल में थी। इस बात पर थोड़ी चर्चा किये देता हूं। और जितने आंकड़े भी इस भवन के सामने मैंने पेश किये हैं सभी जगह यह मालूम होगा कि पारसाल बीक सीजन होने के बावजूद इस साल का क्रश पारसाल से ज्यादा है। केवल एक जगह ऐसी है जहां हम पारसाल की फीगर तक नहीं पहुंचे हैं पर पहुंच जायंगे। वर्ना सब केन्द्रों पर जिनकी चर्चा मैंने आदरणीय सदन में की थी जितना क्रश पारसाल था उससे ज्यादा क्रश इस साल हो गया है। माननीय नारायण दत्त जी ने इस बात की चर्चा की कि बहुत गन्ना खड़ा है। यह सही है। यह बात भी याद रखने योग्य है कि साधारणतया तो कुल गन्ने का १/५ हिस्सा क्रश होता था और जब से गुड़ के दाम कम होने लगे तब से कुल गन्ने का १/३ हिस्सा क्रश होने लगा। इस साल, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, कुछ जिलों में जिन्होंने पारसाल कोल्हू लगाया था उन्होंने इस साल भी नहीं लगाया। दूसरी ओर मैंने आरम्भ में यह निवेदन किया था कि कुछ इलाकों में तो दूना गन्ना बोया और कुछ में ड्योढ़ा। तो अगर गन्ने का रकबा बढ़ता चला जायगा और उसके और इस्तेमाल कम होते चले जायंगे तो यह सम्भव नहीं है कि सारा गन्ना फैक्टरियों में क्रश हो जाय। माननीय तिवारी जी ने ओपेन पेन फैक्टरीज की चर्चा की। यह अंग्रेजी का शब्द बोलने से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितने बैल वाले हैं वे क्या भाव गन्ना खरीदते हैं इसका पता लगायें। जो भाव मिल का गन्ना जाता है उससे कहीं सस्ता वे लोग खरीदते हैं और फिर भी यह गन्ना खत्म नहीं हुआ है। सरकार एक चीज को सोच रही है कि ऐसी छोटी छोटी फैक्टरियां लगायी जायं। मगर वह एक्सपेरीमेंट अभी होने वाला ही है। अब ऐक्शन ऐण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उस चीज को उठाया है और उसके आंकड़े देख कर उसको करने की चेष्टा की जायगी।

दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में कही गयी वह भी चर्चा करने योग्य है कि सीजन लम्बा हो या छोटा। इसके क्या माने कि जब रिकवरी ज्यादा हो तो दाम वही रहे और जब रिकवरी गिर जाय तो दाम कम हो जायं। मेरे खयाल में यह बात बहुत महत्व

[श्री फूल सिंह]

रखती है। लेकिन अगर इस बात को ध्यान में रखा जाय कि जब शकर और गन्ने के दाम मुकर्रर होते हैं तो हर दिन की रिकवरी से नहीं मुकर्रर किये जाते हैं। सीजन की ऐवरेज रिकवरी पर दाम मुकर्रर होते हैं और ऐवरेज रिकवरी ६.६ तभी होगी जब कुछ दिनों गन्ने की रिकवरी ६.६ से ऊंची हो। अगर सब दिन रिकवरी ६.६ से नीचे रहने वाली हो तो ऐवरेज रिकवरी अवश्य नीची हो जायगी।

श्री गेंदा सिंह—६.६ से ऊपर हो तो वह दिलवायेंगे ?

श्री फूल सिंह—माननीय गेंदा सिंह जी तो बहुत दिन उस कमेटी के मेम्बर रहे हैं और मुझे भी उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब उसका सालाना भाव हम मुकर्रर करते हैं तो पिछले साल को देखते हैं कि पिछले साल नियमित सीजन कितने दिन का था और नियमित रिकवरी क्या थी। और अगर पिछले साल में नियमित रिकवरी ज्यादा हुई और सीजन लम्बा हुआ तो अगले साल भाव मुकर्रर करते वक्त उसको बीच में सम्मिलित किया जाता है। बहरहाल, उसमें काफी गुंजायश है रद्दोबदल की, क्योंकि ये सारी बातें इतनी पेचीदा हैं कि वे आसानी से तय नहीं हो सकती हैं।

एक बात और मुख्य है जिसकी चर्चा यहां करना चाहिये कि अगर गन्ने के भाव का शुगर की रिकवरी से टैग कर दिया गया और पर्चियों में गन्ने की कीमत नहीं लिखी गयी तो इससे किसान को कठिनाई होने वाली है। एक तो यह कि उसका पता नहीं क्या दाम उसका मिलेगा। दूसरे यह कि उसका बहुत दिन तक इन्तजार करना पड़ेगा। दामों के लिये। इस कठिनाई को देखते हुये मेरे ख्याल में एक रुपया फी मन के हिसाब से शायद एक ऐसा आदेश जा रहा है कि इतना उनको अदा कर दीजिये और जो बाद में तय हो जाय वह बाद में दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कब जायंगे आदेश ?

श्री फूल सिंह—मैं बहुत सोच समझ कर यह बात कह रहा हूं। इसके माने यह हैं कि जा ही रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—बिहार में एक रुपया चार आना है और आपके यहां एक रुपया।

श्री फूल सिंह—जो बात तिवारी जी कह रहे हैं उनके ख्याल में वह बात बहुत जोर की है। दो साल हुये जब इस बात की चर्चा हुई थी कि गन्ने के दाम को रिकवरी से टैक्ट किया जाय या कोई और कीमत घटाकर मुकर्रर कर दी जाय, दोनों में से कौन सी बात की जाय। तो दो रुख उस बात के हैं। अगर गन्ना ८ मई के ५, ७ दिन के बाद तक खर्च होने वाला है तब तो नफा इसी बात में है कि एक ही दफा दो तीन आने कम कर दिये जायं और अगर गन्ना जून के एन्ड तक चलने वाला है तो ८, ७ आने कम होने में भी डर है। तो फिर खतरा यह होगा कि जो किसान मई में ही गन्ना दे देता उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। पारसाल मैंने यह एक बात और निवेदन की थी कि यह कलेन्डर बनने के बावजूद भी और इतनी रिकवरी और गन्ने का भाव, अगर मई में वर्षा होती रही, तो मई में गन्ने का भाव गिरने के चांसेज कम हैं और जो कागज पर लिखा हुआ है, मई में गन्ने का भाव वही बने रहने की संभावना हो सकती है चुनान्चे उस समय काफी दिन तक बावजूद इस कानून के गन्ने का भाव नहीं गिरा था, तो उस दृष्टि से यह कायदा उससे ठीक है। यह अलबत्ता सही है कि जैसे और कायदे कानून कमियों से भरे हुये हैं वे कमियां इसमें भी हैं लेकिन

जो कमियां इस सदन में बतलाई गई हैं वे नहीं हैं। इसमें कमी है कि गन्ना जल्दी से जल्दी पेलने की चेष्टा नहीं की जाती मगर फिर जो फायदे हैं उनकी वजह से दिक्कतें बनी रहेंगी। आप केन सेस लगाने के खिलाफ थे।

जल्दी मिल शुरू करने की जो बात है वह अगर हुई होती तो उससे नफा हुआ होता लेकिन इस बात को कहना कि यह तो आपस में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का झगड़ा है यह सही नहीं है। जो रिकमेंडेशन हम करें अगर उसे गवर्नमेंट आफ इंडिया न माने तो अगर इसके मायने यह लगाये जायं कि दोनों का झगड़ा हो गया यह गलत है। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया, किसी रिकमेंडेशन को नहीं मानती है तो उसके कोई वजूहात होंगे लेकिन इसका मतलब यह कहां निकलता है कि दोनों गवर्नमेंटों में मतभेद है। असल में गन्ने का जो मामला है वह और चीजों से भिन्न है। जितने और कारखाने हैं कपड़े के और दूसरी चीजों के उन सब से किसानों का उतना संबंध नहीं होता है जितना कि गन्ने की मिलों से होता है। कपड़े के कारखाने से रूई पैदा करने वाले को हानि हो भी सकती है लेकिन शुगर के कारखाने से किसान को जो मुनाफा है वह रुई पैदा करने वाले किसान से ज्यादा है। गन्ने के मामले में तीन चार फरीक हो जाते हैं। यह बड़ी दिक्कत की बात है। एक तो मिल मालिक, एक किसान, एक मजदूर और फिर सरकार छोटी और बड़ी, इस तरह से कई फरीक हो जाते हैं और इसलिये बड़ी कठिनाई हो जाती है। मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे इस बात को भी सोचते हों तो कुछ कठिनाइयां दूर हो सकती हैं अगर हमारे मित्र सभी इस बात में सहयोग दें। मगर यहां तो वे यह चर्चा करते हैं कि देर हो रही है जल्दी गन्ना पेरा जाय लेकिन वहां हड़ताल कराते हैं।

श्री गेंदा सिंह—किसने हड़ताल कराई?

श्री फूल सिंह—माननीय सदस्य इससे बरी नहीं हो सकते, सहारनपुर में हर साल आपकी पार्टी के लोग हड़ताल कराते हैं। १५ दिन में ५ लाख मन गन्ना पेला जा सकता था।

श्री गेंदा सिंह—मैं चैलेंज करता हूं कि इस साल सहारनपुर या कहीं भी अगर हमने हड़ताल कराई हो।

श्री फूल सिंह—आपकी पार्टी के लोगों ने हड़ताल कराई है इस साल।

एक सदस्य—लार्ड कृष्णा शूगर मिल में और धामपुर मिल में हड़ताल हो रही है।

श्री गेंदा सिंह—उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री फूल सिंह—बहुत से सवालों का जवाब खामोशी होता है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस प्वाइन्ट को देखने की बात है। अगर हम किसानों में वाकई दिलचस्पी रखते हैं तो कोई जमात जो ऐसी है वह वहां जाकर देहातों में, मजदूरों में यह प्रोपेगेंडा नहीं करेगी कि तुम को हड़ताल करनी चाहिये, तुमको मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिये। इनसे यह कहे और उन से यह कहे। चोरों से कहे कि चोरी करने आना और घर वालों को कह आये कि जागते रहना। तो इससे काम चलने वाला नहीं है। बहरहाल, और लोग जो भी करें, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह किसानों की पूरी हिफाजत करे, उनके गन्ने को पेरने की पूरी कोशिश करे। चुनान्चे तमाम सरकारी कर्मचारी जो उस मुहकमे से संबंधित हैं दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई मिल जल्दी बन्द न होने पाये। सब मिलें गन्ना पेलें और गन्ना ज्यादा

[श्री फूल सिंह]

से ज्यादा क्रश हों। एक बात की चर्चा मैं और कर दूं। मेरे मित्र राणा फतेह सिंह जी कह रहे थे "मजबूर किया जाता है गन्ना पेरने के लिये। अर्ली स्टार्ट के लिये मजबूर किया जाता है।" यह ठीक है। बाजे मिल तामील हुक्म शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर मिल बन्द कर देते हैं यह कह कर कि मरम्मत हो रही है, सफाई हो रही है। असली बात यह है कि किसी किसान ने अपने लड़के से कहा कि खेत पर जा कर चिड़ियां भगाओ, उसने कहा कि नहीं जाऊंगा। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें टांड़ से बांध दूंगा। लड़के ने उत्तर दिया कि पिता जी आप मुझे बांध सकते हैं लेकिन फिर चिड़ियां कौन उड़ायेगा। तो जब तक वह विलिंग न हों तब तक कानून उनको बांध नहीं सकते। यह करने से कि फलां तारीख से मिल चलना शुरू हो जाय, काम चलने वाला नहीं है जब तक कि मिल वालों की ही यह जहनियत न हो जाय और जब तक वह इसमें खुद से कोआपरेट न करें और सब फरीक कोआपरेट न करें। जब तक ऐसा न होगा किसान की कठिनाइयां दूर नहीं होने वाली हैं। लेकिन यह ठीक है कि अगर मिल वाले कोआपरेट नहीं करते तो शायद उससे ज्यादा करना पड़ेगा कि जो फतेहसिंह राणा जी सोचते हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना।

(श्री चन्द्रभानु गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--(श्री चन्द्रभानु गुप्त से) आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, यदि आपकी आज्ञा हो तो।

श्री अध्यक्ष--आप दस मिनट में खत्म कर दें, इतना ही समय बाकी है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यदि कुछ समय और मिल जाय तो अच्छा है।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक माननीय उद्योग मंत्री जी बोलें यह सदन बैठा रहे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह पेमेंट वाली बात साफ नहीं है। यह एक रुपये के पेमेंट वाली बात। मैं चाहता हूं कि इसकी सफाई हो जाय।

श्री अध्यक्ष--अच्छा, तो प्रश्न यह है कि आज सदन सवा पांच बजे तक बैठे। मैं समझता हूं कि इसमें सब की सम्मति है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

श्री गेंदा सिंह--एक शब्द में मैं यह सजेस्ट करना चाहूंगा कि शायद माननीय ठाकुर साहब क्रोध में किसी विवेक से बात नहीं कर रहे थे, यह कहने के लिये मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं कहूं कि अगर इस वक्त केन सेस की रकम जो ३ आने की है वह साढ़े तीन करोड़ होती है हमारे बजट में यही रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह रकम साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा ही आ जायगी। तो क्यों न किसान को उस तीन आने की रकम पर सब्सिडी देकर, अगर कम रेट देना ही है तो तीन आने की रकम कम कर दी जाय, और यह घाटा सरकार बरदाश्त करे और किसान को एक रुपया सात आने का दाम दिलाया जाय ?

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सदस्यों का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव गन्ने के पेरने के विषय में फैक्ट्रियों की जो अनियमितताएं हैं, उनके विषय में सदन के समक्ष प्रस्तुत किये। मैं इसके लिये भी अनुगृहीत हूं कि कई सदस्यों ने कई ऐसी बातें सदन के सामने प्रस्तुत कीं, जिनका संबंध इस प्रदेश की उस जनता से है जो कि इस उद्योग-धंधे में बहुत वर्षों से लगी हुई है और ऐसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योग-धंधे में लगी हुई है जो इस प्रदेश का खेती के बाद बहुत बड़ा उद्योग-धंधा है। यह भी सत्य है कि सुझाव के लिये वास्तव में इस समय कुछ ऐसी बातें भी रक्खी गयीं, जिनका संबंध जो कामरोको प्रस्ताव रक्खा गया था, उससे डायरेक्टली न था। हम लोगों ने जहां तक गन्ने के उत्पादन का विषय है, उसके पेरने का विषय है, वह एक रोचक विषय ही नहीं है बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जो बिषय कि कामरोको प्रस्ताव द्वारा छेड़ा गया था वह यह था कि प्रदेशीय सरकार ने, जो गन्ना प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होता है उसके पेरने का प्रबन्ध किया या नहीं। सवाल तो यह था कि प्रदेशीय सरकार के गन्ना विभाग ने क्या उस गन्ने को अधिकांश मात्रा में पेरने का प्रबन्ध किया जो इस प्रदेश के विभिन्न भागों में अधिक मात्रा में पैदा हुआ था। जहां इस विषय की चर्चा है माननीय सदस्यों ने इस बात को आपत्ति नहीं की कि प्रदेशीय सरकार ने और उसके गन्ना विभाग के अधिकारियों ने इस ओर प्रयास नहीं किया। यह बात निर्विवाद है कि गन्ने का अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ है और प्रदेशीय सरकार ने उसको पेरवाने का अधिकांश मात्रा में प्रयास किया है।

माननीय विरोधी दल के नेता को इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां अधिक गन्ना उत्पन्न हुआ और उसकी एक बड़ी भारी समस्या रही। उनके यहां एक तिरोही मिल है। प्रत्येक वर्ष जितना गन्ना पेरा जाता था उससे कहीं अधिक मात्रा में गन्ना वहां पैदा हुआ। जब रिजरवेशन की मांग हुई तो हमारे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया और प्रदेशीय सरकार के गन्ना विभाग के अधिकारियों ने उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की सहायता की उन निर्णयों के द्वारा जो उन्होंने उस अधिक गन्ने के विभाजन के बारे में लिये थे जो उन क्षेत्रों में पाया गया था। उस गन्ने को उन्होंने नजदीक की फैक्ट्रियों में पेरने के लिये भेजा। विरोधीदल के नेता को कदाचित यह बात याद होगी कि पिछले वर्ष तरैयासुजान की सोसाइटी जो गन्ना देती थी। उसका सवा तीन लाख मन गन्ना पेरा गया लेकिन इस वर्ष कितना अधिक गन्ना था। इसका अन्दाजा इससे ही हो जाता है कि वहां की तीन मिलों को साढ़े पांच लाख मन गन्ना पेरने के लिये दिया गया और इस प्रकार से गन्ना उत्पादकों को सहायता प्रदान की गयी। जहां जहां सरकार मदद कर सकती थी उसने अधिक से अधिक मात्रा में गन्ना पेरवाने का प्रयत्न किया।

आज गन्ने का उत्पादन ऐसा विषय बन गया है जिसको हमें आलावा भावुकता के एक आर्थिक विषय के तौर भी उसकी समीक्षा करनी चाहिये। आज यह बात हम सब को मानना है कि आज किसानों के गन्ने की जो कीमत मिलती है वह उन किसानों से अधिक कीमत पाते हैं जो गन्ने का उत्पादन नहीं करते हैं। आज वह कानून जो गन्ने के विषय में प्रदेश में बने हुए हैं क्या वह इस बात के द्योतक नहीं हैं कि इस प्रदेश की सरकार बराबर गन्ने के उत्पादकों के लिये कानून बनाती रही है। और विभिन्न विभागों के द्वारा अधिक मात्रा में उसको सहारा देने की चेष्टा कर रहे हैं।

यदि आज १ रुपया ७ आना मन दाम किसान को मिल रहे हैं तो वह भी इस सूबे की सरकार के द्वारा ही और इस सदन की अनुमति के द्वारा और सहायता के द्वारा ही वह पा रहा है और यदि हम उस कीमत का किसान के दूसरे अन्नों की कीमत से मुकाबला करें तो हमें पता चलेगा कि चाहे आज हम भले ही गन्ने के उत्पादकों को अधिक मुनाफा दिलाना चाहें, लेकिन अन्य अन्नों के अनुपात में आज भी हम उसे सबसे अधिक दाम दिला रहे हैं और जब हम इस बात को मानते हैं तो हमें यह भी मान लेना चाहिए कि यह विषय गन्ने के दामों को और गन्ने के उत्पादकों को अधिक सहायता प्रदान करने का काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि गन्ने के किसानों को तो चाहे जितनी मात्रा में सहायता दें और दूसरे अन्नों के किसानों को उतनी मात्रा में कीमत दिलाने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

का हम प्रयत्न न करें। कहीं न कहीं तो हमें कीमतों का संतुलन करना ही होगा और आज की इस बदलती हुई अर्थ व्यवस्था में यह एक कठिन प्रश्न है और जिसको हमें हल करना है, लेकिन उसको हल करते समय जब हम गन्ने की कीमत का कंट्रोल करते हैं तो हमें दूसरी ओर यह भी विचार करना होगा कि क्या हम गन्ने के साथ जो और दूसरे अन्न हैं उन की कीमत पर भी किसी प्रकार का कंट्रोल कर पा रहे हैं और यदि हम ऐसी चेष्टा करते हैं तो हमें सभी चीजों का कंट्रोल करना होगा, हालांकि यह सदन हमेशा कंट्रोलों का विरोध करता रहा है। यह चीज केवल कंट्रोल के द्वारा ही संभव हो सकती है।

मैं नहीं जानता कि आज के समाज में और आज की आर्थिक व्यवस्था में हम इस प्रकार की कोई चेष्टा कर रहे हैं? उस के तहत में तो हमें न मालूम कहां-कहां नियंत्रण रखने पड़ेंगे, मैं उन की यहां चर्चा नहीं करूंगा। यद्यपि मैं उन लोगों में से हूं जो इस तरह का विचार रखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब हम एक नियंत्रित ढंग से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करें, नियंत्रण में दोष भले ही हों, लेकिन हमें उन के तहत में किसी न किसी प्रकार चलना ही होगा। मैं आज उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं जो गन्ने के किसानों की हिमायत करते हैं, उनकी हिमायत तो होनी चाहिए, हम भी करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो १ रुपया ७ आना मन के दाम हैं वह उस कीमत के मुकाबले में जो अन्न के उत्पादकों को आज मिल रही है क्या कम है और यदि वह कम नहीं हैं तो यह दोष लगाना कि सरकार गन्ने के उत्पादकों की ओर ध्यान नहीं देती है और मिल मालिक की ओर ध्यान देती है, सही है? मैं बहुत नम्रता से कहूंगा कि इस तरह की जो आलोचना है वह सत्यता से परे हैं। मैं यह मानता हूं कि जिस बदलती हुई दुनिया में हम आज रह रहे हैं उसमें मिल मालिक अब तक बहुत अनुचित फायदा उठाते रहे हैं। और हम जिस समाज की रचना करने जा रहे हैं और जिस समाज की रचना करने के लिए हम आज विभिन्न नियम, अधिनियम और कानूनों की तहत में कार्य करना चाहते हैं, क्या वे चीजें अब उस मिल मालिक क. वह सहायता प्रदान करेंगी? या उस तरह से फायदा उठाएंगे? उसकी प्रणाली को फैलने का मौका देंगे? यदि वह नहीं देंगे तो आज फिर बार-बार उस चीज की चर्चा करना सदन के सामने, उन लोगों के ध्यान को दूर करना है उस असली मतलब से कि जो आज हमारी तरफ देखते हैं और जो हमारी तरफ देख कर-उद्योग धंधे को काफी तेजी के साथ प्रगति की तरफ ले जाना चाहते हैं?

आज तो सवाल यह है कि यह उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा उद्योग-धंधा कैसे सारे देश के उद्योग धंधे के मुकाबले में जीवित रखा जायगा। मैंने अपने माननीय मित्र राणा जी का भाषण सुना और उन्होंने हमें बताया कि दक्षिण का यह जो यह उद्योग धंधा बन सकता है, उससे हमारे उत्तर प्रदेश का शकर का धंधा या गन्ने का धंधा मुकाबला कर सकता है। वे विशेषज्ञ हैं। मैं इस उद्योग-धंधे के विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं और न मैं इस बात के कहने की धृष्टता कर सकता हूं कि मुझे उनसे अधिक तजुरबा है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो इस बात को सदैव ध्यान में रखता है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगीकरण के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश में उद्योग-धंधे बढ़ने चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो यह चाहता है कि यह उत्तर प्रदेश का उद्योग धंधा सारे देश के उद्योग धंधे के मुकाबले में जीवित रह सके, मैं आज ऐसा समझता हूं और एक गम्भीरता के साथ समझता हूं कि यदि गन्ने की पैदावार उसकी कीमतें इत्यादि प्रगतिशील न बनायी गईं तो मुझे तो अंदेशा है कि दक्षिण के उद्योग धंधे के मुकाबले में यह ठहर न सकेगा। इस बात की आज आवश्यकता है कि जो गन्ने का उत्पादन होता है उसकी किस्में इत्यादि इस प्रकार की पैदा की जायं कि हमारे प्रदेश में हमारी फैक्टरियां यदि चलें तो अधिक दिनों तक चल सकें और जो गन्ने का शुक्रोज कंटेंट हो वह भी अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सके और इस लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा ध्यान उस ओर गया है। हम अधिक धनराशि रिसर्च इत्यादि पर व्यय करना चाहते

हैं, अधिक धनराशि ऐसी गन्ने की किस्मों को पैदा करने में खर्च करना चाहते हैं जिससे कि एकरेज गन्ने का न बढ़े, लेकिन पर एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़े उसकी किस्में अच्छी हो सकें, जिससे यह जो मिलें नवम्बर में चलती हैं या दिसम्बर में चलती हैं यह अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में या १५ अक्तूबर से कार्य करना प्रारम्भ कर दें। तब तो यह संभव हो सकेगा कि हमारा शकर का उद्योग धंधा और गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जा सके, किसान की अधिक मात्रा में आमदनी बढ़ायी जा सके और इस उद्योग धंधे को किसान के लिए इस प्रदेश की सरकार सुरक्षित कर सके।

मैं माननीय सदस्यों से जिन्होंने विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं और सुझाव प्रस्तुत किये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही मिल मालिकों ने अब तक ऐसी बात की हो और मैं यह मान कर चलता हूं कि मिल के मालिकों ने इन मिलों से काफी धन पैदा कर लिया है, अपनी मिलों की कीमत का बहुत से मिल मालिकों ने तीन गुना, चार गुना पांच गुना पैदा कर लिया है। लेकिन जो आज केन्द्रीय सरकार और हम नियम बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, जिससे समाज की रचना करने जा रहे हैं, उसकी तहत में हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि न तो ये मिल मालिक इतना मुनाफा कर सकेंगे और न यह इतनी सम्पत्ति इकट्ठी कर सकेंगे जिस सम्पत्ति का अब तक वह अच्छी तरह से दुरुपयोग करते रहे हैं। वह दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। क्या कम्पनी ऐक्ट और इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण ऐसी चीजें नहीं हैं जो उस ओर ले जाती हैं जिधर हम जाना चाहते हैं और हम ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं जो निरंकुश ढंग से धन कमाते रहे हैं और उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं? जिस नये समाज को हम रचने जा रहे हैं जिस की तहत में उद्योग-धंधे चलाये जा रहे हैं, उसमें उद्योगपति अगर प्राइवेट सेक्टर में उद्योग चलाएंगे तो उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे। उन्हें तो सामान्य व्यवस्था की तहत में कार्य करना पड़ेगा और जब उन्हें उस ओर कार्य करना पड़ेगा तो जो बहुत से पिछले दोष हैं जिनका वर्णन एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, पचासों दफा इस सदन में किया गया है, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि उनमें परिवर्तन होगा और आज परिवर्तन हुआ है। आज यह नहीं है कि मिलों का मालिक उसी मात्रा में मुनाफा करता जा रहा है जिस मात्रा में पहले करता जा रहा था और विभिन्न प्रकार के टैक्सों से विभिन्न प्रकार के जो हम कानून बना रहे हैं उनकी तहत में जिस मिल की आमदनी एक लाख या डेढ़ लाख से ज्यादा है, नब्बे नब्बे फीसदी तक उस कम्पनी के मुनाफे को हम टैक्सों के रूप में ले रहे हैं। तो आज यह कह देना कि जो पहले मुनाफाखोरी करते थे वह करते रहेंगे अब भी, यह बात सत्य से परे है।

यह बात सही है कि आज हमने मिलों का नेशनलाइजेशन नहीं किया। जिस आदर्श की तहत में हम कार्य कर रहे हैं उसमें आज प्राइवेट सेक्टर को भी हमारे बीच में कार्य करने की इजाजत दी है और उसके कारण भी ऐसे हैं कि जो प्रत्येक सदन के सदस्य को भली भांति विदित हैं। आज हमने जो कानून बना रखा है, जो विधान बनाया है कि जिसकी सम्पत्ति लेंगे उसे कुछ न कुछ हम मुआवजा देंगे तो ऐसे कानून के तहत में कार्य करते हुये हम सबकी मिलों को तो ले नहीं सकते हैं और लेंगे तो मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि वह कानून हमने बनाया है। अगर कानून को बदल दें तो बात दूसरी है। लेकिन जब तक हम एक विधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं तब तक बार बार राष्ट्रीयकरण का जिक्र कर देना और यह कह देना कि यह मिलें मुनाफाखोरी करती हैं और सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती है, यह बात सही नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेर बेर सरकार के ऊपर यह दोष लगा देना कि यह सरकार पूंजीपतियों की तरफ ध्यान देती और किसानों की तरफ ध्यान नहीं देती है, उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं करती है और उसकी जो आवश्यकता है उसकी देख रेख नहीं करती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल गलत है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हां, इस वर्ष जैसा कि हमारे सहयोगः ने अभः बताया कि जो रिकवरः बेसिस के सिलसिले में केंद्रीय सरकार ने आदेश जारी किये और जो कीमत उसको अभी नहीं मिल रही है उसके विषय में, तो शायद मिलों को आदेश जारी कर दिये गय हैं कि अभा किसान को एक रुपये की कीमत दी जाय और बाकी कीमत जो है वह उसे अधिका जो होगी वह मिलेगी जब वह शिड्यूल शाया हो जायगा जिस शिड्यूल को हमारे डाइरेक्टर तैयार कर रहे हैं। मैं इसलिये इस सदन को बता देना चाहता हूं कि जब शिड्यूल प्रकाशित हो जायगा जैसा कि पिछले वर्ष भी जब रिकवरी बेसिस पर उत्पादक को कीमत दी गई थी, प्रकाशित हुई थी, उसके प्रकाशित होने के बाद जितनी अधिक कीमत उसकी होगी वह उसको दे दी जायगी। जहां तक बिहार के विषय की चर्चा की गई तो हमारे पास तो केंद्रीय सरकार के कोई ऐसे आदेश आये नहीं हैं। हम नहीं जानते हैं कि बिहार की सरकार ने, उनके जो केन कमिश्नर हैं कदाचित अपने अधिकार की तहत में और उन सुझावों की तहत में जो उन्होंने केंद्रीय सरकार के पास भेजे हैं, शायद इंटरिम आदेश दे रखा है। लेकिन केंद्रीय सरकार के कोई ऐसे आदेश कि एक रुपया दो आने मन या एक रुपया चार आने मन दिये जायं हमारे पास तो आये नहीं हैं और न हमें उसका ज्ञान है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कीमतों का विषय बार बार उठाया जाता है और जो गन्ने के उत्पादन का विषय उठाया गया तो वह तो उन विषयों के संबंध में रखता है जिनकी चर्चा अभी मेरे सहयोगी ने इस सदन के सामने कर दी है।

आज यह बात सही है कि गन्ने की कीमत अधिक है। किसान इसलिये प्रभावित होता है कि अधिक गन्ना बोये, लेकिन वह भूल जाता है कि उस प्रदेश में इतनी संख्या में मिले नहीं हैं और जब गुड़ की कीमत कम रहती है तो वह अधिक गन्ना बेच बेच कर मिल में बेचने की चेष्टा करता है। तो यदि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों को सुरक्षित रखा सकें और इस उद्योग धंधे का मुकाबला दक्षिण के उद्योग से कर सकें तो हमें चाहिये कि हम किसानों को बतायें कि और उसके सामने इस प्रश्न को रखें कि उसकी यह चेष्टा नहीं होनी चाहिये कि वह ज्यादा से एकरेज गन्ने की पैदावार में लगाये, क्योंकि इससे उसका भला नहीं होने वाला है और सरकार इस समस्या को सुलझा नहीं सकती है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक शुगर फैक्ट्रीज यहां लग जायं और हम केंद्रीय सरकार से प्रयास भी कर रहे हैं जब हमने योजना आयोग के सामने अपनी बातें प्रस्तुत की थीं तब हमने अधिक से अधिक कोआपरेटिव फैक्ट्रीज की मांग रखी थी, परन्तु हमारी मांग तो ४ फैक्ट्रीज तक ही सीमित रखी गयी। जब फूड मिनिस्टर साहब आये थे तो हमने फिर निवेदन किया था और उन्होंने हमारी मांग को सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के लिये रखा है। उन्होंने ऐसा वचन दिया है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यदि अधिक संख्या में कोआपरेटिव फैक्टरीज दे सकेंगे तो देने की कृपा करेंगे। हम इतना अवश्य चाहते हैं कि जब तक प्रदेश में कोआपरेटिव फैक्टरीज कायम करने के लिये हमें धनराशि केंद्रीय सरकार से न मिले और कोई व्यक्ति फैक्टरी खोलने की क्षमता रखते हों तो हम नहीं चाहते कि वह व्यक्ति इस बात में अपनी धनराशि न लगा सकें, क्योंकि उनको तो उस उद्देश्य और नीति के अनुसार कार्य करना होगा जो केंद्रीय सरकार से समय समय पर निधारित होगी और जिसके निधारण में यह बात छिपी रहेगी कि प्रत्येक को उसी मुनाफे के तहत में कार्य करना है जिसे कि केन्द्र निर्धारित कर और दूसरों की सेवा करते हुये उसे प्राप्त करना होगा।

इसलिये मैं अधिक और न कहते हुये माननीय सदस्यों की उन बातों की तरफ जिनकी तरफ उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित कराया है उनको धन्यवाद देता हूं और उनको उन कंस्ट्रक्टिव सुझावों के लिये जो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिये पेश किये हैं उनके लिये भी धन्यवाद देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--किछा और बाजपुर फैक्टरियों के बारे में भी कुछ बता दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक बाजपुर फैक्ट्री का विषय है उसके लिये आर्डर्स जा रहे हैं और जहां तक कोई व्यक्ति लगाने वाले हैं तो उसका लाइसेंस पिछले महीने में प्राप्त हुआ है। जहां तक साइट आदि देखने का प्रश्न है वह देख ली है और मुझे आशा है कि अगली जून में जब उनसे भेंट होगी तो उनसे शीघ्रता करायेंगे कि वह शीघ्रता से आर्डर दें।

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १४ मिनट पर सोमवार, २१ मई, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१९ मई, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

संसद भवन